Springboard ACADEMY

AN INSTITUTE FOR IAS & RAS

RAS PRELIMS

2024 - 2025

भारतीय राजव्यवस्था

प्रारम्भिक परीक्षा

अभिषेक सर

A-1 Keshav Vihar, Riddhi-Siddhi Chouraha, Gopalpura Bypass,
Jaipur- 302018 Mob.: 0141-3555948, 9636977490, 8955577492

Springboard ACADEMY

पाठ्यक्रम

भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली

भारतीय संविधान : दार्शनिक तत्व :–

- संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन।
- उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य नीति के निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य।

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था :–

- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्, संसद, उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन।
- भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, केन्द्रीय सूचना आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।
- संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकारें, राष्ट्रीय एकीकरण।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	राज्य एवं राष्ट्र	1-3
2.	संविधान सभा	4-10
3.	भारतीय संविधान के स्रोत	11-12
4.	प्रस्तावना	13-19
5.	भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ	20-22
6.	भारतीय संविधान के भाग	23
7.	संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र	24-25
8.	राष्ट्रीय एकीकरण	26-30
9.	मूल अधिकार	31-49
10.	नीति निदेशक तत्व	50-52
11.	मूल कर्त्तव्य	53
12.	राष्ट्रपति	54-65
13.	उपराष्ट्रपति	66-67
14.	संसद	68-88
15.	उच्चतम न्यायालय	89-96
16.	उच्च न्यायालय	97-103
17.	न्यायिक सक्रियता	104
18.	संविधान संशोधन	105-108
19.	भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	109-111
20.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग	112-113
21.	नीति आयोग	114-115
22.	लोकपाल	116-118
23.	भारतीय निर्वाचन आयोग	119-120
24.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	121-122
25.	केन्द्रीय सूचना आयोग	123-124

राज्य एवं राष्ट्र

- **राज्य** – राज्य/देश वह इकाई है जिसमें लोगों का समुदाय एक निश्चित भू–भाग पर निवास करता है और एक व्यवस्थित सरकार बाहरी दबावों से मुक्त संप्रभु रूप से कार्य करती है।
- **राज्य के आधारभूत तत्त्व –**

  1. भू–भाग
  2. जनसंख्या
  3. सरकार
  4. संप्रभुता

- **कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के अंग –**

  1. क्षेत्र/भू–भाग
  2. राजा
  3. दुर्ग
  4. सेना
  5. राजकोष
  6. अमात्य
  7. मित्र (मित्र राज्य)

राष्ट्र – राष्ट्र को लोगों के एकत्रीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक संगठित समाज के रूप में विद्यमान है, आम तौर पर क्षेत्र विशेष में निवास करते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, एक समान रीति–रिवाजों को मानते हैं, और ऐतिहासिक निरंतरता होती है।

नोट–

- राष्ट्र जहां नस्लीय या नृजातीय सांस्कृतिक अवधारणा के अधिक निकट है वही राज्य एक राजनीतिक अवधारणा के अधिक निकट है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रयुक्त राष्ट्र शब्द का तात्पर्य 'राष्ट्र' (Nation) से ना होकर 'राज्य' (State) से है।
- 'अरब राष्ट्र' एक राज्य ना होकर एक 'राष्ट्र' अवधारणा है जिसमें मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यू.ए.ई. आदि अनेक राज्य सम्मिलित है।
- यूएसए एक राज्य है जिसमें अनेक राष्ट्र सम्मिलित है।
- जापान, इजरायल और भारत ऐसे राज्य हैं जिनमें राष्ट्र की विशेषताएं भी देखने को मिलती है अतः ये राष्ट्र–राज्य के उदाहरण है।

☑ **राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत :–**

1. **राजत्त्व का दैवीय सिद्धान्त** – राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और वह अपने राज्य में ईश्वर के आदेशों को लागू करता है। अतः दैवीय सिद्धान्त के आधार पर राज्य अस्तित्त्व में आये।
2. **सामाजिक समझौते का सिद्धान्त** –

   (i) यह सिद्धांत लॉक, हॉब्स और रूसो ने दिया।

   (ii) इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य की अवधारणा के पूर्व 'मत्स्य न्याय/पूर्ण अराजकता' की स्थिति थी जिसमें केवल अनिश्चितता की स्थिति थी।

   (iii) अतः लोगों ने सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की स्थापना की।

   (iv) इसके अंतर्गत समस्त लोगों ने राज्य के प्रमुख को अपने कुछ अधिकार सौंपे तो दूसरी तरफ राजा ने अपने लोगों की सुरक्षा की गारंटी दी।

   (v) वर्तमान लोकतंत्र में भी जनता मतदान के माध्यम से शासक चुनकर उसे शक्ति प्रदान करती है।

राजतंत्र

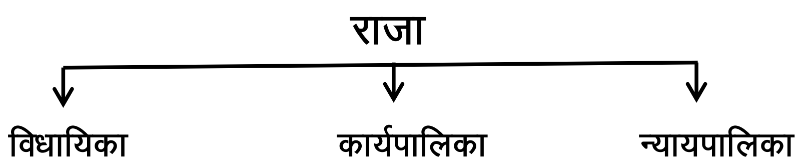

- राजतंत्र में शासन की तीनों शक्तियाँ राजा में निहित होती है। अर्थात् शक्तियों का केन्द्रीकरण होता है, इसलिए राजा प्रायः निरंकुश हो जाता है।
- फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया अर्थात् शासन की तीनों शक्तियों को पृथक कर देना चाहिए। अतः लोकतंत्र शक्ति पृथक्करण पर आधारित है।

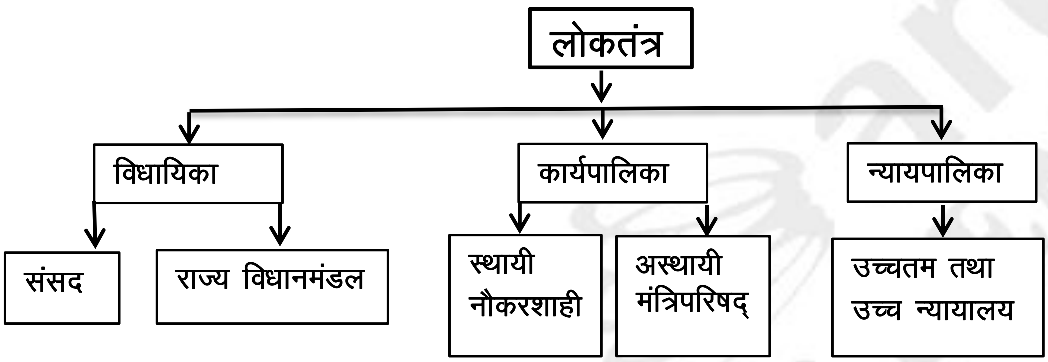

- **भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है** अतः स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है क्योंकि कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है।

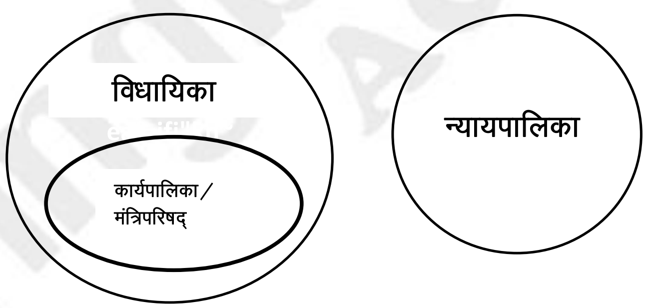

- भारत में दोहरी विधायिका है अर्थात् केन्द्र व राज्यों में अलग–अलग विधायिकाएँ है।
- भारत में दोहरी कार्यपालिका है अर्थात् केन्द्र व राज्यों में अलग–अलग मंत्रिपरिषद् है।
- भारत में एकल न्यायपालिका है अर्थात् उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन है।
- ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था है अतः वहाँ भी स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है। ब्रिटेन में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दोनों विधायिका का भाग है। इसलिए वहाँ संसद की सर्वोच्चता है जबकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है।

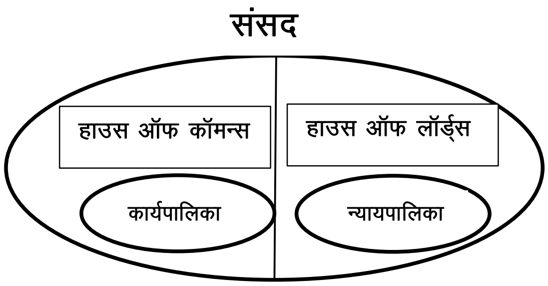

- **अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है** इसलिए वहाँ स्पष्ट शक्ति पृथक्करण है।

संविधान सभा

- ➢ 1895 ई. में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की।
- ➢ 1922 ई. में महात्मा गाँधी ने संविधान सभा की मांग की।
- ➢ 1925 ई. में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की।
- ➢ 1928 ई. में नेहरू समिति ने संविधान सभा की मांग की।
- ➢ 1934 ई. में मानवेन्द्र नाथ रॉय ने संविधान सभा की मांग की।
- ➢ 1935 ई. में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की।
- ➢ 1938 ई. में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर सार्वभौमिक वयस्क मतदान के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की।

☑ **अगस्त प्रस्ताव 1940 ई.** में अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। इसमें 'संविधान सभा' शब्द का उल्लेख नहीं था।

☑ **क्रिप्स मिशन 1942 ई.** में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान था जो प्रान्तीय विधानमण्डल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा चुनी जानी थी।

☑ **1946 ई. में केबिनेट मिशन** की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया।

संविधान सभा के कुल सदस्य (389)

- **ब्रिटिश भारत से निर्वाचित (296)**
  - प्रान्तों से (292)
  - उच्चायुक्त प्रान्तों से (4)
    1. दिल्ली
    2. अजमेर मेरवाड़ा
    3. कुर्ग
    4. बलूचिस्तान
- **रियासतों से मनोनीत (93)**

☑ संविधान सभा का निर्वाचन –

- ➢ 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया गया था।
- ➢ संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से हुआ था।
- ➢ **निर्वाचक मण्डल** – प्रान्तीय विधानमण्डल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था।
- ➢ **निर्वाचन पद्धति** – 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमण मत' द्वारा।
- ➢ आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत तीन श्रेणियाँ बनाई गई थी–
  1. मुस्लिम (आरक्षित सीटें–78)
  2. सिक्ख (आरक्षित सीटें–04)
  3. सामान्य (आरक्षित सीटें–210) (हिन्दू, जैन, ईसाई, आदि)
- ➢ संविधान सभा का निर्वाचन जुलाई–अगस्त 1946 ई. में हुआ।
- ➢ संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के 208 सदस्य निर्वाचित हुए थे।
  - सामान्य सीट पर – 199
  - सिक्ख आरक्षित सीट पर – 03
  - मुस्लिम आरक्षित सीट पर – 03

- उच्चायुक्त प्रान्त — 03

➢ मुस्लिम लीग के 73 सदस्य विजयी हुए थे।

➢ महात्मा गाँधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा था।

➢ जयप्रकाश नारायण व तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया था।

☑ संविधान सभा में 15 महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी –

1.	अम्मू स्वामीनाथन	मद्रास
2.	दक्षयनी वेलायुधन (एकमात्र दलित महिला सदस्य)	मद्रास
3.	दुर्गाबाई देशमुख	मद्रास
4.	बेगम एजाज रसूल (एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य)	उत्तर प्रदेश
5.	कमला चौधरी	उत्तर प्रदेश
6.	हंसा जीवराज मेहता	बम्बई
7.	लीला रॉय	पश्चिम बंगाल
8.	मालती चौधरी	ओडिसा
9.	पूर्णिमा बनर्जी	उत्तर प्रदेश
10.	राजकुमारी अमृत कौर (प्रथम महिला केबिनेट(स्वास्थ्य) मंत्री)	मध्य प्रांत
11.	रेणुका राय	पश्चिम बंगाल
12.	सरोजिनी नायडू (प्रथम महिला राज्यपाल)	बिहार
13.	सुचेता कृपलानी (प्रथम महिला मुख्यमंत्री)	उत्तर प्रदेश
14.	विजय लक्ष्मी पण्डित (यूएन महासभा में एकमात्र भारतीय महिला अध्यक्ष)	उत्तर प्रदेश
15.	एनी मास्करीन (देशी रियासतों से महिला प्रतिनिधि)	त्रावणकोर

☑ संविधान सभा के निर्वाचन का परिणाम (जुलाई–अगस्त, 1946 ई.) –

क्र.सं.	**पार्टी का नाम**	**जीती गई सीट**
1.	काँग्रेस	208
2.	मुस्लिम लीग	73
3.	यूनियनिस्ट पार्टी	1
4.	यूनियनिस्ट मुस्लिम	1
5.	यूनियनिस्ट शिड्यूल कास्ट्स	1
6.	कृषक प्रजा पार्टी	1
7	शिड्यूल कास्ट्स फेडरेशन	1
8.	सिक्ख (गैर–काँग्रेसी)	1
9.	वामपंथी पार्टी	1
10.	निर्दलीय	8
	कुल	**296**

☑ संविधान सभा में विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व –

क्र.सं.	**समुदाय**	**संख्या**
1.	हिन्दू	163
2.	मुस्लिम	80
3.	अनुसूचित जाति	31
4.	भारतीय ईसाई	6
5.	पिछड़ी जनजातियाँ	6
6.	सिक्ख	4
7.	आंग्ल–भारतीय	3
8.	पारसी	3

कुल	296

☑ **16 अगस्त–1946 ई. प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस :–**

- भारत में साम्प्रदायिक दंगे शुरू हुए और अंग्रेजों ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया।

क्र.सं.	सदस्य	धारित विभाग
1.	जवाहर लाल नेहरू	परिषद् के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमण्डल संबंध तथा विदेशी मामले
2.	सरदार वल्लभ भाई पटेल	गृह सूचना एवं प्रसारण
3.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	खाद्य एवं कृषि
4.	जॉन मथाई	उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति
5.	जगजीवन राम	श्रम
6.	सरदार बलदेव सिंह	रक्षा
7.	सी.एच. भाभा	कार्य खान एवं ऊर्जा
8.	लियाकत अली खां	वित्त
9.	अब्दु रब निश्तार	डाक एवं वायु
10.	आसफ अली	रेलवे एवं परिवहन
11.	सी.राजगोपालाचारी	शिक्षा एवं कला
12.	आई.आई. खुंदरीगर	वाणिज्य
13.	गजनफर अली खान	स्वास्थ्य
14.	जोगेंद्र नाथ मण्डल	विधि

➢ संविधान सभा के चुनावों के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था।

➢ 9 दिसम्बर, 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसमें कुल 211 सदस्य (9 महिलाएँ शामिल) उपस्थित थे।

- उद्घाटन सत्र की शुरूआत –जे. बी. कृपलानी
- अस्थायी अध्यक्ष –डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा (वरिष्ठतम सदस्य, फ्रांसीसी परम्परा)

➢ 11 दिसम्बर, 1946 – संविधान सभा की दूसरी बैठक।

- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद – स्थायी अध्यक्ष
- एच.सी. मुखर्जी – उपाध्यक्ष निर्वाचित
- बी.एन.राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया।(बर्मा के संविधान निर्माण में भी सहयोग किया)
- बी.एन. राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया जबकि अन्तिम प्रारूप, प्रारूप समिति ने तैयार किया था।
- कालान्तर में वी.टी. कृष्णामाचारी को संविधान सभा का दूसरा उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया।
- 13 दिसम्बर, 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा 'उद्देश्य प्रस्ताव' प्रस्तुत किया गया।
- 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने 'उद्देश्य प्रस्ताव' पारित किया।

☑ **उद्देश्य प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताएँ**

- स्वतंत्र सम्प्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना करना तथा इसके लिए संविधान का निर्माण करना।
- स्वतंत्र भारतीय संघ में निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित होने चाहिएः–
  1. ब्रिटिश भारत
  2. भारतीय राज्य (रियासतें)
  3. अन्य भारतीय क्षेत्र (गोवा, पुडुचेरी आदि)
  4. अन्य राज्य या क्षेत्र जो स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहते हो।
- भारतीय संघ में राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की जाए तथा अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को दी जाए।

- स्वतंत्र भारत में शासन की समस्त अधिकारिता व शक्तियों का स्रोत जनता हो। (लोकतंत्र)

देश के सभी नागरिकों को न्याय

↓

सामाजिक | आर्थिक | राजनीतिक

स्वतंत्रता →
- विचार
- अभिव्यक्ति
- विश्वास
- धर्म
- उपासना
- व्यवसाय
- संघ बनाने
- कार्य

} विधि व नैतिकता के दायरे में

समता →
- प्रतिष्ठा
- अवसर
- विधि के समक्ष

} सुनिश्चित किए जाऐंगे

➢ निम्नलिखित के हितों के संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए—

1. अल्पसंख्यक
2. पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र
3. सामाजिक रूप से पिछडे व वंचित वर्ग

➢ भारतीय राज्य क्षेत्र की अखण्डता को बनाए रखना तथा इसके अन्तर्गत आने वाले जल, थल व नभ पर सम्प्रभु अधिकार को बनाए रखना।

➢ प्राचीन काल से विश्व में भारत का विशिष्ट स्थान है, उस स्थान को बनाए रखना तथा विश्व शांति व मानव कल्याण को बढावा देना।

संविधान सभा की समितियाँ

अध्यक्ष — **समिति**

पण्डित जवाहर लाल नेहरू
- संघीय संविधान समिति
- संघीय शक्ति समिति
- भारतीय राज्यों के लिए समिति
- संविधान के प्रारूप की जाँच हेतु विशेष समिति।

सरदार वल्लभ भाई पटेल
- प्रांतीय संविधान समिति
- मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातीय क्षेत्र, बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र पर सलाहकारी समिति (इसके तहत पाँच उपसमितियों का गठन किया जाना था किन्तु चार उपसमितियाँ गठित की गई)

(i) मूल अधिकार उपसमिति (**जे.बी. कृपलानी**)
(ii) अल्पसंख्यक उपसमिति (**एच. सी. मुखर्जी**)
(iii) अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र उपसमिति (असम) (**गोपीनाथ बोरदोलोई**)
(iv) बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र उपसमिति (असम के अलावा) (**ए. वी. ठक्कर**)
(v) उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उपसमिति

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
- प्रक्रिया नियम समिति
- संचालन समिति
- राष्ट्रध्वज के लिए तदर्थ समिति
- देशी रियासत समझौता समिति

जी. वी. मावलंकर – संविधान सभा की कार्य समिति

☑ **प्रारूप समिति** (29 अगस्त 1947 ई.)
अध्यक्ष व सदस्य निम्नलिखित हैं–

1. डॉ. भीमराव अम्बेड़कर (अध्यक्ष)
2. एन. गोपालस्वामी आयंगर
3. अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर
4. मोहम्मद सादुल्लाह
5. के.एम. मुंशी
6. एन. माधव राव (बी. एल. मित्र के स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र के बाद उनका स्थान लिया)।
7. टी. टी. कृष्णामाचारी (1948 ई. में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनका स्थान लिया)

➢ प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया तथा उनसे भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया।

➢ प्रारूप को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे सभा ने तीन पठन में पारित किया–

- प्रथम पठन – 4 नवम्बर 1948 ई. – 9 नवम्बर 1948 ई.
- द्वितीय पठन – 15 नवम्बर 1948 ई. – 17 अक्टूबर 1949 ई.

- तृतीय पठन – 14 नवम्बर 1949 ई. – 26 नवम्बर 1949 ई.

➢ 26 नवम्बर, 1949 ई. को संविधान सभा ने संविधान को पारित किया ।

➢ इसी दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया।

☑ **15 अनुच्छेद 26 नवम्बर, 1949 ई. को ही लागू कर दिए गए–**

- अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 (नागरिकता)
- अनुच्छेद 60 (राष्ट्रपति की शपथ)
- अनुच्छेद 324 (निर्वाचन आयोग)
- अनुच्छेद 366, 367 (परिभाषाएँ व निर्वचन)
- अनुच्छेद 379, 380, 388, 391 (अस्थायी प्रावधान), अन्तरिम सरकार
- अनुच्छेद 392 (राष्ट्रपति की शक्ति)
- अनुच्छेद 379–392 हटा दिए गए।
- अनुच्छेद 393 (संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है)
- अनुच्छेद 394 (15 अनुच्छेद 26 नवम्बर 1949 से लागू होंगे।)

➢ शेष संविधान 26 जनवरी, 1950 ई. को लागू हुआ।

➢ 2 साल, 11 माह, 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई।

➢ **संविधान सभा 3 वर्ष, 1 माह, 16 दिन अस्तित्व में रही। (9 दिसम्बर 1946 ई.–24 जनवरी 1950 ई.)**

☑ **15 अगस्त 1947 ई.को संविधान सभा की भूमिका में बदलाव**

- संविधान सभा एक सम्प्रभु संस्था बन गई। पहले ये सम्प्रभु संस्था नहीं थी क्योंकि इसका गठन केबिनेट मिशन की अनुशंसाओं से किया गया था, परन्तु अब यह केबिनेट मिशन की सिफारिशों से मुक्त थी।
- अब संविधान सभा ने दोहरी भूमिका निभाई। संविधान निर्माण के साथ–साथ इसने विधायिका का कार्य भी किया। जब यह विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो जी.वी. मावलंकर इसके अध्यक्ष होते थे।
- इसकी सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गई थी।

299

229 (ब्रिटिश भारत से) — 70 (रियासतों से)

☑ **संविधान सभा में राजस्थान से सदस्य –**

1. वी.टी. कृष्णामाचारी	–	जयपुर
2. हीरालाल शास्त्री	–	जयपुर
3. सरदार सिंह	–	खेतड़ी
4. वी राघवाचारी, बलवंत सिंह मेहता	–	उदयपुर
5. माणिक्यलाल वर्मा	–	उदयपुर
6. राज बहादुर	–	भरतपुर
7. सी. एस. वेंकटाचारी	–	जोधपुर
8. जयनारायण व्यास	–	जोधपुर
9. मुकुट बिहारी भार्गव	–	अजमेर मेरवाड़ा
10. के.एम. पणिक्कर, जसवंत सिंह	–	बीकानेर
11. गोकुल लाल असावा	–	शाहपुरा (भीलवाड़ा)
12. दलेल सिंह	–	कोटा
13. रामचन्द्र उपाध्याय	–	अलवर

☑ संविधान सभा के महत्वपूर्ण निर्णय –

- ✓ 22 जुलाई, 1947 ई. – राष्ट्रध्वज को मान्यता।
- ✓ 13 मई, 1949 ई. – राष्ट्रमण्डल की सदस्यता को मान्यता दी गई।
- ✓ 24 जनवरी, 1950 ई. – राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को मान्यता दी गई।
  - – डॉ. राजेन्द्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए।
  - – यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी।
  - – इस दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया परन्तु यह विधायिका के रूप में कार्य करती रही। (1952 ई. तक)

☑ संविधान सभा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य –

- प्रतीक – हाथी
- संवैधानिक सलाहकार – सर बी. एन. राव
- सचिव – एच. वी. आर. अयंगर
- संविधान के प्रमुख ड्राफ्टमैन – एस. एन. मुखर्जी
- संविधान के सुलेखक (इटैलिक शैली) – प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा
- संविधान का अलंकरण – शांति निकेतन के नंद लाल बोस एवं ब्योहर राममनोहर सिन्हा
- मूल प्रस्तावना का अलंकरण – ब्योहर राममनोहर सिन्हा
- संविधान के हिन्दी संस्करण के सुलेखक – वसंत कृष्ण वैद्य

भारतीय संविधान के स्रोत

☑ **भारत सरकार अधिनियम – 1935 ई.**

- परिसंघीय ढाँचा (राज्यों की स्वायत्तता)
- राज्यपाल का पद
- न्यायिक प्रणाली
- संघ लोक सेवा आयोग
- आपातकालीन प्रावधान
- प्रशासनिक ढाँचा
- अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों हेतु विशेष प्रावधान
- द्विसदनीय व्यवस्था
- समवर्ती सूची
- नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का पद
- अध्यादेश जारी करना

☑ **ब्रिटेन का संविधान**

- संसदीय शासन
- द्विसदनीय व्यवस्था
- मंत्रिपरिषद् का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व
- मंत्रिमण्डलीय व्यवस्था
- विधि के समक्ष समता
- एकल नागरिकता
- संसदीय विशेषाधिकार
- परमाधिकार लेख (रिट)
- विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
- विधायी प्रक्रिया

☑ **अमेरिका का संविधान**

- स्वतंत्र न्यायपालिका
- न्यायिक पुनरवलोकन
- न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया (उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय)
- जनहित याचिका (PIL)
- मूल अधिकार
- राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया
- उपराष्ट्रपति का पद
- विधि का सम्मान संरक्षण
- विधि की सम्यक प्रक्रिया
- प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति (हम भारत के लोग)

☑ **कनाडा का संविधान**

- परिसंघीय व्यवस्था जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र में निहित हो।
- केन्द्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति
- उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता (राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है)

☑ **आयरलैण्ड का संविधान**

- राज्य के नीति निदेशक तत्व
- राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति
- राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन

☑ **दक्षिण अफ्रीका का संविधान**

- संविधान में संशोधन की प्रक्रिया
- राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन

☑ **ऑस्ट्रेलिया का संविधान**

- समवर्ती सूची
- संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
- प्रस्तावना का प्रारूप
- अन्तर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतन्त्रता
- अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए संघ राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है।

☑ **फ्रांस का संविधान**

- गणतंत्र
- प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के आदर्श

☑ **सोवियत संघ का संविधान**

- मूल कर्त्तव्य
- प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक) का आदर्श
- आयोजना

☑ **जापान का संविधान**

- विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

☑ **जर्मनी का संविधान**

- राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलम्बन
- केवल संघ आपातकाल लगा सकता है

प्रस्तावना

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

- 'हम भारत के लोग' अर्थात् सम्प्रभुता जनता में निहित है।

भारत को
- सम्पूर्ण प्रभुत्व
- समाजवादी
- पंथनिरपक्षेता
- लोकतांत्रिक
- गणराज्य

न्याय
- सामाजिक
- आर्थिक
- राजनैतिक

स्वतंत्रता
- विचार
- अभिव्यक्ति
- विश्वास
- धर्म
- उपासना

समता
- प्रतिष्ठा
- अवसर

बंधुता
- व्यक्ति की गरिमा
- राष्ट्र की एकता व अखण्डता

तारीख– 26 नवम्बर, 1949 ई.
(मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत् 2006 विक्रमी)

A-1 Keshav Vihar, Riddhi-Siddhi Chouraha, Gopalpura Bypass,
Jaipur- 302018 Mob.: 0141-3555948, 9636977490, 8955577492
Springboard ACADEMY

संविधान को
- अंगीकृत
- अधिनियमित
- आत्मार्पित करते हैं।

प्रस्तावना – भारतीय संविधान का दर्शन

- प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन है। प्रस्तावना में भारतीय गणराज्य की निम्नलिखित विशेषताएँ बताई गई हैं–

1. सम्प्रभुता

सम्प्रभुता से तात्पर्य है कि कोई देश पूरी तरह से स्वतंत्र हो अर्थात् वह अपने सभी निर्णय स्वयं लेता हो और किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से वह किसी अन्य देश/सत्ता के अधीन नहीं हो।

- 15 अगस्त, 1947 ई. को भारत एक डोमिनियन स्टेट बना। यद्यपि भारत स्वतंत्र हो गया था परन्तु हमारी शासन व्यवस्था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों से संचालित होती थी; जैसे–
  - 'भारत सरकार अधिनियम 1935' हमारे संविधान के रूप में प्रयोग किया जाता था।
  - संविधान सभा ही विधायिका का कार्य भी करती थी।
  - ब्रिटिश प्रिवी कांउसिल हमारा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था।
  - 26 जनवरी 1950 को भारत एक सम्प्रभु राष्ट्र बना।
  - पाकिस्तान 1956 तक डोमिनियन स्टेट रहा।
  - कनाड़ा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड अभी भी डोमिनियन स्टेट है क्योंकि ब्रिटिश क्राउन इनका राष्ट्राध्यक्ष है।
  - वर्तमान में लगभग सभी देशों को अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्देशों का पालन करना पड़ता है तथा उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक दबाव को भी मानना पड़ता है।

लेकिन इससे सम्प्रभुता सीमित नहीं होती क्योंकि प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही इन्हें स्वीकार करता है तथा यह कभी भी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता को त्यागने के लिए स्वतंत्र है।

नोट :–डोमिनियन का शाब्दिक अर्थ – शासन/शासित प्रदेश अर्थात् ब्रिटेन की साम्राज्ञी का स्वदेश तथा विदेश स्थित वह क्षेत्र जिस पर उनका शासन था, डोमिनियन की संज्ञा से अभिहित किया गया।
वर्तमान में डोमिनियन की जगह 'राष्ट्रमण्डल सदस्य' शब्द का प्रयोग किया जाता है।

2. समाजवाद

- भारत एक समाजवादी देश है परन्तु हमारा समाजवाद साम्यवाद से अलग है। यह हिंसक क्रांति का समर्थन नहीं करता बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से बदलावों का समर्थन करता है।
- व्यक्तिगत सम्पत्ति को मान्यता देता है।
- संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण पर बल देता है अर्थात् योग्यता के आधार पर वितरण।
- संसाधनों के अहितकारी संकेन्द्रण का विरोध करता है।
- कमजोर लोगों को विशेष संरक्षण देने पर बल देता है।
- भारतीय समाजवाद फेबियन समाजवाद है।

साम्यवाद	समाजवाद
➢ यह हिंसक क्रांति का समर्थन करता है।	➢ यह हिंसा का विरोध तथा लोकतांत्रिक आंदोलन का समर्थन करता है।
➢ यह निजी सम्पत्ति का विरोध करता है। संसाधनों पर सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार होना चाहिए।	➢ यह उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व को मान्यता देता है।
➢ यह राष्ट्रवाद को नहीं मानता।	➢ यह राष्ट्रवाद को मानता है।
➢ यह धर्म को नहीं मानते इनके अनुसार धर्म अफीम है।	➢ यह धर्म का समर्थन करते हैं।
➢ वर्ग संघर्ष	➢ वर्ग संघर्ष व वर्ग सहयोग दोनों
➢ संसाधनों का समान या आवश्यकता के अनुसार वितरण	➢ संसाधनों का योग्यता के अनुसार वितरण, साथ ही कमजोर वर्ग को विशेष संरक्षण।
➢ लोकतंत्र में विश्वास नहीं, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में विश्वास	➢ लोकतंत्र का समर्थन

माओवाद

➢ यह समाजवाद का ही एक रूप है। इसका प्रवर्तक माओ जेदोंग तुंग था। 1 अक्टूबर 1949 ई. को इसके नेतृत्व में चीन में क्रांति हुई। यह निम्नलिखित मामलों में मार्क्सवाद (साम्यवाद) से अलग है–

- इसके अनुसार किसान भी क्रांति कर सकते हैं जबकि मार्क्स के अनुसार औद्योगीकरण का चरम विकास होने पर मजदूर क्रांति कर सकते हैं।
- यह राष्ट्रवाद में विश्वास करता है।
- यह विश्व क्रांति का समर्थन नहीं करता; इसके अनुसार एक ही देश में साम्यवाद सुरक्षित रह सकता है।

3. पंथ निरपेक्षता

➢ भारत एक पंथनिरपेक्ष देश है क्योंकि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है।

➢ विधि का शासन है, विधि के समक्ष सभी समान है।

➢ धर्म के आधार पर राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता।

➢ लोकनियोजन में सभी धर्मों को समान अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं।

➢ धार्मिक स्वतंत्रता मूल अधिकार है।

➢ राज्य कोई धार्मिक कर नहीं लगाता।

➢ सभी नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।

➢ किंतु भारतीय पंथनिरपेक्षता की अवधारणा पाश्चात्य अवधारणा से भिन्न है।

भारतीय धर्म निरपेक्षता	पश्चिमी धर्म निरपेक्षता
• भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है–राज्य सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष है लेकिन धर्म से पृथक नहीं है।	• पश्चिम में राज्य सभी धार्मिक संस्थाओं और कार्यों से पृथक रहेगा।
• भारत में राज्य एवं धर्म के बीच सकारात्मक संबंध है अर्थात भारत में सर्वधर्म समभाव को अपनाया गया। • जिसका अर्थ है सभी धर्मों का समान संरक्षण किया जायेगा। (अनुच्छेद 25–28)	• राज्य एवं धर्म के बीच पूर्ण पृथकता रहेगी तथा राज्य धर्म के सार्वजनिक प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखता है।
• भारत में धर्मनिरपेक्षता प्राचीन एवं मध्य भारत से ही अपनायी गई है।	• पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा प्रबोधन के समय मध्य 17वीं शताब्दी में आयी।
• हालांकि भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन से 'पंथनिरपेक्षता' शब्द रखा गया।	• जिसे सर्वप्रथम फ्रांस द्वारा अपनाया गया।

☑ **पंथ निरपेक्षता v/s धर्म निरपेक्षता –**

➢ धर्म शब्द की उत्पत्ति 'धृ' धातु से हुई है जिसका अर्थ है, 'धारण करने योग्य'। धारण करने योग्य का अर्थ है– 'कर्त्तव्य'

➢ अतः परम्परागत रूप से धर्म का अर्थ था 'कर्त्तव्य'। इसलिए 'Secularism' का हिन्दी अनुवाद 'पंथनिरपेक्षता' है न कि 'धर्म निरपेक्षता'।

4. लोकतंत्र

जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है।

1. प्रत्यक्ष लोकतंत्र   2. अप्रत्यक्ष लोकतंत्र

1. प्रत्यक्ष लोकतंत्र –

यदि शासन में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी हो अर्थात् कार्यपालिका तथा विधायिका से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय जनता के द्वारा लिये जाते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के निम्न रूप हैः–

(i) रेफरेन्डम (परिपृच्छा) – जनता से ली गई राय जिसे लागू करना वैधानिक रूप से बाध्यकारी हो। प्रायः विदेशी मामलों में इसका प्रयोग किया जाता है।

(ii) प्लेबिसाइट (जनमत संग्रह) – जनता से ली गई राय जिसे लागू करना वैधानिक रूप से बाध्यकारी ना हो। घरेलू नीति निर्माण से संबंधित मामलों में इसका प्रयोग किया जाता है।

(iii) राइट टू रिकॉल – जनता के पास यह अधिकार होता है कि वह अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनका कार्यकाल पूरा होने से पूर्व वापस बुला सकती है अर्थात् उनको पद से हटा सकती है।

(iv) इनिशिएटिव (पहल) – इसमें विधि निर्माण करने के लिए जनता को पहल करने का अधिकार दिया जाता है। यदि निश्चित संख्या में जनता किसी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करती है तो इसे विधायिका में पेश किया जाना बाध्यकारी होता है। यह प्रावधान स्विट्जरलैण्ड में है।

➢ प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे देशों में संभव हो सकता है। भारत भौगोलिक दृष्टि से अत्यधिक विस्तृत है तथा यहाँ जनसंख्या भी अधिक है। भारत में संचार के साधनों की कमी भी है, साथ ही लोगों में शिक्षा व राजनीतिक विषयों की समझ भी कम है। अतः यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है।

2. अप्रत्यक्ष लोकतंत्र –

यदि शासन में जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी हो अर्थात् जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि यदि कार्यपालिका व विधायिका से संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हो तो इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते है। इसके अनेक रूप होते हैं–

(i)	संसदीय शासन व्यवस्था	–	भारत, ब्रिटेन
(ii)	अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था	–	अमेरिका
(iii)	दोहरी कार्यपालिका	–	फ्रांस
(iv)	बहुल कार्यपालिका	–	स्विट्जरलैण्ड

- अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को एक अन्य रूप में भी बाँटा जा सकता है–
  - (i) एकात्मक शासन व्यवस्थाः समस्त शक्तियाँ केन्द्र सरकार में निहित होती है। (ब्रिटेन)
  - (ii) परिसंघीय शासन व्यवस्थाः राज्यों को अधिक शक्तियाँ प्राप्त होती है।
- भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है तथा यहां संसदीय शासन व्यवस्था के तहत अर्द्ध–परिसंघीय ढाँचा अपनाया गया है।

5. गणराज्य

- यदि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं है तो इसे गणतंत्र कहते है। यह राजतंत्र की विरोधी विचारधारा है।
- अन्य अर्थ – किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति अर्थात सभी सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुले होंगे।

राष्ट्राध्यक्ष→वंशानुगत नहीं→गणराज्य

जनता→की शासन में भागदारी–लोकतंत्र

- ब्रिटेन लोकतंत्र है किन्तु गणराज्य नहीं। वहां लोकतान्त्रिक राजतंत्र है।
- चीन में लोकतंत्र नहीं है क्योंकि शासन में जनता की भागीदारी नहीं है परन्तु वह गणतंत्र है क्योंकि वहां वंशानुगत राष्ट्राध्यक्ष नहीं है।
- भारत, अमेरिका, फ्रांस लोकतांत्रिक गणराज्य है।
- ब्रुनेई में राजतंत्र है।

6. न्याय

- प्रस्तावना में न्याय के निम्नलिखित प्रकार दिए गए है–

(i) <u>**सामाजिक न्याय**</u> –

एक ऐसा समाज जिसमें निम्नलिखित आधारों पर भेदभाव नहीं हो– धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, रंग, उम्र, लैंगिक रूझान **(LGBTQ- लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेन्डर, क्वीर)** आदि।

- समाज में समानता हो तथा समाज सामाजिक रुढ़ियों, परम्पराओं, अंधविश्वासों, आडम्बरों आदि से मुक्त हो।
- व्यक्ति को विकास हेतु स्वच्छ व स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध हो।

(ii) **आर्थिक न्याय** –

आर्थिक न्याय से तात्पर्य है–

1. संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण' अर्थात् योग्यता के आधार पर वितरण किन्तु साथ ही वंचित व कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जाए।
2. सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध हो,
3. आर्थिक शोषण का अभाव हो,
4. न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित हों,
5. सभी की बुनियादी आवश्यकताएँ पूरी हो,
6. धन व उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेन्द्रण न हो।

(iii) **राजनीतिक न्याय** –

- सभी नागरिकों को मतदान करने व चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता हो,
- निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव प्रणाली हो,
- चुनावों में धनबल व बाहुबल का प्रयोग ना हो,
- चुनावों में जातिवाद, क्षेत्रवाद व साम्प्रदायिकता आदि का प्रयोग ना हो,
- चुनाव विकास के मुद्दों पर सम्पन्न हो।

❖ हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की माँग की थी।

प्रश्नः क्या प्रस्तावना संविधान का भाग हैं?

उत्तरः बेरूबाड़ी वाद, 1960 ई. – उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानन्द भारती वाद, 1973 ई. – उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उलट दिया तथा माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है।

एल.आई.सी. ऑफ इण्डिया वाद, 1995 ई. – उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है।

- किन्तु यह अनुच्छेदों की भांति स्वतंत्र रूप से प्रभावी नहीं है। यह न तो संसद को किसी प्रकार की शक्ति प्रदान करती है और न ही संसद की शक्ति पर कोई अंकुश लगाती है। यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।
- संविधान के किसी अनुच्छेद की व्याख्या करने हेतु प्रस्तावना को आधार बनाया जा सकता है अर्थात् प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में सहायक है।

प्रश्नः क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है?

उत्तरः केशवानन्द भारती वाद 1973 ई. में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया की संसद द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है अतः प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है लेकिन इससे संविधान का मूल ढाँचा प्रभावित नहीं होना चाहिए।

42वें संविधान संशोधन 1976 ई. द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके तीन नए शब्द जोड़े गए–

1. समाजवादी
2. पंथनिरपेक्षता
3. अखण्डता

भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ

- भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ है किन्तु मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। शेष अनुसूचियाँ कालान्तर में संविधान संशोधनों के माध्यम से संविधान में जोडी गई।

1. प्रथम अनुसूची

- राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के नाम व सीमाएँ

भारत

राज्य — केन्द्र शासित प्रदेश

2. द्वितीय अनुसूची

- परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान
- भारत की संचित निधि पर भारित वेतन

केन्द्र	राज्य
1. राष्ट्रपति	1. राज्यपाल
2. राज्यसभा (i) सभापति (ii) उपसभापति	2. विधानपरिषद् (i) सभापति (ii) उपसभापति
3. लोकसभा (i) अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष	3. विधानसभा (i) अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष
4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश	4. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन
5. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक	
6. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन	

3. तीसरी अनुसूची

शपथ का प्रारूप

केन्द्र	राज्य
1. संसद का उम्मीदवार	1. एम.एल.ए./एम.एल.सी. का उम्मीदवार
2. सांसद	2. एम.एल.ए./एम.एल.सी.
3. मंत्री	3. मंत्री
4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश	4. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
5. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक	

- अनुच्छेद 60 – राष्ट्रपति की शपथ।
- अनुच्छेद 69 – उपराष्ट्रपति की शपथ।
- अनुच्छेद 159 – राज्यपाल की शपथ।

नोट :– राज्यसभा के सभापति व उपसभापति; लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए अलग से शपथ का प्रावधान नहीं है।

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान शपथ लेता है।

4. चौथी अनुसूची

- राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन।

5. पाँचवीं अनुसूची

- अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित प्रावधान।

6. छठी अनुसूची

- असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित प्रावधान।

7. सातवीं अनुसूची

- संघ व राज्यों के मध्य विषयों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन
-

सूची	आरम्भ में विषय	वर्तमान विषय
संघ सूची	97	98
राज्य सूची	66	59
समवर्ती सूची	47	52

- 42वें संविधान संशोधन 1976 ई. द्वारा 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़े गए–

1. वन
2. वन्यजीव
3. नाप–तोल की इकाईयाँ
4. न्यायिक प्रशासन
5. शिक्षा

8. आठवीं अनुसूची

☑ **संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ –**

मूल रूप से 14 भाषाएँ थी, किन्तु वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं; जो निम्नलिखित हैं–

1.	असमिया	2.	बांग्ला
3.	गुजराती	4.	हिन्दी
5.	कन्नड़	6.	कश्मीरी
7.	मलयालम	8.	मराठी
9.	उड़िया	10.	पंजाबी
11.	संस्कृत	12.	तमिल
13.	तेलुगू	14.	उर्दू

नोट– 2011 में उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। (96वाँ संशोधन)

15. सिंधी

नोट– 21वें संविधान संशोधन, 1967 द्वारा जोड़ी गई।

16.	कोंकणी	17.	मणिपुरी
18.	नेपाली		

नोट– 71वें संविधान संशोधन, 1992 द्वारा जोड़ी गई।

19.	बोड़ो	20.	डोगरी
21.	मैथिली	22.	संथाली

नोट– 92वें संविधान संशोधन 2003, द्वारा जोड़ी गई।

9. नौवीं अनुसूची

- यह पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में जोड़ी गई।
- यदि किसी अधिनियम को इस अनुसूची में शामिल किया जाता है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता।
- जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने तथा भूमि सुधारों को लागू करने हेतु संसद द्वारा पारित अधिनियमों के संरक्षण के लिए इस अनुसूची का प्रावधान किया गया था।
- आरम्भ में इसमें 13 अधिनियम थे परन्तु कालान्तर में इनकी संख्या 284 हो गई।
  - ✦ केशवानंद भारती वाद 1972 :– सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी ढांचे/मूलढांचे की अवधारणा दी। इसके तहत् संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है।
  - ✦ इंदिरा गांधी/राजनारायण वाद 1975 :– इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन की मूल ढांचे का भाग माना।
- आई. आर. कोइल्हो बनाम तमिलनाडु वाद 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी अधिनियम 9वीं अनुसूची में रखे गये हैं, उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है।

10. दसवीं अनुसूची

☑ **दल–बदल विरोधी प्रावधान**

- यह 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में जोड़ी गई।
- 91वें संविधान संशोधन, 2003 द्वारा इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं।
- इसमें दल–बदल के आधार पर संसद तथा विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित प्रावधान है–
  - यदि कोई सदस्य चुनाव पश्चात दल बदलता है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
  - किसी दल के दो–तिहाई सदस्य एक साथ दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं और नया राजनीतिक दल नहीं बना सकते। इस आधार पर इन सदस्यों की सदस्यता नहीं जाएगी।
  - निर्दलीय सदस्य किसी दल में शामिल नहीं हो सकता।
  - मनोनीत सदस्य 6 माह के अन्दर किसी दल में शामिल हो सकते हैं।
  - यदि कोई सदस्य व्हिप (Whip) का उल्लंघन करता है तथा उसका राजनीतिक दल 15 दिन के भीतर उसे क्षमा नहीं करता है तो वह सदन की सदस्यता खो देगा।
- ये प्रावधान लोकसभा एवं विधानसभा अध्यक्ष पर लागू नहीं होते।
- दल–बदल का अन्तिम निर्णय सदन का अध्यक्ष या सभापति लेता है।
- किहोतो होलोहान वाद, 1992 – उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सभापति/अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

11. ग्यारहवीं अनुसूची

- यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ई. द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। (1993 में जोड़ी गई)
- इसमें पंचायतों को दी गई शक्तियों व उत्तरदायित्वों का उल्लेख है।
- इसमें कुल 29 विषय पंचायतों को दिए गए हैं।

नोट :– राजस्थान में पंचायतों को 22 विषय दिए गए हैं।

12. बारहवीं अनुसूची

- यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में जोड़ी गई है (1993 में जोड़ी गई है)।
- इसमें नगरीय निकायों को दी गई शक्तियों व उत्तरदायित्वों का उल्लेख है।
- इसमें कुल 18 विषय है।

भारतीय संविधान के भाग

भाग	विषय		अनुच्छेद
I	संघ व उसका राज्य क्षेत्र	–	अनुच्छेद 1 से 4
II	नागरिकता	–	अनुच्छेद 5 से 11
III	मौलिक अधिकार	–	अनुच्छेद 12 से 35
IV	राज्य के नीति निदेशक तत्व	–	अनुच्छेद 36 से 51
IV -क	मूल कर्त्तव्य	–	अनुच्छेद 51–क
V	संघ	–	अनुच्छेद 52 से 151
VI	राज्य	–	अनुच्छेद 152 से 237
VII	**निरस्त**	**–**	**अनुच्छेद 238 निरस्त**
VIII	संघ शासित प्रदेश	–	अनुच्छेद 239 से 242
IX	पंचायतें	–	अनुच्छेद 243 से 243–ण
IX -क	नगरीय निकाय	–	अनुच्छेद 243-त से 243–छ
IX -ख	सहकारिता	–	अनुच्छेद 243–ZH से 243–ZT
X	अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र	–	अनुच्छेद 244 से 244–क
XI	संघ व राज्यों के विधायी तथा प्रशासनिक संबंध	–	अनुच्छेद 245 से 263
XII	संघ व राज्य के मध्य वित्तीय संबंध	–	अनुच्छेद 264 से 300–क
XIII	अन्तर्राज्यीय व्यापार–वाणिज्य एवं समागम	–	अनुच्छेद 301 से 307
XIV	संघ व राज्यों के अधीन सेवाएँ	–	अनुच्छेद 308 से 323
XIV-क	न्यायाधिकरण	–	अनुच्छेद 323–क से 323–ख
XV	निर्वाचन	–	अनुच्छेद 324 से 329–क
XVI	कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान	–	अनुच्छेद 330 से 342-क
XVII	राजभाषा	–	अनुच्छेद 343–351
XVIII	आपातकालीन उपबंध	–	अनुच्छेद 352 से 360
XIX	प्रकीर्ण	–	अनुच्छेद 361 से 367
XX	संविधान संशोधन	–	अनुच्छेद 368
XXI	अस्थाई प्रावधान	–	अनुच्छेद 369 से 392
XXII	संक्षिप्त नाम, हिन्दी अनुवाद	–	अनुच्छेद 393 से 395

संघ व उसका राज्य क्षेत्र
(अनुच्छेद 1– 4)

अनुच्छेद 1 – 'संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र' –

- यह अनुच्छेद तीन बातें स्पष्ट करता है–
  1. देश का नाम
  2. राज्य की प्रकृति (राज्यों का संघ)
  3. भू–भाग
- 'इंडिया' जो कि 'भारत' है, 'राज्यों का संघ' होगा।
- संविधान में सभी स्थानों पर 'संघ' (यूनियन) शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें 'फेडरल' शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है।

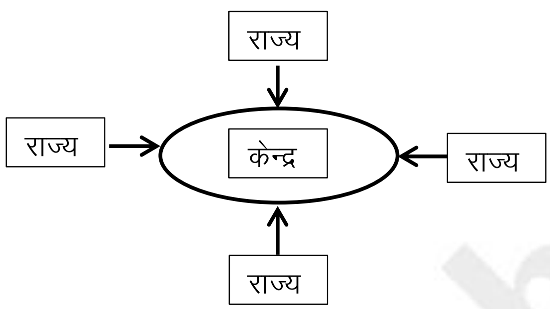

फेडरेशन ऑफ स्टेट्स (यू.एस.ए)

- राज्यों से केन्द्र की तरफ शक्ति हस्तांतरण।
- राज्य अधिक शक्तिशाली।
- अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ

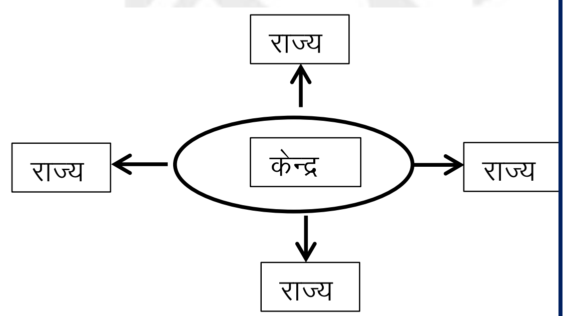

यूनियन ऑफ स्टेट्स (भारत)

- केन्द्र से राज्यों की तरफ शक्ति हस्तांतरण।
- केन्द्र अधिक शक्तिशाली।
- विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ

- डॉ. भीमराव अम्बेड़कर के अनुसार 'शांतिकाल में भारत 'फेडरल' हैं तथा आपातकालीन स्थितियों में यह 'यूनियन' हो जाता है। उनके अनुसार संविधान की मूल प्रवृति फेडरल है। लेकिन इसमें फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया क्योंकि अमेरिका की भाँति भारत राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है बल्कि प्राचीनकाल से ही भारत एक राष्ट्र हैं यहाँ देश द्वारा राज्य बनाए गए है ना कि राज्यों द्वारा देश।
- भारतीय संविधान में यूनियन व फेडरेशन दोनों की विशेषताएँ है इसिलए अधिकांश लोग इसे 'क्वासी फेडरल' (अर्द्ध परिसंघीय) मानते हैं।
- भारत 'विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ' है जबकि अमेरिका 'अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ' है।
- **अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न शामिल हैं–**
  1. सभी राज्य
  2. सभी केन्द्र शासित प्रदेश
  3. अन्य अधिग्रहीत क्षेत्र

अनुच्छेद 2 – नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना –

- संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी राज्य को भारत में मिला सकती है तथा संसद को जो भी शर्तें उचित लगे, उनके आधार पर राज्य की स्थापना कर सकती है। (यह भारत से बाहर के राज्यों के लिए है)

अनुच्छेद 3 – नए राज्य के गठन संबंधी प्रावधान –

- केन्द्र किसी भी राज्य को विभाजित कर नए राज्य का गठन कर सकता है। किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र तथा सीमा में परिवर्तन कर सकता है।

नए राज्य के गठन की प्रक्रिया

- नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है।
- विधेयक को संबंधित राज्य/राज्यों के पास भेजा जाता है और विधानमण्डल में पेश किया जाता है।
- राज्य के विधानमण्डल की सहमति या असहमति से विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- केन्द्रशासित प्रदेश के मामले में सम्बन्धित विधानमण्डल के संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं होती, संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है।
- राष्ट्रपति विधेयक को लौटाने की समय सीमा निर्धारित करता है एवं समय सीमा में बदलाव भी कर सकता है।
- यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
- इसे संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है।
- राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है।

अनुच्छेद – 4

- पहली व चौथी अनुसूची में किए गए परिवर्तनों को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।
- बेरूबाड़ी वाद 1960 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत के राज्यक्षेत्र का कोई भी भाग संविधान संशोधन के बिना किसी अन्य देश को नहीं दिया जा सकता। (अनुच्छेद 4 इसे संरक्षण नहीं देता।)
- 9वें संविधान संशोधन, 1960 के द्वारा बेरूबाड़ी क्षेत्र (पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में स्थित) पाकिस्तान को दिया गया इससे नेहरू–नून (पाकिस्तानी प्रधानमंत्री फिरोज़ खान नून) समझौता, 1958 लागू किया गया।
- 1969 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सामान्य सीमा विवादों को हल करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है । इसे मंत्रिमण्डल के निर्णय से भी हल किया जा सकता है। लेकिन इसमें राज्यक्षेत्र/भू–भाग की क्षति नहीं होनी चाहिए।
- 100वाँ संविधान संशोधन 2015 के तहत बांग्लादेश के साथ भू–भाग का आदान प्रदान किया गया। भारत ने बांग्लादेश को 111 एन्क्लेव तथा बांग्लादेश ने भारत को 51 एन्क्लेव दिए।

  एन्कलेव – विदेशी क्षेत्र से घिरा भू–भाग

राष्ट्रीय एकीकरण

- 15 अगस्त 1947 ई. को कुल 565 रियासतें (भारत – 552, पाकिस्तान – 13) अस्तित्व में थी ।
- अक्टूबर 1947 ई. – जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया गया। यहाँ के शासक हरिसिंह ने 'विलय पत्र' पर हस्ताक्षर किए।
- फरवरी 1948 ई. – जूनागढ़ रियासत (नवाबः मुहम्मद महाबत खान III, दीवान– शाहनवाज भुट्टो) का भारत में विलय किया गया। यहाँ 'जनमत संग्रह' करवाया गया था।
- नवम्बर 1948 ई. – हैदराबाद रियासत (निज़ामः उस्मान अली आसफ खान) का पुलिस कार्यवाही – 'ऑपरेशन पोलो' द्वारा भारत में विलय किया गया।
- चंद्रनगर 1948 ई. – जनमत संग्रह में 97% लोगों ने भारत में विलय का समर्थन किया।
- 2 फरवरी 1951 ई. – भारत को हस्तांतरित।
- 2 अक्टूबर 1954 ई. – पश्चिम बंगाल में विलय।
- 1954 ई. – यनम, पाण्डिचेरी, करैकल तथा माहे को फ्रांसीसियों से मुक्त करवाया गया। इसी वर्ष दादरा व नगर हवेली को भी पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया।
- 1961 ई. – गोवा, दमन व दीव को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया।
- 10वाँ संविधान संशोधन 1961 ई. – दादरा व नगर हवेली का भारत में विलय कर केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया। (अनुच्छेद 240)
- 12वाँ संविधान संशोधन 1962 ई. – गोवा, दमन व दीव का भारत में विलय कर केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया। (अनुच्छेद 240)
- 14वाँ संविधान संशोधन, 1962 ई. – पाण्डिचेरी, यनम, करैकल, माहे को भारत में मिलाया गया तथा इन्हें मिलाकर पाण्डिचेरी केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया। (अनुच्छेद–239क, 240)

☑ **सिक्किम –**

- सिक्किम में चोग्याल (धर्मराज) का शासन था।
- सिक्किम को पहले 'रक्षित राज्य' का दर्जा दिया गया था।
- सिक्किम ने अपने तीन विषय भारत को दे रखे थे–
  - (i) विदेश मामले
  - (ii) रक्षा
  - (iii) संचार
- सिक्किम विधानमण्डल ने सिक्किम शासन अधिनियम, 1974 ई. पारित किया ।
- सिक्किम शासन अधिनियम, 1974 ई.
  - चोग्याल – संवैधानिक प्रमुख ।
  - उत्तरदायी शासन ।
  - भारत के साथ राजनीतिक सहयोग ।

☑ **35वाँ संविधान संशोधन, 1974** ई.

- 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम के साथ संबंधों को और मजबूत बनाया गया।
- सिक्किम को 'सहायक राज्य' का दर्जा दिया गया। इस हेतु संविधान में अनुच्छेद 2–क तथा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई।
- लोक सभा एवं राज्य सभा प्रत्येक में 2 सदस्य किंतु राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ।

- सिक्किम के नागरिक भारतीय प्रशासनिक सेवा हेतु योग्य।
- उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ।
- कालान्तर में 1975 ई. में 'जनमत संग्रह' करवाया गया जिसमें सिक्किम की जनता ने भारत में विलय के पक्ष में मतदान किया।

☑ **36वाँ संविधान संशोधन, 1975 ई.**

- सिक्किम का पूरी तरह से भारत में विलय कर दिया गया।
- अनुच्छेद 2-'क' व 10वीं अनुसूची को हटा दिया गया।

राज्यों का पुनर्गठन

- होमरूल आन्दोलन के समय भाषायी आधार पर राज्यों के गठन की मांग।
- 1920 ई. में काँग्रेस द्वारा भाषायी आधार पर प्रान्तीय समितियाँ गठित।
- 1946 ई. के काँग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग।

☑ **एस. के. धर आयोग, 1948 ई.**

- अध्यक्ष – एस.के.धर
- सदस्य–
    1. पन्ना लाल
    2. जगत नारायण।
- इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया।
- राज्यों के पुनर्गठन का आधार–
    - प्रशासनिक सुविधा
    - भौगोलिक समीपता
    - वित्तीय आत्मनिर्भरता
    - विकास

☑ **जे.वी.पी. समिति, 1948 ई.**

- सदस्य –
    1. जवाहर लाल नेहरू
    2. वल्लभ भाई पटेल
    3. पट्टाभि सीतारम्मैया
- इस समिति का कार्य धर आयोग की अनुशंसाओं की समीक्षा करना था।
- इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग को अस्वीकार कर दिया।
- मूल संविधान में कुल 29 राज्य थे जो 4 श्रेणियों में विभक्त थे–
    - भाग क – ब्रिटिश गर्वनर शासित प्रांत
    - भाग ख – विधानमंडल वाली पूर्व देशी रियासतें
    - भाग ग – चीफ कमिश्नर प्रांत और कुछ देशी रियासतें
    - भाग घ – अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह

भाग–क	भाग–ख	भाग–ग	भाग–घ
असम	हैदराबाद	अजमेर	अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह
बिहार	जम्मू और कश्मीर	कुर्ग	
बॉम्बे	मध्य भारत	दिल्ली	
मध्य प्रांत	मैसूर	भोपाल	
मद्रास	पटियाला और पूर्वी पंजाब	बिलासपुर	
उड़ीसा	राजस्थान	कूच–बिहार	
पंजाब	सौराष्ट्र	हिमाचल प्रदेश	
संयुक्त प्रांत	ट्रावनकोर–कोचीन	कच्छ	
पश्चिम बंगाल	विंध्य प्रदेश	मणिपुर	
		त्रिपुरा	

- तेलुगु भाषी लोग पृथक आन्ध्र राज्य की माँग कर रहे थे। इस हेतु आन्दोलनकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। इसलिए यह आंदोलन अधिक तेज व हिंसक हो गया अतः सरकार को इनकी माँग माननी पड़ी।
- 1953 ई. में भाषायी आधार पर प्रथम राज्य के रुप में आन्ध्र प्रदेश का गठन किया गया।
- इसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी ये मांग बढ़ने लगी इसलिए फजल अली आयोग का गठन किया गया।

☑ **फजल अली आयोग, 1953 ई.**

- सदस्य –
  1. के.एम. पणिक्कर
  2. हृदयनाथ कुंजरू
- आयोग ने 1955 ई. में अपनी सिफारिशें दी।
- इसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग को स्वीकार कर लिया किन्तु यह भी माना कि केवल भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए वरन् अन्य बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। 'एक भाषा–एक राज्य' के सिद्धान्त को अस्वीकार कर दिया।

अनुशंसाएँ, 1955 ई.

- राज्यों के पुनर्गठन के समय देश की एकता व सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए।
- भाषायी व सांस्कृतिक एकरूपता बनी रहनी चाहिए।
- देश का आर्थिक, वित्तीय व प्रशासनिक विकास अवरूद्ध नहीं होना चाहिए।
- जनता के कल्याण के लिए राज्यों में व सम्पूर्ण देश में 'आयोजना' को बढ़ावा मिले।
- राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए तथा उनके स्थान पर केवल दो श्रेणियों होनी चाहिए–
  (i) राज्य (ii) केन्द्र शासित प्रदेश
- 7वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें लागू कर दिया।
- 1 नवम्बर, 1956 ई. को 7वाँ संविधान संशोधन लागू हुआ।
- 14 राज्य तथा 6 केन्द्र शासित प्रदेश गठित किए गए। (आयोग ने 16 राज्यों की सिफारिश की।)

☑ **14 राज्य –**

1.	आन्ध्रप्रदेश	2.	असम
3.	बिहार	4.	बॉम्बे
5.	जम्मू–कश्मीर	6.	केरल
7.	मध्यप्रदेश	8.	मद्रास
9.	मैसूर	10.	उड़ीसा
11.	पंजाब	12.	राजस्थान
13.	उत्तरप्रदेश	14.	प. बंगाल

☑ **6 केन्द्र शासित प्रदेश–**

1.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	2.	लकादीव
3.	दिल्ली	4.	हिमाचल प्रदेश
5.	मणिपुर	6.	त्रिपुरा

- 1960 ई. – बॉम्बे को दो राज्यों में विभाजित किया गया 1. महाराष्ट्र, 2. गुजरात
- 1961 ई. – दादरा और नगर हवेली (केन्द्रशासित प्रदेश)
- 1962 ई. – गोवा, दमन, दीव, पाण्डिचेरी (केन्द्रशासित प्रदेश)
- 1963 ई. – 'नागालैण्ड' (असम से अलग)
- 1966 ई. – पंजाब को विभाजित कर दो नए राज्य–पंजाब और हरियाणा तथा एक केन्द्रशासित प्रदेश – चंडीगढ़ बनाया गया।
- 1971 ई. – हिमाचल प्रदेश को केन्द्रशासित प्रदेश से राज्य का दर्जा।
- 1972 ई. – 'मणिपुर', 'त्रिपुरा', 'मेघालय' को राज्य बनाया गया।
  - मणिपुर, त्रिपुरा– केन्द्र शासित प्रदेश थे।
  - मेघालय– असम के भीतर 'उपराज्य' था।
  - (22वें संविधान संशोधन से मेघालय को 'उपराज्य' दर्जा दिया गया था।)
  - 'अरूणाचल प्रदेश' तथा 'मिजोरम' को केन्द्रशासित प्रदेश बनाया गया।
- 1975 ई. – सिक्किम का भारत में विलय कर पूर्ण राज्य का दर्जा।
- 1987 ई. – मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश व गोवा को राज्य बनाया गया।
- 2000 ई. – छत्तीसगढ – मध्यप्रदेश से पृथक
- उत्तरांचल – उत्तरप्रदेश से पृथक
- झारखण्ड – बिहार से पृथक
- 2014 ई. – तेलंगाना – आन्ध्रप्रदेश से पृथक
- 2019 ई. – जम्मू–कश्मीर – 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में बाँट दिया गया।
  (i) कश्मीर (ii) लद्दाख
- 26 जनवरी, 2020 ई. – दमन & दीव और दादरा नागर हवेली का विलय कर दिया गया व एक केन्द्र शासित प्रदेश बना दिया गया।

☑ **नाम परिवर्तन**

वर्ष	**पूर्व नाम**	**परिवर्तित नाम**
1950	संयुक्त प्रान्त	उत्तर प्रदेश
1969	मद्रास	तमिलनाडु
1973	मैसूर	कर्नाटक
1973	लकादीव	लक्षद्वीप
1992	संघ शासित प्रदेश, दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
2006	उत्तरांचल	उत्तराखण्ड
2006	पाण्डिचेरी	पुदुचेरी
2011	उड़ीसा	ओड़िशा

भाग–II – मौलिक अधिकार
(अनुच्छेद 12–35)

☑ **यू.एस.ए. – बिल ऑफ राईट्स – 1791 ई.**
☑ **यू.के. – बिल ऑफ राईट्स – 1689 ई.**

1. अधिकार
2. प्राकृतिक अधिकार
3. प्रकृति द्वारा प्रदत्त
4. सार्वभौमिक
5. नकारात्मक
6. मानवाधिकार
7. विधिक अधिकार
8. संवैधानिक अधिकार
9. मूल अधिकार

☑ मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे किन्तु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपति के अधिकार को मौलिक अधिकार से संवैधानिक अधिकार बना दिया गया।

1.	अनुच्छेद 14–18	समता का अधिकार
2.	अनुच्छेद 19–22	स्वतंत्रता का अधिकार
3.	अनुच्छेद 23–24	शोषण के विरूद्ध अधिकार
4.	अनुच्छेद 25–28	धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
5.	अनुच्छेद 29–30	सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार
6.	अनुच्छेद 32	संवैधानिक उपचारों का अधिकार

अनुच्छेद - 12

'राज्य की परिभाषा' राज्य में निम्नलिखित शामिल है।

✓ **संघ की विधायिका व कार्यपालिका**
✓ **राज्यों की विधायिका व कार्यपालिका**
✓ **अन्य प्राधिकारी –**

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
(ii) राज्य निधि से पोषित संस्थान
(iii) स्थानीय निकाय

अनुच्छेद - 13

13(1) - संविधान पूर्व की विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है वह असंगति की सीमा तक शून्य होगी।

13(2) - राज्य द्वारा बनाया गया कानून जो मूल अधिकारों से असंगत है तो वह असंगति की सीमा तक शून्य होगा। (संविधान पश्चात् के कानूनों के लिए)

13(3) - इसमें 'विधि' को परिभाषित किया गया है–

- अध्यादेश
- आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना
- विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा

13(4) - यह 24वें संविधान संशोधन, 1971 ई. द्वारा जोड़ा गया। इसके अनुसार अनुच्छेद 13(2) केवल सामान्य विधियों पर लागू होता है। यह अनुच्छेद–368 के तहत किए गए संशोधनों पर लागू नहीं होता।

☑ **न्यायिक पुनरावलोकन** – यदि विधायिका द्वारा पारित कोई कानून और कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश संविधान के उपबंधों या मूल भावना से असंगत है तो न्यायालय ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित करके उसके प्रवर्तन को रोक सकता है।

☑ **ग्रहण का सिद्धांत** –यदि कोई संविधान पूर्व का कानून मूल अधिकारों से असंगत है तो वह शून्य हो जाता है। किन्तु कालांतर में संसद मूल अधिकारों में कोई संशोधन करती है और उससे वह असंगति दूर हो जाती है तो वह कानून पुनर्जीवित हो जाता है ।

☑ **पृथक्करण का सिद्धांत** –यदि कोई विधि मूल अधिकारों से असंगत है तो वह असंगति की सीमा तक शून्य होगी; अर्थात् पूरी विधि शून्य नहीं होगी, विधि के वे भाग ही शून्य होंगे जो मूल अधिकारों से असंगत हैं। विधि का शेष भाग लागू रहेगा।

समानता का अधिकार

(अनुच्छेद 14–18)

अनुच्छेद 14 - विधि के समक्ष समता व विधि का समान संरक्षण –

- **विधि के समक्ष समता** – यह अवधारणा विधि के शासन की नकारात्मक व्याख्या है।
  - कानून के समक्ष सभी समान हैं, विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। (व्यक्ति – विधिक व्यक्ति, कम्पनी, निगम आदि)
  - यह अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है।
- **विधि का समान संरक्षण** – यह विधि के शासन की सकारात्मक व्याख्या करता है।
  - समान परिस्थितियों में विधि समान व्यवहार करेगी।
  - विधि युक्तिसंगत भेदभाव कर सकती है। जैसे–राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद, विधायक आदि को विशेषाधिकार दिए गए है।
  - यह अवधारणा यू.एस.ए. से ली गई है।

☑ **विधि के समक्ष समता के अपवाद**

1. **राष्ट्रपति/राज्यपाल को प्राप्त विमुक्तियाँ** (अनुच्छेद 361)
   - अपने पद पर रहते हुए किए गए कार्य हेतु किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है।
   - कार्यकाल के दौरान उनके विरूद्ध कोई भी आपराधिक या गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।
   - उनके द्वारा व्यक्तिगत क्षमता में किये गए किसी भी कार्य के लिए उनके विरूद्ध सिविल कार्यवाही भी नोटिस देने के 2 महीने बाद ही की जा सकती है।
2. अनुच्छेद 105 के तहत् संसद सदस्यों के विशेषाधिकार।
3. अनुच्छेद 194 के तहत् राज्य विधानमण्डल के सदस्यों के विशेषाधिकार।
4. अनुच्छेद 31- ग – अमीर और गरीब में सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है।
5. विदेशी शासकों और राजनयिकों (राजदूत, उच्चायुक्त) को सिविल एवं आपराधिक अधिकारिता से उन्मुक्ति।

6. संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसकी एजेंसियों में काम करने वाले लोगों को उन्मुक्ति।

अनुच्छेद 15 - कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध –

15(1) - राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा।

15(2) - निजी संस्थाओं, होटल, भोजनालय, सार्वजनिक कुएँ, बावड़ी, तालाब, मंदिर आदि स्थानों पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।

अपवाद –

- 15(3) – महिलाओं व बच्चों के कल्याण हेतु विशेष योजनाएँ व कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं।
- 15(4) – सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए राज्य विशेष योजनाएँ व कार्यक्रम बना सकता है।
- 15(5) – सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जा सकता है।(सरकारी व निजी दोनों प्रकार के शिक्षण संस्थानों में आरक्षण हो सकता है लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नहीं हो सकता)
- 15(6) – आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण तथा विशेष योजनाएँ व कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं (103वाँ संविधान संशोधन, 2019)

☑ शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गो (ओबीसी) के लिए आरक्षण–

- इस प्रावधान को संविधान के 93वें संशोधन, 2005 द्वारा शामिल किया गया।
- इसके अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों (आई.आई.टी, आई.आई.एम. आदि।) में 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई।
- उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को 'क्रीमीलेयर के सिद्धान्त' का पालन करने का आदेश दिया।

☑ क्रीमीलेयर –

1. संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्य)
2. केन्द्रीय एवं राज्य सेवाओं में वर्ग ए तथा वर्ग बी के अधिकारी।
3. सेना में कर्नल या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी।
4. डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, कलाकार आदि प्रकार के पेशेवर।
5. जिन लोगों की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक हो।

☑ शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण–

- यह प्रावधान 103 व संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया।
- इसके अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों (आई.आई.टी, आई.आई.एम. आदि।) में 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई।

☑ आरक्षण सम्बन्धी अर्हता –

- पाँच एकड़ से कम कृषि भूमि
- हजार वर्ग फीट से कम आवासीय फ्लैट
- नगरपालिकाओं के अन्तर्गत 100 गज से छोटा आवासीय भूखण्ड
- अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर 200 गज से छोटा आवासीय भूखण्ड
- जिन लोगों की वार्षिक आय 8 लाख से कम हो।

✪ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का निर्धारण करते समय परिवार द्वारा धारित संपति को एक साथ जोड़ा जाएगा।

अनुच्छेद 16 - लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता

16(1) राज्य लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराएगा।

16(2) लोक नियोजन में किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्‌भव/वंशानुगतता व निवास के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।

अपवाद –

16(3) संसद किसी राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश की स्थानीय नौकरियों में वहाँ का निवासी होने की बाध्यता रख सकती है।

16(4) पिछड़े वर्ग जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए स्थान आरक्षित रखे जाते हैं।

- अनुच्छेद 16 (4 'ए') पदोन्नति में आरक्षण – (77वाँ संविधान संशोधन, 1995 ई.)
- अनुच्छेद 16 (4 'बी') बैकलॉग भरने में 50% से अधिक आरक्षण – (81वाँ संविधान, संशोधन, 2000 ई.)
- इसके अन्तर्गत 1990 ई. में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की।

16(5) धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के लिए स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं।

16(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण (103वाँ संविधान संशोधन 2019 ई.)

- इसके अन्तर्गत 2019 ई. में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की।

☑ **इंद्रा साहनी केस – 1992 ई.**

- उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती।
- उच्चतम न्यायालय ने ओ.बी.सी. में क्रीमिलेयर की अवधारणा दी अर्थात् क्रीमिलेयर वालों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है।

✪ 2022 में उच्चतम न्यायालय ने 103वें संविधान संशोधन को मूल संरचना का उल्लंघन नहीं माना। न्यायालय ने कहा की 50 प्रतिशत की सीमा अनम्य नहीं है।

अनुच्छेद 17 –अस्पृश्यता का अन्त –

- राज्य सभी प्रकार की अस्पृश्यता को समाप्त करेगा।
- 'अस्पृश्यता' शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया।
- मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में अस्पृश्यता शब्द के बारे में बताया की इसका प्रयोग शाब्दिक एवं व्याकरणीय समझ से परे ऐतिहासिक है।
- यह एक पूर्ण अधिकार है क्योंकि इसका कोई अपवाद नहीं है।
- यह अधिकार निजी व्यक्ति के विरूद्ध है।
- अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 ई.
  - 1976 ई. में संशोधन कर इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1976 ई. कर दिया गया।

अनुच्छेद 18 – उपाधियों का अंत –

18(1) राज्य शिक्षा व सेना संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।

18(2) भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता।

18(3) विदेशी नागरिक जो भारत सरकार की सेवा में है, वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश में उपाधि नहीं ले सकता।

18(4) सरकारी सेवा में नियुक्त भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश से सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता।

☑ **बालाजी राघवन वाद 1996**

- इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि उपाधियाँ नहीं है, वरन् सम्मान है। अतः ये समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है।
- हालांकि न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता इन सम्मानों का प्रयोग अपने नाम से पहले या बाद में ना करे अन्यथा उन्हें पुरस्कारों को त्यागना पड़ेगा।

नागरिक पुरस्कार (भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री)

- 1954 ई. में प्रारम्भ किए गए।
- 1977 ई.– जनता पार्टी सरकार ने रोक दिए।
- 1980 ई.– पुनः प्रारम्भ किए गए।
- एक वर्ष में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की संख्या 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या एक विशेष वर्ष में अधिकतम तीन तक सीमित है।

स्वतंत्रता का अधिकार

(अनुच्छेद 19–22)

अनुच्छेद 19

- यह अधिकार राज्य के विरूद्ध है, निजी व्यक्ति के विरूद्ध नहीं है।
- किसी कम्पनी और विदेशियों को प्राप्त नहीं।

अनुच्छेद 19 (1)(क) - वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता –

- प्रेस की स्वतंत्रता
- विज्ञापन की स्वतंत्रता
- चुप रहने की स्वतंत्रता
- बन्द के विरूद्ध अधिकार
- झण्ड़ा फहराने का अधिकार
- विचारों के प्रचार–प्रसार का अधिकार
- फोन टेप के विरूद्ध अधिकार
- सरकारी गतिविधियों को जानने का अधिकार
- धरना, प्रदर्शन का अधिकार (हड़ताल नहीं)

अनुच्छेद 19(1) (ख) – शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार (बिना शस्त्र के)

अनुच्छेद 19(1)(ग) – संघ (सभा, संघ, सहकारी समितियाँ) बनाने का अधिकार और उसे नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार। (इसमें निम्नलिखित शामिल हैं – कम्पनी, एन.जी.ओ., राजनीतिक दल, समितियाँ, क्लब आदि)

अनुच्छेद 19 (1) (घ) – अबाध विचरण करने का अधिकार (इसमें केवल आन्तरिक अर्थात देश के अन्दर निर्बाध संचरण का अधिकार है।)

अनुच्छेद 19 (1)(ड़) – निवास का अधिकार

अनुच्छेद 19 (1)(च) – सम्पति का अधिकार (44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटाकर अनुच्छेद 300 क में रखा गया है।

अनुच्छेद 19 (1))(छ) – आजीविका/व्यवसाय का अधिकार

- ✪ **अनुराधा भसिन वाद (2020 ई.)** में उच्चतम न्यायालय ने माना की इन्टरनेट के माध्यम से किसी भी पेशे का अभ्यास करना या किसी भी व्यापार करने की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 (1) (छ) के तहत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है।

अनुच्छेद 19 (2) - वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं –

- भारत की सम्प्रभुता व अखण्डता
- राज्य की सुरक्षा
- विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत् संबंध
- न्यायालय की अवमानना
- मानहानि
- नैतिकता
- लोक व्यवस्था
- अपराध उद्दीपन

अनुच्छेद 19(3) :- सम्मेलन की स्वतंत्रता की सीमाएँ –

- भारत की सम्प्रभुता व अखण्ड़ता
- लोक व्यवस्था (धारा 144 CrPC, धारा 141 IPC)

अनुच्छेद 19(4) :- संघ बनाने की स्वतंत्रता की सीमाएँ –

- भारत की सम्प्रभुता व अखण्डता
- लोक व्यवस्था
- नैतिकता

अनुच्छेद 19(5) :- अबाध संचरण व निवास की स्वतंत्रता की सीमाएँ –

- जन साधारण के हित में
- अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण हेतु
- उच्चतम न्यायालय ने इसमें व्यवस्था दी की किसी वैश्या के संचरण के अधिकार को सार्वजनिक नैतिकता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- बम्बई उच्च न्यायालय ने एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध को वैध बताया।
- यह केवल आंतरिक गतिविधियों की रक्षा करता है। (देश के अंदर)

अनुच्छेद 19(6) :- आजीविका की स्वतंत्रता की सीमाएँ –

- जनसाधारण के हित में (वेश्यावृत्ति, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध), लाइसेंस द्वारा नियमन।

अनुच्छेद 20 :- 'अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण' –

अनुच्छेद 20(1) :-

- किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत दण्डित किया जा सकता है जो अपराध के समय लागू था अर्थात् आपराधिक कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता।
- नागरिक कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन किया जा सकता है।

अनुच्छेद 20(2)

- **दोहरी क्षति नहीं** – एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दो बार सजा नहीं दी जा सकती।
  विभागीय कार्यवाही अलग से की जा सकती है।

अनुच्छेद 20(3)

- किसी भी आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरूद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
- यह अधिकार सशरीर उपस्थिति, अंगूठे का निशान, खून का नमूना, हस्ताक्षर आदि देने से संरक्षण नहीं देता है।
- सिविल मामलों में यह अधिकार मान्य नहीं होता है।

अनुच्छेद 21 :– 'प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार' –

- किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।

☑ **ए.के.गोपालन v/s स्टेट ऑफ मद्रास वाद, 1950 ई.**

- इस केस में न्यायालय ने अनुच्छेद–21 की 'संकीर्ण' व्याख्या की।
- जिसमें 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' से तात्पर्य है
- न्यायपालिका को कानून का अक्षरशः पालन करना होता है। यदि निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बनाया कोई कानून अतार्किक, अन्यायपूर्ण, अनुचित और प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध भी है तब भी न्यायपालिका उनकी समीक्षा नहीं कर सकती है।
- इसी प्रकार प्राण व दैहिक स्वतन्त्रता के अधिकार की भी न्यायालय ने संकीर्ण व्याख्या की तथा माना कि जीवन के अधिकार से तात्पर्य है जीवित रहना तथा बंधक नहीं बनाया जाना अर्थात् किसी को भी जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता।

☑ **मेनका गाँधी v/s यूनियन ऑफ इंडिया वाद, 1978 ई.**

- इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उलट दिया तथा अनुच्छेद–21 को व्यापक अर्थ में लिया।
- न्यायालय के अनुसार 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' को 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' के अर्थ में लिया जाना चाहिए।
- जिसके तहत न्यायपालिका कार्यपालिका व विधायिका दोनों के स्वेच्छाचारी कार्यों की समीक्षा कर सकती है।

विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (ब्रिटेन, जापान) –

न्यायपालिका

कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा कर सकती है।	**विधायिका** के कार्यों की समीक्षा नहीं कर सकती है।

विधि की सम्यक प्रक्रिया (यू.एस.ए.)-

न्यायपालिका

कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा कर सकती है।	**विधायिका** के कार्यों की समीक्षा कर सकती है।

- अर्थात् यदि कोई कानून अतार्किक, अन्यायपूर्ण, अनुचित हो तथा यह प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध हो तो न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है।
- न्यायालय किसी कानून के अक्षरशः पालन के लिए बाध्य नहीं है।
- इसी तरह से न्यायालय ने 'जीवन के अधिकार' की भी व्यापक व्याख्या की।
- न्यायालय ने माना कि केवल जीवित रहना या साँसें लेना ही जीवन नहीं है, पशुवत् जीवन जीने को जीवन नहीं कहा जा सकता।
- जीवन का अर्थ है 'मानवीय गरिमा से युक्त जीवन' – यह सम्पूर्ण, मूल्यवान, अर्थपूर्ण जीवन होना चाहिए।
    - ✦ अनुच्छेद 14, 19 व 21 अनन्य नहीं है अर्थात् ये एक दूसरे से जुड़े है। ऐसी कोई विधि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार करती है हम उसे अनुच्छेद 14, 19 व 21 के तहत् न्यायपालिका द्वारा जांचा जाता है।
    - ✦ उच्चतम न्यायालय के अनुसार भारत में विधि की स्थापित प्रक्रिया में ही विधि की सम्यक प्रक्रिया निहित है। क्योंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था के साथ स्वतंत्र न्यायपालिका है।

☑ **गरिमापूर्ण जीवन के लिए निम्नलिखित अधिकारों का होना अनिवार्य है–**

1. मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार
2. स्वच्छ पर्यावरण (प्रदूषण रहित जल व वायु, हानिकारक उद्योगों से सुरक्षा) का अधिकार
3. जीवकोपार्जन का अधिकार
4. निजता का अधिकार
5. आश्रय का अधिकार
6. स्वास्थ्य का अधिकार
7. 14 वर्ष से कम आयु तक निःशुल्क शिक्षा
8. निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार
9. एकांत कारावास के विरूद्ध अधिकार
10. त्वरित सुनवाई का अधिकार
11. हथकड़ी लगाने के विरूद्ध अधिकार
12. अमानवीय व्यवहार के विरूद्ध अधिकार
13. देर से फाँसी के विरूद्ध अधिकार
14. विदेश यात्रा करने का अधिकार
15. बंधुआ मजदूरी के विरूद्ध अधिकार

16. हिरासत में शोषण के विरूद्ध अधिकार
17. आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार
18. सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार
19. राज्य के बाहर ना जाने का अधिकार
20. निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार
21. कैदी के लिए जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का अधिकार
22. महिलाओं के साथ आदर व सम्मानपूर्ण व्यवहार का अधिकार
23. सार्वजनिक फाँसी के विरूद्ध अधिकार
24. पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार
25. सूचना का अधिकार
26. प्रतिष्ठा का अधिकार
27. सजा के फैसले पर अपील का अधिकार
28. सामाजिक सुरक्षा व परिवार की सुरक्षा का अधिकार
29. सामाजिक व आर्थिक न्याय व सशक्तीकरण का अधिकार
30. बेड़ियों के खिलाफ अधिकार
31. उचित जीवन बीमा पॉलिसी का अधिकार
32. सोने (नींद) का अधिकार
33. ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार
34. संधारणीय विकास का अधिकार
35. अवसर का अधिकार
36. अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार
37. गरिमा के साथ मरने का अधिकार (निष्क्रिय इच्छामृत्यु)

अनुच्छेद 21(क) :– शिक्षा का अधिकार

- इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
- यह अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है।
- पूर्व में यह अनुच्छेद 45 के तहत नीति निदेशक तत्व था।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ।
- इसमें प्रावधान था कि सभी निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य है। जिनके शुल्क का भुगतान सरकार करेगी।

अनुच्छेद 22 :– कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण –

☑ **गिरफ्तारी करते समय व्यक्ति को तीन अधिकार दिए गए हैं–**

- गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार
- गिरफ्तारी के समय वकील से परामर्श लेने का अधिकार
- 24 घण्टे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार (इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है)

☑ **दो प्रकार के लोगों को उपर्युक्त अधिकार प्राप्त नहीं हैं–**

- शत्रु देश के नागरिक को।
- निवारक निरोध के तहत निरूद्ध किए गए व्यक्ति को।

☑ **निवारक निरोध कानून के तहत निरूद्ध व्यक्ति को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं–**

1. उसे अधिकतम 3 माह के लिए निरूद्ध किया जा सकता है। इससे अधिक अवधि बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेतु योग्य व्यक्ति) से गठित सलाहकारी बोर्ड से सिफारिश आवश्यक है।

   सलाहकारी बोर्ड–

   - ✦ अध्यक्ष–उच्च न्यायालय का न्यायाधीश।
   - ✦ सदस्य–उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, की योग्यता रखता हो।
2. निरूद्ध व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाना चाहिए हालांकि जनहित में तथ्य बताने से इंकार भी किया जा सकता है।
3. निरूद्ध व्यक्ति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से निरोध के विरूद्ध न्यायालय में अपील कर सकता है।

☑ **संसद निम्न प्रावधान भी करती है–**

- विशेष प्रकार के केस व स्थितियाँ जिसमें निरोध की अवधि तीन माह से अधिक भी हो सकती है। (बिना सलाहकारी बोर्ड की सलाह के)
- निरोध किये जाने की अधिकतम अवधि का निर्धारण
- सलाहकारी बोर्ड के लिए जाँच की प्रक्रिया

❖ 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से निरूद्ध करने की अवधि को 3 माह से कम करके 2 माह कर दिया गया है किन्तु अभी इसे लागू नहीं किया गया है।

❖ संसद व राज्य विधानमण्डल दोनों निरोधक कानून बना सकते है।

☑ **निम्नलिखित विषयों पर केवल संसद निवारक निरोध कानून बना सकती है–**

- रक्षा
- विदेशी मामले
- भारत की सुरक्षा

☑ **निम्नलिखित विषयों पर संसद और राज्य विधानमण्डल दोनों ही निवारक निरोध कानून बना सकते है–**

- राज्य की सुरक्षा
- लोक व्यवस्था
- समुदाय हेतु आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करवाना।

☑ **निवारक निरोधक कानूनों के उदाहरण –**

1. निवारक निरोध अधिनियम, 1950 (1969 में समाप्त)
2. आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA), 1971 (1978 में समाप्त)
3. विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम (COFEPOSA), 1974
4. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA),1980
5. आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम (TADA),1985 (1995 में समाप्त)
6. आतंकवाद निवारण अधिनियम (POTA), 2002 (2004 में निरस्त)
7. गैर–कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967

शोषण के विरूद्ध अधिकार

(अनुच्छेद 23–24)

अनुच्छेद 23 –मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध –

- मनुष्यों (पुरुष, महिला, बच्चे) की खरीद–बिक्री पर रोक।
- दास प्रथा, वेश्यावृत्ति और देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध।
- इन कृत्यों पर दण्डित करने हेतु संसद ने 'अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956' बनाया है।
- अनुच्छेद 23 बेगार प्रथा, बलात् श्रम तथा बंधुआ मजदूरी पर भी प्रतिबंध लगाता है।
- बलात् श्रम में आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाध्यता तथा न्यूनतम मजदूरी से कम पर कार्य करवाना आदि भी सम्मिलित है।
- किन्तु जनहित में राज्य अनिवार्य सेवा ले सकता है। राज्य इसके बदले वेतन देने हेतु बाध्य नहीं है, लेकिन राज्य धर्म मूलवंश जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

अनुच्छेद 24 – बच्चों को कारखानों इत्यादि में नियोजित करने का निषेध –

- बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 2016
- यह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि में नियोजन का निषेध करता है किन्तु वे पारिवारिक व्यवसाय में हाथ बँटा सकते हैं।
- यह संशोधन अधिनियम 'किशोरों (14 से 18 वर्ष की आयु) के खतरनाक व्यवसायों में नियोजन का प्रतिषेध करता है।
- उल्लंघन किए जाने पर कारावास :– 6 माह से 2 वर्ष, जुर्माना– 20000 रु से 50000 रु
- अपराध दोहराने पर कारावास :– 1 से 3 वर्ष

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

(अनुच्छेद 25–28)

अनुच्छेद 25 – अन्तः करण की स्वतंत्रता –

धर्म

↓ मानने का अधिकार | ↓ आचरण का अधिकार | ↓ प्रचार–प्रसार का अधिकार

सीमाएँ –

1. लोक व्यवस्था
2. नैतिकता
3. स्वास्थ्य के आधार
4. अन्य मूल अधिकार

A-1 Keshav Vihar, Riddhi-Siddhi Chouraha, Gopalpura Bypass,
Jaipur- 302018 Mob.: 0141-3555948, 9636977490, 8955577492
Springboard ACADEMY

अनुच्छेद 26 :– धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार

- धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों हेतु संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार।
- धार्मिक कार्यक्रमों के प्रबंधन का अधिकार
- धार्मिक उद्देश्य के लिए चल व अचल सम्पति अर्जित करने का अधिकार
- विधि के तहत सम्पति के प्रशासन करने का अधिकार

  सीमाएँ –

  1. लोक व्यवस्था
  2. नैतिकता
  3. स्वास्थ्य

❖ उच्चतम न्यायालय ने धार्मिक संप्रदायों के लिए तीन शर्तें रखी।

1. ये व्यक्तियों का समूह होना चाहिए।
2. इनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए।
3. इनका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए।

इसके अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय ने **रामकृष्ण मिशन** और **आनंद मार्ग** को धार्मिक संप्रदाय माना तथा **अरविन्दो समाज** को धार्मिक सम्प्रदाय नहीं माना।

अनुच्छेद 27 – राज्य किसी धर्म विशेष के विकास हेतु कर नहीं लगाएगा –

- इसका अर्थ यह हुआ कि करों का प्रयोग सभी धर्मों के रखरखाव के लिए किया जा सकता है।
- हालांकि धार्मिक स्थान से जुड़ी गैर धार्मिक गतिविधियों पर शुल्क लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद 28 – धार्मिक शिक्षण की कक्षा में उपस्थित ना होने का अधिकार –

- सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती।
- निजी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।
- राज्य द्वारा प्रशासित एवं धर्म विशेष के लिए स्थापित की गई संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
(अनुच्छेद 29–30)

अनुच्छेद 29 – अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण –

- भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने वाले नागरिकों को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि का सरंक्षण करने का अधिकार है।
- राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति व भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।
- उच्चतम न्यायालय ने इस अनुच्छेद के सम्बन्ध में कहा कि यह केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं, जैसा की सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि 'नागरिकों के अनुभाग' शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से है।
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाषा की रक्षा में भाषा के संरक्षण हेतु आन्दोलन करने का अधिकार भी इसमें सम्मिलित है।

अनुच्छेद 30 – शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार –

- 30(1) – भाषायी व धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
- 30(1)(क) - अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित एवं प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के समय क्षतिपूर्ति की रकम इतनी हो जिससे अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में कोई कमी ना हो । (44वाँ संविधान संशोधन)
- राज्य जब शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है तो उपर्युक्त संस्थाओं के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 31 – सम्पति का अधिकार –

- 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकारों से हटा दिया गया तथा अनुच्छेद 300–क (भाग–XII) में रखा गया
- अब यह मूल अधिकार नहीं है बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है।
- इसके तहत कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपति से वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 31-क

- जनहित में राज्य किसी भी निजी सम्पति का अधिग्रहण कर सकता है तथा यह सभी प्रकार के निजी व्यापारों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है।
- इसके लिए प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

अनुच्छेद 31-ग

- इसके तहत यदि अनुच्छेद 39(ख), 39(ग) के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसद कोई कानून बनाती है और यह कानून अनुच्छेद 14, 19 व 31 के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो इस कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता।
- इस प्रकार की विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती ।

अनुच्छेद 32 – संवैधानिक उपचारों का अधिकार –

- डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की 'मूल आत्मा एवं हृदय' कहा है।
- इस अनुच्छेद के अनुसार मूल अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में जा सकता है।
- उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का 'रक्षक एवं गांरटी देने' वाला माना गया है।
- यदि व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है।

1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण

- यदि किसी व्यक्ति को अवैधानिक तरीके से बंधक बनाया जाता है तो बंधक को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय द्वारा यह रिट जारी की जाती है।
- यह सरकारी तथा निजी व्यक्ति अथवा संस्था दोनों के विरूद्ध जारी की जा सकती है।
- यदि सरकार के विरूद्ध यह रिट जारी की जाती है तो यह मुख्य सचिव को जारी की जाती है।
- यह (बन्दी प्रत्यक्षीकरण) लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है "शरीर को प्रस्तुत किया जाए"।

2. परमादेश

- इसका शाब्दिक अर्थ है – 'हम आदेश देते हैं'।
- यदि सार्वजनिक पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसके विरूद्ध यह रिट जारी कर उसे कर्त्तव्यपालन का आदेश दिया जाता है।
- यह निष्क्रिय को सक्रिय करने के लिए होती है।
- यह केवल सार्वजनिक अधिकारियों तथा प्राधिकरणों के खिलाफ जारी की जा सकती है।

☑ **निम्नलिखित के विरूद्ध यह रिट जारी नहीं की जा सकती है–**

1. राष्ट्रपति
2. राज्यपाल
3. निजी व्यक्ति या संस्था
4. जब कर्त्तव्य विवेकाधीन शक्तियों के अधीन हो
5. संविदाओं से संबंधित कार्य
6. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

3. प्रतिषेध

- इसका शाब्दिक अर्थ है– 'रोकना'
- यह रिट उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्नतर न्यायालय के विरूद्ध जारी की जाती है यदि निम्नतर न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करता है।
- यह रिट सक्रिय को निष्क्रिय करती है।
- यह रिट केवल न्यायिक एवं अर्द्धन्यायिक प्राधिकरणों के विरूद्ध जारी की जा सकती है।
- प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों एवं निजी व्यक्ति या निकाय के विरूद्ध ये रिट जारी नहीं की जाती है।

4. उत्प्रेषण

- इसका शाब्दिक अर्थ है–'प्रमाणित होना' या 'सूचना देना'।
- यह रिट उच्चतर न्यायालय के द्वारा निम्नतर न्यायालय के विरूद्ध जारी की जाती है यदि निम्नतर न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है।
- इसमें उच्चतर न्यायालय मामले को अपने पास मंगवाता है और स्वयं सुनवाई करता है।
- 1991 ई. में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह रिट कार्यपालिका के विरूद्ध भी जारी की जा सकती है।
- विधायी निकायों तथा निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरूद्ध यह रिट उपलब्ध नहीं है।

प्रतिषेध	उत्प्रेषण
➢ प्रतिषेध में केवल निम्नतर न्यायालय को किसी कार्य को करने से रोका जाता है।	➢ इसमें निम्नतर न्यायालय को कार्य करने से रोका भी जाता है तथा उच्चतर न्यायालय केस को अपने पास मंगवा लेता है।
➢ यह रिट केवल निम्नतर न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान जारी की जा सकती है।	➢ यह मामले की सुनवाई के दौरान तथा सुनवाई के बाद भी जारी की जा सकती है।
➢ यह केवल न्यायपालिका के विरुद्ध जारी की जा सकती है।	➢ यह न्यायपालिका व कार्यपालिका दोनों के विरूद्ध जारी की जा सकती है।

5. अधिकार पृच्छा

- इसका शाब्दिक अर्थ है किसी 'प्राधिकृत या वारंट द्वारा'।
- यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे राजनीतिक व प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया जाता है जिसके लिए वो योग्य नहीं है तो यह रिट जारी की जा सकती है।
- यह नियुक्त व्यक्ति के विरूद्ध जारी की जाती है, नियुक्त करने वाले के विरूद्ध जारी नहीं की जा सकती है।
- इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के विरूद्ध जारी नहीं किया जा सकता।
- इसे किसी भी व्यक्ति (प्रभावित नहीं है तो भी) द्वारा दायर किया जा सकता है।

☑ उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता –

उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय
• उच्चतम न्यायालय रिट जारी करने के लिए बाध्य है क्योंकि अनुच्छेद – 32 हमारा मूल अधिकार है।	• उच्च न्यायालय रिट जारी करने हेतु बाध्य नहीं है क्योंकि अनुच्छेद–226 हमारा मूल अधिकार नहीं है।
• उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के हनन के मामले में ही रिट जारी कर सकता है, अन्य मामलों में नहीं ।	• उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के हनन के साथ ही अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है।
• राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकार निलम्बित किए जा सकते है यदि अनुच्छेद–32 को निलम्बित कर दिया जाता है तो उच्चतम न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकता।	• राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद–226 को निलम्बित नहीं किया जा सकता इसलिए राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति यथावत् बनी रहती है।

अनुच्छेद 33 –

- संसद सशस्त्र बलों, अर्द्ध–सैनिक बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसी एवं अन्य के मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है ।
- 'सैन्य बलों के सदस्य' का अभिप्राय इसमें वो कर्मचारी भी शामिल है, जो सेना में नाई, बढ़ई, चौकीदार, दर्जी आदि का कार्य करते है।

अनुच्छेद 34 –

- जिन क्षेत्रों में सैन्य विधि (मार्शल लॉ) लागू हो वहाँ मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है।
- मार्शल लॉ की संविधान में व्याख्या नहीं की गई है।

अनुच्छेद 35 –

- मूल अधिकारों में कटौती का अधिकार केवल संसद को है।
- संविधान में जिन मूल अधिकारों में कटौती का प्रावधान है, संसद उन्हीं में कटौती कर सकती है। उदाहरणः अनुच्छेद 16, 32, 33 और 34

अनुच्छेद 35 (क)

- 1954 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जोड़ा गया।
- जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों के लिए विशेष प्रावधान थे–
  - अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार
  - राज्य की नौकरी के आवेदन
  - राज्य सरकार की योजनाओं एवं सरकारी छात्रवृतियों का लाभ।
- 2019 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटा दिया गया।

☑ **वे मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है–**

अनुच्छेद 15 :– कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध

अनुच्छेद 16 :– लोक नियोजन में अवसरों की समानता

अनुच्छेद 19 :– अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित छः अधिकार

अनुच्छेद 29 :– अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

अनुच्छेद 30 :– शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

☑ **आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलम्बन**

अनुच्छेद 358 :– राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है।

44वाँ संविधान संशोधन –

- यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा ।

अनुच्छेद 359 :–

- राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अन्य अनुच्छेदों (मूल अधिकारों) को निलंबित कर सकता है ।

44वाँ संविधान संशोधन :–

- राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है ।

मूल अधिकारों में संशोधन

अनुच्छेद 13(2) :– संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों को सीमित करता हो ।

अनुच्छेद 368 :– संसद की संविधान संशोधन की शक्ति।

☑ **शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ –1951 ई.**

अनुच्छेद 13(2) & अनुच्छेद 368

- सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद–13 (2) केवल सामान्य विधियों पर लागू होता है, और संविधान संशोधन अधिनियम पर नहीं। अर्थात संसद सामान्य विधि द्वारा मूल अधिकारों को सीमित (कम) नहीं कर सकती किन्तु संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सीमित कर सकती है ।

☑ **सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य –1965 ई.**

- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को दोहराया अर्थात संसद सामान्य विधि द्वारा मूल अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती किन्तु संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सीमित कर सकती है

☑ **गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य –1967 ई.**

अनुच्छेद 13(2) – अनुच्छेद 368

- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उलट दिया और इसने माना कि संविधान संशोधन अधिनियम भी एक विधि है अतः अनुच्छेद 13(2) संविधान संशोधन अधिनियम पर भी लागू होता है अर्थात संसद संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भी मूल अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती ।
- अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का अधिकार नहीं देता बल्कि इसमें संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। संशोधन की शक्ति सामान्य विधायी शक्ति से प्राप्त होती है।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस निर्णय को भूतकाल से लागू नहीं किया जा सकता अर्थात् इससे पहले मूल अधिकारों में जो कटौती की गई है वह यथावत् रहेगी लेकिन भविष्य में संसद मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती।

24वाँ संविधान संशोधन –1971 ई.

- इसके द्वारा अनुच्छेद 13(4) व 368(3) संविधान में जोड़े गए। इनमें यह प्रावधान था कि अनुच्छेद 13(2) केवल सामान्य विधियों पर लागू होता है और अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होता ।
- इसके द्वारा जोड़ा गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने हेतु बाध्य है।

25वाँ संविधान संशोधन –1971 ई.

- इसके तहत् अनुच्छेद 31 सी जोड़ा गया।

- इसमें प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 39 (बी) व 39 (सी) के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यदि संसद कोई अधिनियम पारित करती है और इस अधिनियम से अनुच्छेद 14, 19 व 31 के मूल अधिकारों का हनन होता है तो इस आधार पर अधिनियम असंवैधानिक नहीं है।
- इस प्रकार की विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

☑ **केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य –1973 ई.**

- उच्चतम न्यायालय में 24वें तथा 25वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी।
- इस हेतु 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का गठन किया गया जिसने 7:6 के बहुमत से निर्णय दिया।
- न्यायालय ने 24वें तथा 25वें संविधान संशोधन को वैधानिक ठहराया अर्थात् यह माना कि अनुच्छेद–368 के तहत किए गए संविधान संशोधन द्वारा संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है।
- किन्तु न्यायालय के अनुसार संसद संविधान के बुनियादी ढाँचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती।
- 25वें संविधान संशोधन के दूसरे भाग को न्यायालय ने असंवैधानिक ठहराया क्योंकि यह न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को कम करता है तथा न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का बुनियादी ढाँचा है।

42वाँ संविधान संशोधन –1976 ई.

- इसके तहत अनुच्छेद 31–ग का विस्तार किया गया।
- इसमें यह प्रावधान किया गया कि 'सभी नीति निदेशक तत्वों' के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यदि संसद कोई विधि बनाती है तथा इस विधि से अनुच्छेद–14, 19 व 31 के मूल अधिकारों का हनन होता है तो इस आधार पर यह अधिनियम अवैधानिक नहीं होगा।

☑ **मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ –1980 ई.**

- उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 31–ग में किए गए विस्तार को चुनौती दी गई। न्यायालय ने इस विस्तार को असंवैधानिक माना तथा अनुच्छेद 31–ग को पूर्ववर्ती रूप में पुनः स्थापित किया गया।
- न्यायालय के अनुसार नीति निदेशक तत्वों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता।
- इसी समय न्यायालय ने यह माना कि मूल अधिकार व नीति निदेशक तत्व आपस में विरोधाभासी नहीं है। दोनों के उद्देश्य (मानव कल्याण) समान है अतः दोनों एक दूसरे के पूरक है।
- इसके बावजूद यदि दोनों में कोई विरोधाभास होता है तो नीति निदेशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को सर्वोपरि माना जाएगा।

संविधान का बुनियादी ढाँचा

☑ **मूल ढाँचे का उद्भव–**

- संविधान के अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं, यह विषय संविधान लागू होने के एक वर्ष पश्चात् ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया।
  1. **शंकरी प्रसाद वाद (1951 ई.)** – इसमें पहले संविधान संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा की मौलिक अधिकारों में संशोधन अनुच्छेद–368 के अन्तर्गत आता है एवं अनुच्छेद 13 में 'विधि' शब्द के अन्तर्गत मात्र सामान्य विधियाँ ही आती है, संविधान संशोधन अधिनियम नहीं।

2. **सज्जन सिंह वाद (1965 ई.)** – इसमें न्यायालय ने फिर से माना कि अनुच्छेद–368 के तहत बनाया गया संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत विधि नहीं है।
3. **गोलकनाथ वाद (1967 ई.)** – इसमें उच्चतम न्यायालय ने अपने पूववर्ती निर्णय को उलट दिया और न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय है इसलिए संसद मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती है।
4. **केशवानन्द भारती (1973 ई.)** – इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को पलट दिया। न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि संसद मूल अधिकारों में कमी भी कर सकती है किन्तु संविधान के मूल ढाँचे से छेडछाड नहीं कर सकती। इस प्रकार 'मूल ढाँचे की अवधारणा' अस्तित्व में आई।
5. **वामन राव वाद (1980 ई.)** – इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धान्त को मानते हुए स्पष्ट किया कि यह 24 अप्रैल 1973 (अर्थात केशवानन्द भारती मामले में फैसले के दिन) के बाद अधिनियमित संविधान संशोधनों पर लागू होगा।

❖ न्यायालय के अनुसार संविधान का मूल ढाँचा तथ्य नहीं है बल्कि यह एक अवधारणा है इसलिए न्यायालय समय–समय पर इसकी व्याख्या करता रहेगा। देश, काल, परिस्थिति के अनुसार इसकी व्याख्या अलग हो सकती है।

☑ **मूल संरचना/मूल ढाँचा के तत्व –**

1. संविधान की सर्वोच्चता
   संप्रभु, लोकतान्त्रिक एवं गणराज्य स्वरूप वाली सरकार
   संविधान का पंथनिरपेक्ष स्वरूप
   देश की एकता व अखण्डता
2. संसदीय शासन व्यवस्था
3. संविधान का संघीय स्वरूप
4. स्वतंत्र न्यायपालिका
5. न्यायिक पुनरावलोकन
6. विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण
7. स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रणाली
8. विधि का शासन
9. मूल अधिकारों व नीति–निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन
10. संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति
11. कल्याणकारी राज्य (सामाजिक– आर्थिक न्याय)
12. न्याय तक प्रभावकारी पहुँच
13. मौलिक अधिकारों के मूलभूत सिद्धान्त
14. अनुच्छेद 32, 136, 141 तथा 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियाँ।
15. अनुच्छेद 226 तथा 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्ति

भाग–IV- नीति निदेशक तत्व
(अनुच्छेद 36–51)

☑ राज्य की नीति के निदेशक तत्व

- निदेशक तत्व 'संविधान की आत्मा एवं दर्शन' है।
- ये विधायी, कार्यकारी एवं प्रशासनिक मामलों में राज्य हेतु संवैधानिक निर्देश या सिफारिशें है।
- इनका उद्देश्य 'लोक कल्याणकारी राज्य' की स्थापना करना है।
- निदेशक तत्व 'गैर न्यायोचित प्रकृति' के है अर्थात् इनके उल्लंघन पर इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता ।

☑ निदेशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद –

अनुच्छेद 36 :– 'राज्य की परिभाषा'

'राज्य' में निम्नलिखित शामिल है–

- संघ की विधायिका एवं कार्यपालिका
- राज्यों की विधायिका एवं कार्यपालिका
- अन्य प्राधिकारी
    - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
    - राज्य विधि से पोषित संस्थान

अनुच्छेद 37 – नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।

अनुच्छेद 38 – राज्य ऐसी 'सामाजिक व्यवस्था' का निर्माण करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो।

अनुच्छेद 38 (2) –आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं, अवसरों में किसी भी प्रकार की असमानता ना हो।

अनुच्छेद 39 – राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व–

(a) पुरूषों व महिलाओं को' रोजगार के समान अवसर'

(b) राज्य 'भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण' इस प्रकार करेगा कि 'सभी के हितों की पूर्ति हो सके।

(c) राज्य 'अर्थव्यवस्था का प्रबंधन' इस प्रकार करेगा कि 'धन व उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेन्द्रण' न हो।

(d) पुरूषों व महिलाओं को 'समान कार्य के लिए समान वेतन'।

(e) कर्मकारों, महिलाओं, बच्चों को बाध्य होकर वह कार्य ना करना पडे जो उनकी उम्र व सामर्थ्य के अनुरूप ना हो।

(f) बच्चों को स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाना।

अनुच्छेद 39(क) :– समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता (42वाँ संविधान संशोधन, 1976 ई.)

अनुच्छेद 40 :– राज्य पंचायतीराज संस्थाओं की स्थापना करेगा तथा उन्हें सशक्त बनाएगा। (मनरेगा अधिनियम)

अनुच्छेद 41 :— कुछ दशाओं में (वृद्ध, दिव्यांगजन, बेरोजगार, बीमार व्यक्ति आदि) काम, शिक्षा व लोकसहायता उपलब्ध करवाना।

अनुच्छेद 42 :— कार्यस्थल पर न्यायसंगत व मानवोचित दशाएँ गर्भवती महिलाओं को अवकाश/प्रसूति सहायता। (मातृत्व लाभ अधिनियम, 2016 ई.)

अनुच्छेद 43 :— निर्वाह योग्य मजदूरी, कुटीर उद्योग

अनुच्छेद 43(क) :— कर्मकारों को प्रबंधन में हिस्सेदारी दी जानी चाहिए

अनुच्छेद 43(ख) :— सहकारिता को प्रोत्साहन (97वाँ संविधान संशोधन 2011 ई.)
मजदूरों को सहकारी समितियों की स्थापना की अनुमति दी जानी चाहिए। (42वाँ संविधान संशोधन)

अनुच्छेद 44 :— 'समान नागरिक संहिता' लागू की जाए।

- **सिविल मामले (व्यक्ति बनाम व्यक्ति)**
  जैसे— विवाह, तलाक, वसीयत, सम्पत्ति विवाद (सभी के लिए समान कानून नहीं)
- **आपराधिक मामले (व्यक्ति बनाम राज्य)**
  जैसे— हत्या, डकैती, चोरी, झगड़ा (सभी के समान कानून)

अनुच्छेद 45 — 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पोषण तथा आरम्भिक शिक्षा की व्यवस्था।
(अनुच्छेद 21(क), 86वाँ संविधान संशोधन द्वारा)

अनुच्छेद 46 — अनूसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आर्थिक सहायता व शिक्षा।

अनुच्छेद 47 — राज्य पोषाहार, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य में सुधार करेगा।
(राज्य खतरनाक औषधियों व मादक पेय पर प्रतिबन्ध लगाएगा।)

अनुच्छेद 48 — कृषि व पशुपालन में आधुनिक व वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
{पशुओं की नस्ल सुधार व संरक्षण के प्रयास हो तथा बूचडखानों को बंद किया जाए (गोवध निषेध)}

अनुच्छेद 48 क — पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा।

अनुच्छेद 49 — राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 50 — कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण।

अनुच्छेद 51 —

- विश्व शांति व सुरक्षा की स्थापना करना।
- विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण व न्यायपूर्ण संबंधों को बढावा।
- अन्तर्राष्ट्रीय संधियों, समझौते, व कानूनों का सम्मान करना।
- अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से सुलझाना।

नीति निदेशक तत्वो में संशोधन			
42वाँ संविधान संशोधन, 1976 ई.	**44वाँ संविधान संशोधन, 1978 ई.**	**86वाँ संविधान संशोधन, 2002 ई.**	**97 वाँ संविधान संशोधन, 2011 ई.**
अनुच्छेद 39 **अनुच्छेद 39 (क)** **अनुच्छेद 43 (क)**	**अनुच्छेद 38**	**अनुच्छेद 45**	**अनुच्छेद 43 (ख)**

अनुच्छेद 48 (क)			

☑ नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण :–

- संविधान में नीति निदेशक तत्वों का पृथक से कोई वर्गीकरण नहीं किया है, परन्तु निम्नलिखित तीन आधारों पर नीति निदेशक तत्वों को वर्गीकृत किया जा सकता है–
  1. समाजवादी सिद्धांत
  2. गाँधीवादी सिद्धांत
  3. उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत

✪ समाजवादी सिद्धांत –

- अनुच्छेद 38
- अनुच्छेद 39
- अनुच्छेद 39(क)
- अनुच्छेद 41
- अनुच्छेद 42
- अनुच्छेद 43, 43(क)
- अनुच्छेद 47

✪ गाँधीवादी सिद्धांत –

- अनुच्छेद 40
- अनुच्छेद 43
- अनुच्छेद 43(ख)
- अनुच्छेद 46
- अनुच्छेद 47
- अनुच्छेद 48

✪ उदारवादी–बौद्धिक सिद्धांत –

- अनुच्छेद 44
- अनुच्छेद 45
- अनुच्छेद 48
- अनुच्छेद 48(क)
- अनुच्छेद 49
- अनुच्छेद 50
- अनुच्छेद 51

भाग–IV(क) - मूल कर्त्तव्य
अनुच्छेद 51(क)

☑ **मूल कर्त्तव्य –**

- **सरदार स्वर्ण सिंह समिति** की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया।
- हालांकि समिति ने संविधान में आठ मूल कर्तव्यों को जोडे जाने का सुझाव दिया था किन्तु 1976 ई. में 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोडे गए।
- ये मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है।
- मूल कर्त्तव्य गैर–न्यायोचित प्रकृति के हैं।
- संसद चाहे तो उपयुक्त विधि बनाकर इनका क्रियान्वयन करवा सकती है।
- मूल कर्त्तव्य भारतीय परंम्पराओं, आदर्शों, धर्म व जीवन पद्धति आदि को प्रदर्शित करते हैं (उनका प्रतिनिधित्व करते हैं)

☑ **प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि–**

1. संविधान का पालन करें और उसके **आदर्शो, संस्थानों, राष्ट्रध्वज** व **राष्ट्रगान** का आदर करें।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।
3. भारत की **सम्प्रभुता, एकता** और **अखण्डता** की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें।
4. देश की रक्षा करे व आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो **पंथ, भाषा** और **प्रदेश** या **वर्ग** पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध हो।
6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे।
7. प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अन्तर्गत **वन, झील, नदी** और **वन्यजीव** है, की रक्षा करे उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे।
8. **वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद** और **ज्ञानार्जन** तथा **सुधार की भावना** का विकास करें।
9. सार्वजनिक सम्पति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहें।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके।
11. 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावक अथवा संरक्षक या प्रतिपालक जैसी भी स्थिति में हो, शिक्षा के अवसर प्रदान करें। (86वें संविधान संशोधन 2002 ई. द्वारा संविधान में जोड़ा गया।)

☑ **वर्मा समिति, 1999 ई. –** कुछ मूल कर्त्तव्यों को लागू करवाने हेतु वर्तमान में लागू वैधानिक प्रावधानों की पहचान की।

☑ **सरदार स्वर्ण सिंह समिति में 12 सदस्य थे–**

1 स्वर्ण सिंह (अध्यक्ष)	2 ए. के. अन्तुले
3 सिद्धार्थ शंकर राय	4 सी.एम. स्टीफन
5 रजनी पटेल	6 एच. आर. गोखले
7 वी. ए. सैय्यद मोहम्मद	8 वी. एन. गॉडगिल

9 डी. पी. सिंह — 10 डी. सी. गोस्वामी

11 वी. पी. साठे — 12 बी. एन. बनर्जी

भाग–V -संघ सरकार
(अनुच्छेद 52–151)

संघ सरकार

↓

कार्यपालिका (अनुच्छेद 52–78)
- ✪ राष्ट्रपति
- ✪ उपराष्ट्रपति
- ✪ प्रधानमंत्री
- ✪ मन्त्रिपरिषद
- ✪ महान्यायवादी

विधायिका (अनुच्छेद 79–123)

न्यायपालिका (अनुच्छेद 124–147)

CAG (अनुच्छेद 148–151)

कार्यपालिका
(अनुच्छेद 52–78)

राष्ट्रपति

- **अनुच्छेद 52** – भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
- **अनुच्छेद 53** – संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी ।
- **अनुच्छेद 74** – राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमन्त्री होगा।
  - ▪ 'राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा।' (42वें संविधान संशोधन से यह जोड़ा गया)

☑ **चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य –**

- राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना 'चुनाव आयोग' द्वारा जारी की जाती है।
- लोकसभा व राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है।
- राज्यों में विधानसभा व विधानपरिषद के चुनावों की अधिसूचना 'राज्यपाल' द्वारा जारी की जाती है।
- राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने आवश्यक हैं।
- उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक आवश्यक है।
- राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों की उम्मीदवारी के लिए जमानत राशि 15,000 रूपये है। यह राशि चुनाव आयोग अथवा रिजर्व बैंक के पास जमा करवाई जा सकती है।
- पूर्व में 10 प्रस्तावकों व 10 अनुमोदकों की आवश्यकता थी तथा जमानत राशि 2500 रू. थी। (1997 में इसे परिवर्तित किया गया)
- राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी 'लोकसभा या राज्यसभा का महासचिव' चक्रिय क्रम से होता है।
- इस चुनाव में व्हिप जारी नहीं की जा सकती है।

अनुच्छेद 54 – 'राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल'

- लोकसभा व राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य
- विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य
- संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- सदस्यों द्वारा मतदान कहीं पर (संबंधित राज्य या दिल्ली) भी किया जा सकता है।

☑ **राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित भाग नहीं लेते–**

- राज्य सभा के मनोनीत सदस्य
- राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य
- विधान परिषदों के सदस्य

अनुच्छेद 55 – 'राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति'

- आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है।
- इस पद्धति में जीत के लिए आवश्यक मत

$$= \frac{N}{n+1} + 1$$

N = कुल मतों की संख्या

n = कुल पदों की संख्या

- उम्मीदवार को जीत के लिए 50% + 1 मतों की आवश्यकता होती है।

☑ **विधायक के मत का मूल्य –**

$$\frac{\text{राज्य की जनसंख्या}}{\text{कुल निर्वाचित विधायक}} \times \frac{1}{1000}$$

- राजस्थान के विधायक का मत मूल्य = 129
- सर्वाधिक विधायक मत मूल्य = उत्तरप्रदेश में (208)
- न्यूनतम विधायक मत मूल्य = सिक्किम में (7)

☑ **सांसद के मत का मूल्य** = $\frac{\text{सभी निर्वाचित विधायकों के मत का मूल्य}}{\text{कुल निर्वाचित सांसद}}$

- एक सांसद के मत का मूल्य = 708

राष्ट्रपतियों का निर्वाचन					
क्र.स.	निर्वाचन वर्ष	विजयी उम्मीदवार	प्राप्त मत (प्रतिशत में)	मुख्य प्रतिद्वंद्वी	प्राप्त मत (प्रतिशत में)
1.	1952	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	507400 (83.81)	के.टी. शाह	92827 (15.3)
2.	1957	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	459698 (99.35)	एन.एन.दास	2000 (0.4)
3.	1962	डॉ. एस. राधाकृष्णन	553067 (98.24)	चौ. हरिराम	6341 (1.1)
4.	1967	डॉ. जाकिर हुसैन	471244 (56.23)	के. सुब्बाराव	363971 (43.4)
5.	1969	वी.वी.गिरि	420044 (50.22)	एन.संजीवन रेड्डी	405427 (48.5)
6.	1974	फखरुद्दीन अली अहमद	756587 (80.18)	त्रिदेव चौधरी	189186 (19.8)
7.	1977	एन. संजीवन रेड्डी	–	निर्विरोध	–
8.	1982	ज्ञानी जैल सिंह	754113 (72.73)	एच.आर.खन्ना	282685 (27.6)
9.	1987	आर. वेंकटरमण	740148 (72.29)	वी. कृष्णअय्यर	281550 (27.1)
10.	1992	डॉ. शंकर दयाल शर्मा	675564 (65.86)	जॉर्ज स्वेल	346485 (33.21)
11.	1997	के.आर.नारायणन	956290 (94.97)	टी.एन.शेषन	50431 (5.07)
12.	2002	डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	922844 (89.58)	लक्ष्मी सहगल	107366 (10.42)
13.	2007	श्रीमती प्रतिभा पाटिल	638116 (65.82)	बी.एस.शेखावत	331306 (34.17)
14.	2012	प्रणब मुखर्जी	713763 (68.12)	पी.ए.संगमा	315987 (30.15)
15.	2017	रामनाथ कोविन्द	702044 (65.65)	मीरा कुमार	367314 (34.35)
16.	2022	द्रौपदी मुर्मू	676803 (64.03)	यशवन्त सिन्हा	380177 (35.97)

- ✦ 2022 के 18वें राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद का मत मूल्य 700 था (जम्मू व कश्मीर) की अनुपस्थिति के कारण।
- ✦ इन्हीं चुनावों में चुनाव अधिकारी राज्य सभा के सचिव पी.सी. मोदी थे।

अनुच्छेद 56 – 'राष्ट्रपति का कार्यकाल'

- कार्यकाल – शपथ ग्रहण से 5 वर्ष।
- त्यागपत्र – उपराष्ट्रपति को – लोकसभा अध्यक्ष को सूचित।
- उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो त्यागपत्र उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को।
- महाभियोग द्वारा हटाना – संविधान का अतिक्रमण/उल्लंघन के आधार पर।

अनुच्छेद 57 – पुनर्निर्वाचन

- राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है।

अनुच्छेद 58 – 'राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यताएँ'

1. भारत का नागरिक हो।
2. 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
3. लोकसभा का सदस्य नियुक्त होने हेतु योग्य हो।
4. संघ या राज्य सरकारों या स्थानीय अथवा सार्वजनिक प्राधिकरणों में लाभ के पद पर ना हो।

अनुच्छेद 59 – 'राष्ट्रपति पद की शर्तें'

अनुच्छेद 60 – 'राष्ट्रपति की शपथ'

- ईश्वर/सत्यनिष्ठा की, श्रद्धापूर्वक पद का कार्यपालन करने की ।

संविधान व विधि का

परिरक्षण | संरक्षण | प्रतिरक्षण

- भारत की जनता की सेवा व कल्याण में निरत रहने की।
- उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है।

अनुच्छेद 61 – 'राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया'

- महाभियोग एक अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया है।
- महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
- जिस सदन में प्रस्ताव पेश किया जाता है उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर प्रस्ताव पर होने चाहिए।
- राष्ट्रपति को 14 दिन के नोटिस के बाद सदन प्रस्ताव पर चर्चा कर सकता है।
- पहला सदन आरोप लगाता है तथा इस सदन में कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए।
- दूसरा सदन आरोपों की जाँच करता है। जाँच के दौरान राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है।
- यदि आरोप सही पाए जाते है तो दूसरा सदन भी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है।
- इसके पश्चात राष्ट्रपति स्वयं अपने पद से हट जाता है।
- मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं।

अनुच्छेद 62 –

- राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले अगले राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए।
- यदि ऐसा नहीं होता है तो वर्तमान राष्ट्रपति अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाने तक पद पर बना रहेगा।
- यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए (त्यागपत्र, मृत्यु, महाभियोग के कारण) तो अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 माह के भीतर अवश्य हो जाना चाहिए।

☑ राष्ट्रपति की शक्तियाँ –

1. कार्यपालिका शक्तियाँ –

- राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है।
- संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है।
- संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है।
- राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है।
- मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर रहते हैं।
- कार्यपालिका के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु राष्ट्रपति नियम.विनियम बना सकता है।
- राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल को नियुक्त करता है।
- संघ शासित प्रदेशों में उप–राज्यपाल एवं प्रशासकों की नियुक्ति करता है।
- राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर रहता है।
- राष्ट्रपति नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति करता है।
- राष्ट्रपति अनेक आयोगों के अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति करता है।

विभिन्न आयोग –

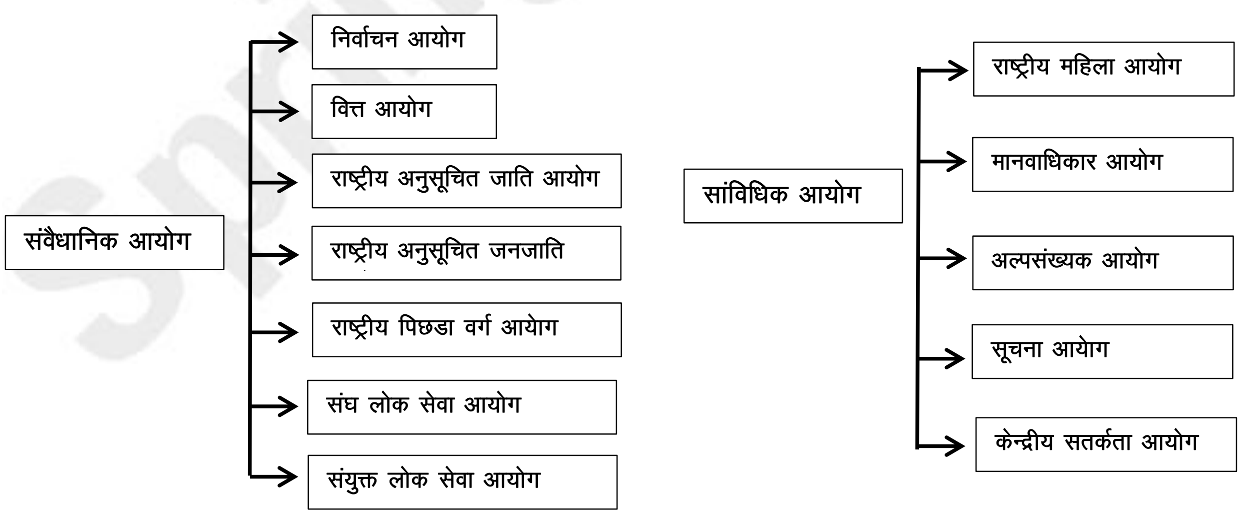

- **कार्यकारी आयोग** :– नीति आयोग – मंत्रिमंडल की अनुशंसा से
- राष्ट्रपति अन्तर्राज्यीय परिषद का गठन करता है।
- अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र घोषित करता है।

2. **विधायी शक्तियाँ –**

- राष्ट्रपति स्वयं संसद का एक भाग है।
- राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है व सत्रावसान करता है।
- राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किन्तु कार्यकाल पूरा होने पर लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है।
- राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है ।
- यदि राज्यसभा में सभापति व उपसभापति दोनों पद रिक्त है तो राष्ट्रपति अस्थाई सभापति नियुक्त कर सकता है।
- यदि लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त है तो राष्ट्रपति अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।
- राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है तथा वह दोनों सदनों में अभिभाषण दे सकता है।
- राष्ट्रपति संसद में 'विशेष अभिभाषण' (आम चुनाव के बाद पहले सत्र में, प्रतिवर्ष पहले सत्र में) देता है।
- सांसदों की अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है (चुनाव आयोग की सलाह पर)
- राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की 'संयुक्त बैठक' बुला सकता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है ।
- कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किए जाते हैं; जैसेः– धन विधेयक, नए राज्य के गठन संबंधी विधेयक आदि।
- संसद से पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात ही अधिनियम बनता है।
- जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उसके पास तीन विकल्प होते हैं–
  1. अपनी सहमति देना
  2. अपनी सहमति को रोकना (अस्वीकार करना)
  3. पुनर्विचार के लिए लौटाना।
- राज्यपाल राज्य विधानमण्डल के विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है तथा राष्ट्रपति इस विधयेक को अनेक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है (जबकि संसद के विधेयक को केवल एक बार वापस भेज सकता है)
- निम्नलिखित संघ शासित प्रदेशों में शांति, विकास व सुशासन के लिए राष्ट्रपति नियम विनियम बना सकता है–
  1. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह
  2. दादरा नगर हवेली और दमन तथा दीव
  3. लक्षद्वीप
- **राष्ट्रपति निम्नलिखित प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष रखवाता है**.
  1. संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट
  2. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन
  3. वित्त आयोग का प्रतिवेदन
- **राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है।**

3. **वित्तीय शक्तियाँ –**
   - बजट राष्ट्रपति की ओर से पेश किया जाता है।
   - धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है।
   - अनुदान की माँगे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश की जाती है।
   - राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है।
   - राष्ट्रपति के अधीन 500 करोड़ की आकस्मिक निधि होती है।
4. **न्यायिक शक्तियाँ –**
   - राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति करता है।
   - राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति करता है।
   - राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है।
   - राष्ट्रपति क्षमा करने की शक्ति रखता है।
5. **कूटनीतिक शक्तियाँ –**
   - सभी प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियाँ व समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं लेकिन इनका संसद से अनुमोदन आवश्यक होता है।
   - अन्य देशों में हमारे राजदूत तथा उच्चायुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
   - अन्य देशों से आने वाले उच्चायुक्तों एवं राजदूतों का स्वागत राष्ट्रपति करता है।
6. **सैन्य शक्तियाँ –**
   - राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है।
   - राष्ट्रपति युद्ध की एवं युद्ध विराम की घोषणा कर सकता है, किन्तु इसमें संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
7. **आपातकालीन शक्तियाँ –**
   - राष्ट्रपति तीन प्रकार के आपात की उद्घोषणा कर सकता है–
     1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)
     2. राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना (अनुच्छेद 356)
     3. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)

☑ **राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ –**

✪ भारत का राष्ट्रपति अत्यांतिक, निलंबनकारी व पॉकेट तीन वीटो शक्तियाँ रखता है ।

1. **अत्यांतिक वीटो –** यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी सहमति रोक लेता है अर्थात विधेयक को अस्वीकार कर देता है तो इसे अत्यांतिक वीटो कहते है।

- **सामान्यतः दो परिस्थितियों में ऐसा किया जाता है–**

  (i) यदि निजी विधेयक हो (संसद का वह सदस्य जो मंत्री नहीं है, के द्वारा प्रस्तुत विधेयक)

  (ii) सरकारी विधेयक के संबंध में यदि मंत्रिपरिषद बदल गया हो। (पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति शेष ले तथा नया मंत्रिमण्डल राष्ट्रपति की अनुमति न देने की सिफारिश करे।)
- **अभी तक दो बार इस वीटो शक्ति का प्रयोग हुआ है–**

  (i) 1954 में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा PEPSU विनियोग विधेयक पर अपना निर्णय रोककर।

  (ii) 1991 में डॉ. आर. वेंकटरमण द्वारा संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक को रोककर।

2. **निलम्बनकारी वीटो –**

- यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद के पास वापस भेजता है तो इसे निलंबनकारी वीटो कहते है।
  - राष्ट्रपति केवल एक बार ही किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा लाभ का पद विधेयक, 2006 पर इसका प्रयोग किया गया।
  - राज्य के गठन विधेयक व धन विधेयक पर राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है।

3. **पॉकेट वीटो –**

- भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा का उल्लेख नहीं है।
- राष्ट्रपति यदि विधेयक पर ना तो सहमति दे, ना ही असहमति दे और ना ही पुनर्विचार हेतु वापस भेजे बल्कि अनिश्चित काल के लिए विधेयक को अपने पास रख ले तो इसे पॉकेट वीटो कहते है।
- अभी तक केवल एक बार इस वीटो का प्रयोग किया गया है। 1986–राष्ट्रपति जैल सिंह– भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक।

अनुच्छेद 72 :– राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ –

- **राष्ट्रपति निम्नलिखित विषयों पर क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है–**
  - संघीय कानून के उल्लंघन पर यदि किसी व्यक्ति को दंडित किया गया हो।
  - सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दण्ड के संबंध में ।
  - मृत्युदण्ड के सभी मामलों में।

1. **क्षमा**

- इसके तहत व्यक्ति को पूर्णतः क्षमा कर दिया जाता है अर्थात् व्यक्ति अपराध पूर्व की स्थिति में आ जाता है।
- सजा के कारण उत्पन्न सभी अयोग्यताएँ भी समाप्त हो जाती है।

2. **लघुकरण**

- इसके तहत सजा की प्रकृति को बदला जाता है जैसे– मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में या कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना।

3. **परिहार**

- इसमें सजा की अवधि को कम किया जाता है; जैसेः– 10 वर्ष के कारावास को 5 वर्ष के कारावास में बदलना।

4. **विराम**

- इसमें सजा की प्रकृति को भी बदला जाता है तथा सजा की अवधि को भी कम किया जाता है; जैसे– चार वर्ष के कठोर कारावास को कम कर दो वर्ष का साधारण कारावास करना।
- दिव्यांग व्यक्ति, गर्भवती महिला आदि के मामलों में।

5. **प्रविलम्ब**

- इसके तहत सजा पर अस्थायी रोक लगाई जाती है। सामान्यतः मृत्यु दण्ड की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है

अनुच्छेद 161 :– राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ –

- यदि किसी व्यक्ति को राज्य के कानून के उल्लंघन के लिए दण्डित किया गया हो तो राज्यपाल उसे क्षमा कर सकता है।
- सैन्य न्यायालय द्वारा दण्डित व्यक्ति को राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता।
- मृत्युदण्ड के मामले में राज्यपाल पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकता किन्तु वह 'प्रविलम्ब' व 'लघुकरण' की शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

☑ **राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय –**

- दया की याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है क्योंकि इसकी प्रकृति प्रशासनिक है/न्यायिक नहीं।
- राष्ट्रपति प्रमाण (साक्ष्य) का पुनः अध्ययन कर सकता है और उनका विचार न्यायालय से भिन्न हो सकता है।
- राष्ट्रपति अपने आदेश के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि यह राष्ट्रपति की विवेकाधीन दया है। (रंगा बिल्ला वाद 1978 ई.)
- राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केन्द्रीय मंत्रीमंडल के परामर्श से करेगा। (मारूराम बनाम भारत संघ 1980 ई.) (धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल 1994 ई.)
- राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई भी दिशा–निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।
- राष्ट्रपति की इस शक्ति पर कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। यह विवेकाधीन दया है पर उसका विशेषाधिकार नहीं है इसलिए इसका प्रयोग कर्तव्य निर्वहन के लिए व जनहित में किया जाना चाहिए । यदि राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाचारी, विवेकरहित, दुर्भावना या भेदभाव पूर्ण हो, तो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। (इपुरू सुधाकर बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य 2006 ई.)
- यदि राष्ट्रपति ने दया याचिका को खारिज कर दिया है तो सजा के क्रियान्वयन को रोकने के लिए पुनः आवेदन नहीं किया जा सकता है।
- यदि राष्ट्रपति मृत्यु दण्ड की दया याचिका पर समय पर निर्णय नहीं देता है तो मृत्यु दण्ड का लघुकरण किया जा सकता है। (सिजोफ्रेनिया व मानसिक बीमार को मृत्यु दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए) (शत्रुघन चौहान बनाम भारत संघ 2014)

राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में अंतर	
राष्ट्रपति (अनुच्छेद 72)	**राज्यपाल (अनुच्छेद 161)**
संघीय कानून के उल्लंघन पर यदि किसी व्यक्ति को दण्डित किया गया है तब राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।	राज्य कानून के उल्लंघन पर यदि किसी व्यक्ति को दण्डित किया गया है तब राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दण्ड के संबंध में भी इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।	राज्यपाल सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दण्ड के संबंध में इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता।
राष्ट्रपति मृत्युदण्ड के मामले में पाँचों शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।	राज्यपाल मृत्युदण्ड के मामले में क्षमा नहीं कर सकता हालाँकि अन्य शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है।

अनुच्छेद 73 – संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार

- जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है।
- किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार को प्राप्त शक्ति।

अनुच्छेद 74 – राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रीपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा।

42वाँ संविधान संशोधन, 1976 ई.

- राष्ट्रपति मंत्रीपरिषद की सलाह से कार्य करेगा।

44वाँ संविधान संशोधन, 1978 ई.

- राष्ट्रपति मंत्रीपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है।

अनुच्छेद 75 – राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा एवं प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा।

- प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकती (91वाँ संविधान संशोधन, 2003 ई.)
- दल बदल का दोषी व्यक्ति उस लोकसभा के कार्यकाल में नया चुनाव जीते बिना मंत्री नहीं बन सकता है।(उपचुनाव)
- 6 माह में मंत्री को सांसद बनना आवश्यक है अन्यथा मंत्री पद समाप्त हो जाएगा।
- मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर बने रहते है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
- मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

अनुच्छेद 76 महान्यायवादी Attorney General	**अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता Advocate General**
• यह केन्द्र सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी है।	• यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी है।
• इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।	• इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
• योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर। वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है।	• योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर। वेतन राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है।
• यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है।	• यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है।
• यह विधिक मामलों में केन्द्र सरकार को परामर्श देता है।	• यह विधिक मामलों में राज्य सरकार को परामर्श देता है।
• यह न्यायालय में केन्द्र सरकार के पक्ष में वकालत करता है।	• यह न्यायालय में राज्य सरकार के पक्ष में वकालत करता है।
• यह भारत में स्थित किसी न्यायालय में पैरवी कर सकता है किन्तु केन्द्र सरकार के विरुद्ध किसी मामले में पैरवी नहीं कर सकता।	• यह भारत में स्थित किसी न्यायालय में पैरवी कर सकता है किन्तु राज्य सरकार के विरुद्ध किसी मामले में पैरवी नहीं कर सकता।
• यह संसदीय सदनों की कार्यवाही एवं संसदीय समितियों की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन इस आधार पर वो मत नहीं दे सकता है।	• यह राज्य विधानसभा, विधानपरिषदों व उनकी समितियों की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है लेकिन इस आधार पर वो मत नहीं दे सकता।
• इसकी सहायता हेतु **सॉलिसिटर जनरल** होता है।	• इसकी सहायता के लिए **लोक अभियोजक** होते हैं।

अनुच्छेद 77 – भारत सरकार के कार्यों का संचालन

- संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा।
- कार्यपालिका के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए राष्ट्रपति नियम–विनियम बना सकता है तथा मंत्रियों में कार्य आवंटन हेतु नियम बना सकता है।

- इसके तहत 4 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं
  1. केबिनेट मंत्री
  2. राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
  3. राज्यमंत्री
  4. उपमंत्री

अनुच्छेद 78 – राष्ट्रपति को सूचित करने के संदर्भ में प्रधानमंत्री के कर्त्तव्य –

- प्रधानमंत्री का कर्त्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को सरकार के विनिश्चयों की सूचना उपलब्ध करवाएं।
- राष्ट्रपति संघ के प्रशासनिक व विधायी कार्यों के संबंध में सूचना माँग सकता है।
- यदि किसी मंत्री ने कोई विनिश्चय कर दिया है (बिना मंत्रीपरिषद में विचार किए) तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा करता है कि मंत्रीपरिषद में इस पर विचार हो।

☑ **बहुमत के प्रकार–**

1. **साधारण बहुमत –** उपस्थित सदस्यों का बहुमत
2. **प्रभावी बहुमत –** तत्कालीन सदस्यों का बहुमत
   (तत्कालीन सदस्य = कुल सदस्य – रिक्त स्थान)
3. **पूर्ण बहुमत –** कुल सदस्यों का बहुमत
4. **विशेष बहुमत –** इसमें दो शर्तें पूरी होनी आवश्यक है–
   (i) कुल सदस्यों का बहुमत
   (ii) उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत
5. केन्द्र राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है तथा आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन आवश्यक है। (विधानसभा में साधारण बहुमत)

- राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है (केवल राष्ट्रपति के लिए)

अनुच्छेद 123 :– राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति –

- यदि संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है तथा सरकार को तत्काल किसी कानून की आवश्यकता हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है।
- यदि संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है।
- यदि संसद के दोनों सदन सत्र में हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है।
- अध्यादेश एक अस्थाई कानून होता है।
- यह संसदीय अधिनियम की भाँति ही प्रभावी होता है।
- इससे संसदीय अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है, किन्तु संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है।
- संसदीय अधिनियम की भांति इसे भूतकाल से लागू किया जा सकता है।
- अध्यादेश का आयुकाल सीमित होता है– संसद के दोनों सदनों के सत्र आरम्भ होने के बाद 6 सप्ताह तक यह अस्तित्व में रहता है। अध्यादेश का अधिकतम आयुकाल 6 माह एवं 6 सप्ताह होता है।
- अध्यादेश को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है।
- संसद अध्यादेश को समाप्त कर सकती है।
- सरकार जब अध्यादेश को अनुमोदन हेतु संसद में पेश करती है तो सरकार को अध्यादेश की तात्कालिक आवश्यकता का स्पष्टीकरण देना होता है।
- अध्यादेश की तात्कालिक आवश्यकताओं के कारणों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है।

- **38वाँ संविधान संशोधन** – इसमें यह प्रावधान था कि न्यायालय इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता तथा राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम है।
- **44वाँ संविधान संशोधन** – इसमें प्रावधान किया गया कि न्यायालय द्वारा अध्यादेश की तात्कालिक आवश्यकताओं के कारणों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है।

☑ **डी. सी. वाधवा केस –1987 ई.**

- उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक ही अध्यादेश को संसद में पारित करवाने का प्रयास किए बिना एक ही लेख में बार बार प्रख्यापित नहीं किया जा सकता।
- यदि ऐसा किया जाता है तो ये कार्यपालिका के द्वारा विधायिका की शक्तियों पर किया गया अतिक्रमण है जैसा कि बिहार में 1967 ई. से 1981 ई. के बीच 256 अध्यादेश जारी किए गए थे जो कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति का दुरूपयोग था।
- 2017 में भी उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय की पुष्टि की एवं दोहराया।
  (कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य 2017)

उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। यू.एस.ए का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है। किन्तु अमेरिका के राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति उसके शेष कार्यकाल को पूरा करता है, जबकि भारत में पद रिक्तता की स्थिति में उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के चुनाव तक उसके पद पर बना रहता है।

अनुच्छेद 63 – भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।

अनुच्छेद 64 – उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।

अनुच्छेद 65 – राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा।

अनुच्छेद 66 – 'उपराष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएँ, शर्तें, एवं उसका निर्वाचन'

निर्वाचक मण्डल – लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य (निर्वाचित + मनोनीत)

निर्वाचन पद्धति – आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत द्वारा उपराष्ट्रपति को विजय हेतु 50% + 1 मत की आवश्यकता होती है।

अनुच्छेद 67 – कार्यकाल एवं हटाने की प्रक्रिया

- कार्यकाल 5 वर्ष (शपथ ग्रहण से)
- उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के कारण का उल्लेख संविधान में नहीं है।
- उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।
- 14 दिन के नोटिस के बाद सदन इस पर चर्चा करता है।
- चर्चा के दौरान उपराष्ट्रपति पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता किन्तु वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और अपना पक्ष रख सकता है।
- किन्तु वह मतदान नहीं कर सकता क्योंकि वह राज्यसभा सदस्य नहीं है।
- यह प्रस्ताव राज्यसभा में तत्कालीन सदस्यों के बहुमत (प्रभावी बहुमत) से पारित होना चाहिए।
- इसके पश्चात प्रस्ताव लोकसभा में भेजा जाता है जिसे लोकसभा में साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 68 –

- उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए।
- यदि उपराष्ट्रपति का पद (मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाए जाने के कारण) रिक्त हो जाए तो यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना चाहिए।
- इसमें राष्ट्रपति की भांति 6 माह की बाध्यता नहीं है।

अनुच्छेद 69 – उपराष्ट्रपति की शपथ

☑ **वे उपराष्ट्रपति जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने–**

1. डॉ. राधाकृष्णन
2. डॉ. जाकिर हुसैन
3. वी. वी. गिरि
4. आर. वेंकटरमन
5. डॉ. शंकर दयाल शर्मा
6. के.आर.नारायणन

अनुच्छेद 70 – अन्य आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति के कर्त्तव्यों का निर्वहन।

- यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए संसद कोई प्रावधान करेगी।
- 1969 ई. में संसद ने इसके लिए प्रावधान किया कि ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश (उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश) राष्ट्रपति के कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा।
- यदि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त हो तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा।

अनुच्छेद 71 – राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित विवादों की सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है।

☑ **भारत एवं अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तुलना–**

- भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है, परन्तु इसमें काफी भिन्नता है।
- अमेरिका का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर रहता है।
- भारत का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर नहीं रहता है। वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है, जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण न कर ले।

उप–राष्ट्रपतियों का निर्वाचन

क्र. सं.	निर्वाचन वर्ष	विजय उम्मीदवार	प्राप्त मत (प्रतिशत में)	मुख्य प्रतिद्वंदी	प्राप्त मत
1.	1952	डॉ. एस. राधाकृष्णन	–	निर्विरोध	–
2.	1957	डॉ. एस. राधाकृष्णन	–	निर्विरोध	–
3.	1962	डॉ. जाकिर हुसैन	568	एन.सामंत सिंह	14
4.	1967	वी.वी.गिरि	486	प्रो. हबीब	192
5.	1969	जी.एस.पाठक	400	एच.वी.कामथ	156
6.	1974	बी.डी. जत्ती	521	एन.ई.होरो	141
7.	1979	एम.हिदायतुल्ला	–	निर्विरोध	–
8.	1984	आर.वेंकटरमण	508	बी.सी.काम्बली	207
9.	1987	डॉ. शंकर दयाल शर्मा	–	निर्विरोध	–
10.	1992	के.आर.नारायणन	700	काका जोगिंदर सिंह	01
11.	1997	कृष्णकांत	441	सुरजीत सिंह बरनाला	273
12.	2002	बी.एस.शेखावत	454	सुशील कुमार शिंदे	305
13.	2007	मो. हामिद अंसारी	455	नजमा हेपतुल्ला	222
14.	2012	मो. हामिद अंसारी	490	जसवंत सिंह	238
15.	2017	वेंकैया नायडु	516	गोपाल कृष्ण गाँधी	244
16.	2022	जगदीप धनखड़	528	मार्गरेट अल्वा	182

विधायिका
(अनुच्छेद 79–123)

अनुच्छेद 79

- संसद (राष्ट्रपति + राज्यसभा + लोकसभा)

अनुच्छेद 80 – राज्यसभा –

- राज्यसभा नाम 1954 में रखा गया। पहले इसका नाम 'काउन्सिल ऑफ स्टेट्स' था।
- अन्य नाम– 'उच्च सदन', स्थायी सदन, द्वितीय चैम्बर, प्रबुद्ध सदन

राज्यसभा सदस्य

- **अधिकतम सदस्य (250)**
  - **निर्वाचित (238)**
  - **मनोनीत (12)** ↓
    - विज्ञान
    - कला
    - साहित्य
    - समाजसेवा
- **वर्तमान सदस्य (245)**
  - **निर्वाचित (233)**
    - राज्यों से (225)
    - केन्द्र शासित प्रदेशों से (8) ↓
      - 4– जम्मू कश्मीर से
      - 3– दिल्ली से
      - 1– पुदुचेरी से
  - **मनोनीत (12)**

☑ **शेष संघ शासित प्रदेश कम जनसंख्या के कारण अपना कोई भी प्रतिनिधि राज्य सभा में नहीं भेजते।**

- हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड से 3–3 प्रतिनिधि आते है।
- सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से – 31 प्रतिनिधि
- राजस्थान से – 10 प्रतिनिधि
- 8 राज्यों से 1–1 प्रतिनिधि होते हैं। (अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, गोवा)
- राज्यसभा हमारे परिसंघीय ढाँचे का प्रतिनिधित्व करती है लेकिन सभी राज्यों को इसमें समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है जैसे कि यू.एस.ए. में सीनेट में प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि आते है जबकि हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है।
- **निर्वाचन** – राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
- **निर्वाचन मण्डल** – राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- **निर्वाचन पद्धति** – आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति तथा एकल संक्रमणीय मत द्वारा।
- राज्यसभा स्थाई सदन है क्योंकि लोकसभा की भांति यह भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष (हालांकि संविधान में उल्लेख नहीं) होता है। प्रति 2 वर्ष पश्चात् राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत होते है।

☑ राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ –

अनुच्छेद 249 – राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति ।

- राज्यसभा 2/3 बहुमत (उपस्थित) से प्रस्ताव पारित कर संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति दे सकती है।
- यह कानून एक वर्ष तक लागू रहता है।
- यदि कानून की समयावधि को बढाना हो तो पूरी प्रक्रिया को दोहराना होता है।

अनुच्छेद 312 – अखिल भारतीय सेवाएँ

- राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की अनुमति दे सकती है।
- वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएँ हैं–

(i) IAS - ICS (1947)

(ii) IPS - IP (1947)

(iii) IFS - भारतीय वन सेवा (1966)

अनुच्छेद–67 – उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव (पहले) राज्यसभा में ही लाया जा सकता है।

अनुच्छेद 81 – लोकसभा

- 1954 में यह नाम रखा गया था । इससे पहले नाम 'हाउस ऑफ पीपुल' था।
- अन्य नाम– लोकप्रिय सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन, अस्थाई सदन

लोकसभा सदस्य

- **अधिकतम सदस्य 550**
  - **राज्य 530**
  - **केन्द्र शासित प्रदेश 20**
- **वर्तमान सदस्य 543**
  - **राज्य 524**
  - **केन्द्र शासित प्रदेश 19**

104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 आंग्ल–भारतीय सदस्यों का मनोनयन 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया।

राज्यों से लोकसभा सदस्य (524)	
नागालैण्ड	01
मिजोरम	01
सिक्किम	01
गोवा	02
अरूणाचल प्रदेश	02
मणिपुर	02
मेघालय	02
त्रिपुरा	02
राजस्थान	25
उत्तर प्रदेश	80

केन्द्र शासित प्रदेशों से लोकसभा सदस्य (19)	
लद्दाख	01
जम्मू कश्मीर	05
दिल्ली	
दादरा और नागर हवेली & दमन और दीव	02
शेष केन्द्रशासित प्रदेश – सभी में	1-1

☑ **चुनाव प्रणाली –**

- लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है।
- प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को इस प्रकार से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में एक समान हो।
- जनसंख्या का प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन किया जाता है। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा।
- अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का निर्धारण किया गया है। प्रारम्भ में ये आरक्षण 10 वर्षो के लिए था। उसके बाद इसे हर 10 वर्ष बाद 10 वर्षो के लिए बढ़ा दिया जाता है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 में इस आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया।
- लोकसभा निर्वाचन के लिए प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (फर्स्ट–पास्ट–द पोस्ट सिस्टम) को अपनाया गया।

अनुच्छेद 82 – परिसीमन आयोग

- प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है जो राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का भी परिसीमन करता है।
  (अनुच्छेद 170 – राज्यों में परिसीमन)
- इसके अनुसार संसद परिसीमन आयोग अधिनियम बनाती है ।
- केन्द्र सरकार द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है।
- परिसीमन आयोग की अनुशंसाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- परिसीमन आयोग की अनुशंसाओं को लोक सभा और विधानसभाओं के पटल पर रखा जाता है किन्तु परिवर्तन नहीं कर सकते ।
- परिसीमन आयोग एक सांविधिक संस्था है।
- अब तक 4 परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है–

  1. 1952   2. 1963
  3. 1973   4. 2002

  (1952, 1962, 1972, 2002 के अधिनियम के अंतर्गत)

परिसीमन आयोग की संरचना –

1. अध्यक्ष – सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश
2. मुख्य चुनाव आयुक्त
3. संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त

42वाँ संविधान संशोधन 1976 ई.

- 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या 2001 की जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन तक निश्चित कर दी गई।

84वाँ संविधान संशोधन 2001 ई.

- इसके तहत लोकसभा सीटों की संख्या को 2026 तक निश्चित कर दिया गया।
- इसमें चौथे परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान था जो 1991ई. की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन करेगा।

- 1991 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का पुनर्निर्धारण परिसीमन आयोग करेगा।

87वाँ संविधान संशोधन –

- चौथा परिसीमन आयोग 1991 के स्थान पर 2001 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग करेगा।
  - 2002 में चौथे परिसीमन आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जस्टिस कुलदीप सिंह थे।
  - इस आयोग ने 2008 में अपनी सिफारिशें दी।
  - इसने 22 राज्यों व 2 केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए परिसीमन किया।
  - निम्नलिखित राज्यों में परिसीमन नहीं किया गया–

    (i) जम्मू और कश्मीर (ii) झारखण्ड
    (iii) अरूणाचल प्रदेश (iv) असम
    (v) नागालैण्ड (vi) मणिपुर
- हाल ही में जम्मू कश्मीर के परिसीमन के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई आयोग का गठन किया गया।
- वर्तमान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्रमशः 84 तथा 47 है।
- राजस्थान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्रमशः 4 तथा 3 है।

अनुच्छेद 83 – संसद के सदनों का कार्यकाल

- लोक सभा का कार्यकाल – 5 वर्ष
- राष्ट्रपति कार्यकाल से पूर्व भी लोक सभा को भंग कर सकता है।
- राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोक सभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष द्वारा कितनी भी अवधि तक बढाया जा सकता है। (आपातकाल समाप्त होने पर 6 माह से अधिक नहीं बढ़ा सकते)
- अभी तक लोक सभा का कार्यकाल दो बार 1976–77 में बढाया गया था।
- राज्य सभा एक स्थायी सदन है।

अनुच्छेद–84 – 'सांसदों की योग्यताएँ'

- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- लोक सभा हेतु आयु – 25 वर्ष
- राज्य सभा हेतु आयु – 30 वर्ष
- भारत में किसी भी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। (निवास)
- एक उम्मीदवार अधिकतम दो लोकसभा क्षेत्रों से नामांकन दाखिल कर सकता है।
- भारत सरकार ने 2011 में NRI को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया।

अनुच्छेद 85 – संसद के सत्र

आहूत करना (सभा में उपस्थित होने का आदेश) – राष्ट्रपति समय–समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए बुलाता है, जैसे वह उचित समझे, लेकिन संसद के दो सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल छः माह से ज्यादा न होना चाहिए।

वर्तमान में 3 नियमित सत्र बुलाये जाते हैं–

1. बजट सत्र
2. मानसून सत्र
3. शीतकालीन सत्र

इसके अतिरिक्त विशेष सत्र भी बुलाए जा सकते हैं।

स्थगन –

- ✓ इसके द्वारा संसद की बैठक को कुछ निश्चित समय के लिए अध्यक्ष द्वारा स्थगित किया जाता है।

अनिश्चित काल के लिए स्थगन –

- ✓ जब सदन को बिना यह बताए स्थगित कर दिया जाता है कि अब उसे किस दिन आहूत किया जाएगा। अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने की शक्ति अध्यक्ष या सभापति के पास होती है।

सत्रावसान –

- ✓ पीठासीन अधिकारी सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है, तथा इसके कुछ दिनों में ही राष्ट्रपति सदन सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। हालांकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सत्रावसान कर सकता है।

विघटन –

- ✓ राज्यसभा स्थायी सदन होने के कारण विघटित नहीं की जा सकती जबकि लोकसभा का विघटन होता है। विघटन वर्तमान सभा के जीवनकाल को समाप्त कर देता है और इसका पुनर्गठन नए चुनाव के बाद ही होता है। लोकसभा को दो प्रकार से विघटित किया जा सकता है– स्वयं विघटित तथा राष्ट्रपति द्वारा।

अनुच्छेद 86 – राष्ट्रपति संसद में संदेश भेज सकता है और अभिभाषण दे सकता है।

अनुच्छेद 87 – राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण

- राष्ट्रपति दोनों सदनों को समवेत रूप से बैठाकर विशेष अभिभाषण दे सकता है।
- लोक सभा के आम चुनावों के बाद पहले सत्र में तथा प्रति वर्ष पहले सत्र में।

अनुच्छेद 88 –

- मंत्री व महान्यायवादी दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते है तथा संसदीय समितियों की कार्यवाही में भी भाग ले सकते है; जिनमें वे सदस्य के रूप में नामित है लेकिन इस आधार पर उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं है।
- महान्यायवादी संसदीय समिति का सदस्य बन सकता है।

☑ लोक सभा अध्यक्ष –

- भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में लोक सभा अध्यक्ष का पद सृजित किया गया।
- 1921 ई. में फ्रेडरिक व्हाइट पहले लोक सभा अध्यक्ष बने। सच्चिदानंद सिन्हा उपाध्यक्ष बने।
- 1925 ई. में विठ्ठलभाई पटेल प्रथम निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष बने।
- आजादी के बाद जी. वी. मावलंकर पहले लोक सभा अध्यक्ष बने।
- बलराम जाखड़ सर्वाधिक कार्यकाल **(9 साल, 330 दिन)** वाले अध्यक्ष थे।
- मीरा कुमारी (2009–2014) पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष रही।
- वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला। (लगातार दूसरी बार)

अध्यक्ष का निर्वाचन

- लोक सभा सदस्य अपने में से ही अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं।

अध्यक्ष का कार्यकाल

- लोक सभा के भंग होने पर अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त नहीं होता बल्कि अगली लोक सभा की पहली बैठक तक वह अपने पद पर बना रहता है।
- सभी सदस्यों तथा लोकसभा के उपाध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा भंग होने तक होता है।

अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया –

- हटाने का प्रस्ताव 14 दिन के नोटिस के बाद लोक सभा में पेश किया जाता है तथा यह प्रस्ताव लोकसभा में तत्कालीन सदस्यों के बहुमत (प्रभावी बहुमत) से पारित होना चाहिए।
- अध्यक्ष प्रस्ताव पर चर्चा के समय पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है । वह सामान्य मत दे सकता है लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता।
- ब्रिटेन में स्पीकर निर्वाचित होने के बाद अपने दल से त्यागपत्र दे देता है।
- अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है।

अध्यक्ष की शक्तियाँ –

- लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
- लोक सभा के नियमों को लागू करवाना और अनुशासन बनाए रखना।
- यदि बराबर मत की स्थिति हो तो अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है।
- कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करता है एवं उसका निर्णय अंतिम होता है। इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- सदस्यों के दल–बदल पर निर्णय लेता है।
- अध्यक्ष सदस्यों के त्यागपत्र स्वीकार करता है।
- अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर संसदीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व करता है।
- लोकसभा की समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है।

☑ लोक सभा उपाध्यक्ष–

- निर्वाचन एवं हटाने की प्रक्रिया – अध्यक्ष के समान
- कार्यकाल – लोक सभा भंग होने तक
- **कार्य** :– यह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, जब यह अध्यक्षता करता है तो इसके पास वही शक्तियाँ होती है जो लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है।
- जब भी यह किसी संसदीय समिति का सदस्य बनता है तो यह उसका अध्यक्ष होता है।
- लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है।

☑ 10 सदस्यों का पैनल

- लोक सभा के सदस्य यह पैनल बनाते हैं ।
- लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में पैनल के सदस्य बैठकों की अध्यक्षता करते है।
  नोट :–यदि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति करता है।

☑ सामयिक अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर)

- लोक सभा के आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति इसके सदस्यों में से वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है (फ्रांसीसी परम्परा)।
- 18वीं लोक सभा (2024) – भर्तृहरि महताब।
  प्रोटेम स्पीकर के दो कार्य है–
  (i) सभी सदस्यों को शपथ दिलवाना।
  (ii) अध्यक्ष का निर्वाचन करवाना।
- प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। (सदस्य के रूप में)
- अध्यक्ष के निर्वाचन के साथ ही प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है।
- प्रोटेम स्पीकर को स्थायी अध्यक्ष के समान शक्तियाँ प्राप्त होती है।

☑ **राज्य सभा का सभापति –**

- उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है।
- शक्तियाँ– लोक सभा अध्यक्ष के समान
- अपवाद–
  - धन विधेयक संबंधी शक्ति
  - संयुक्त बैठक संबंधी शक्ति
  - संसदीय प्रतिनिधि दल के नेतृत्व संबंधी शक्ति।

☑ **राज्य सभा का उपसभापति –**

- निर्वाचन व हटाने की प्रक्रिया लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के समान होती है।
- **कार्य :–** यह सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
- **शक्ति :–** जब यह बैठकों की अध्यक्षता करता है तो इसके पास वहीं शक्तियाँ होती है जो सभापति के पास होती है।

☑ **सदस्यों का पैनल –**

- राज्यसभा द्वारा यह पैनल तैयार किया जाता है।
- लोकसभा की भाँति पैनल में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है।
- सभापति व उपसभापति की अनुपस्थिति में पैनल के सदस्य बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

❖ यदि सभापति व उपसभापति दोनों पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति अस्थाई सभापति नियुक्त करता है।

अनुच्छेद 89 – सभापति– पदेन (उपराष्ट्रपति) उपसभापति – निर्वाचित

अनुच्छेद 90 – उपसभापति का कार्यकाल व हटाने की प्रक्रिया

अनुच्छेद 93 – अध्यक्ष – निर्वाचित उपाध्यक्ष – निर्वाचित

अनुच्छेद 94 – लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्षका कार्यकाल व हटाने की प्रक्रिया

राज्य सभा	लोक सभा
अनुच्छेद 89 : सभापति – पदेन (उपराष्ट्रपति) उपसभापति – निर्वाचित	**अनुच्छेद–93 :** अध्यक्ष – निर्वाचित उपाध्यक्ष – निर्वाचित
अनुच्छेद 90 : उपसभापति का कार्यकाल व हटाने की प्रक्रिया	**अनुच्छेद 94 :** लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल व हटाने की प्रक्रिया
अनुच्छेद 91 : सभापति की अनुपस्थिति में कार्य निर्वहन– 1. उपसभापति – 2. पैनल द्वारा • दोनों के पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा अस्थाई सभापति की नियुक्ति	**अनुच्छेद 95 :** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन– 1. उपाध्यक्ष – 2. पैनल द्वारा • दोनों के पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति
अनुच्छेद 92 : पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर सभापति व उपसभापति का पीठासीन अधिकारी नहीं होना ।	**अनुच्छेद 96 :** पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पीठासीन अधिकारी नहीं होना ।

अनुच्छेद 97

- लोक सभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन तथा भत्ते।

अनुच्छेद 98

- राज्य सभा तथा लोक सभा के पृथक–पृथक सचिवालय होंगे।

- दोनों सदनों के सचिवालय का मुखिया महासचिव होता है। वह स्थायी अधिकारी होता है और उसकी नियुक्ति सदन का पीठासीन अधिकारी करता है।

अनुच्छेद 99

- सांसदों को शपथ लेना आवश्यक है। ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि (प्रोटेम स्पीकर) के समक्ष अनुसूची–III के प्रारूप के अनुसार शपथ लेंगे।

अनुच्छेद 100 – गणपूर्ति (कोरम)

- संविधान के प्रावधान अनुसार गणपूर्ति हेतु 10 प्रतिशत सदस्य होने चाहिए।
- लोक सभा व राज्य सभा के नियमानुसार गणपूर्ति हेतु एक तिहाई सदस्य होने चाहिए।

अनुच्छेद 101 – स्थानों का रिक्त होना –

- यदि कोई लोकसभा व राज्यसभा दोनों के लिए निर्वाचित होता है तो 10 दिन के भीतर उसे एक स्थान रिक्त करना होगा अन्यथा उसकी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
- यदि कोई व्यक्ति पहले से किसी सदन का सदस्य है तथा बाद में दूसरे सदन के लिए निर्वाचित होता है तो पहले वाले सदन की उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
- यदि कोई व्यक्ति लोकसभा की दो सीटों से निर्वाचित होता है तो 14 दिन के भीतर उसे एक स्थान रिक्त करना होगा अन्यथा उसके दोनों स्थान रिक्त हो जाएंगे।
- यदि कोई व्यक्ति संसद (लोकसभा) व राज्य विधानसभा दोनों के लिए निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिन के भीतर राज्य विधानमण्डल के स्थान को रिक्त करना होगा अन्यथा उसकी संसद की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
- यदि कोई सांसद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो जाता है तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
- यदि कोई सांसद राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
- यदि न्यायालय किसी सदस्य के चुनाव को रद्द घोषित कर दे तो सदस्य की संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
- यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिनों तक सदन से अनुपस्थित रहे तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
- यदि कोई सांसद अध्यक्ष या सभापति को अपना त्यागपत्र दे दे तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

अनुच्छेद 102 – सांसदों की अयोग्यताएँ

- यदि कोई सांसद भारत का नागरिक ना रहे।
- यदि वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण कर ले।
- यदि कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो चुका हो।
- यदि न्यायालय ने उसे विकृतचित घोषित किया हो।
- संसद द्वारा निर्धारित अन्य अयोग्यताएँ–

☑ **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951ई. द्वारा –**

- उसे चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी ठहराया गया हो ।
- उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई हो। किन्तु निवारक निरोध विधि के तहत किसी व्यक्ति का बंदीकरण अयोग्यता नहीं है।
- वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में विफल रहा हो।

- उसे सरकारी ठेका, कार्य या सेवाओं में कोई रूचि हो।
- वह निगम में लाभ के पद या निदेशक या प्रबंध निदेशक के पद पर हो जिसमें सरकार का हिस्सा 25% से कम ना हो ।
- उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त किया हो।
- उसे विभिन्न समूहों में शत्रुता बढाने या रिश्वतखोरी के लिए दण्डित किया गया हो।
- उसे छुआछूत, दहेज व सती जैसे सामाजिक अपराधों का प्रसार करने व इनमें संलिप्त पाया गया हो।

नोट :– दल–बदल के आधार पर निर्हरता– इसका उल्लेख संविधान के 10वीं अनुसूची में किया गया है।

अनुच्छेद 103

- राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर सांसदों की अयोग्यता का निर्णय करता है।
- चुनाव आयोग द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है।

अनुच्छेद 104

- 500 रू जुर्माना प्रतिदिन (यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं हैं तथा संसद की कार्यवाही में भाग लेता है)

अनुच्छेद 105 – सांसदों, संसदीय समितियों, सदन के विशेषाधिकार

☑ **संसदीय विशेषाधिकारों के स्रोत–**

1. संवैधानिक प्रावधान
2. संसदीय नियम
3. संसदीय परम्परा
4. न्यायिक निर्णय

☑ **सामूहिक विशेषाधिकार :–** संसद के दोनों सदनों के संबंध में

1. सदन को अपनी कार्यवाही, रिपोर्ट, वाद–विवाद को प्रकाशित करने तथा अन्यों को इसे प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार है।

✓ 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने सदन की पूर्व अनुमति के बिना संसद की कार्यवाही की सारतः सही रिपोर्ट के प्रकाशन की प्रेस की स्वतन्त्रता को पुनर्स्थापित किया किन्तु यह सदन की गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं है। अनुच्छेद 361(घ)

2. यह अपनी कार्यवाही से अतिथियों को बाहर कर सकती है तथा कुछ आवश्यक मामलों पर विचार विमर्श हेतु गुप्त बैठक कर सकती है।
3. संसद अपनी कार्यवाही के संचालन, कार्य के प्रबंधन तथा इन मामलों में निर्णय हेतु नियम बना सकती है।
4. यह सदस्यों के साथ–साथ बाहरी लोगों को इसके विशेषाधिकारों के हनन या सदन की अवमानना करने पर निंदित, चेतावनी या कारावास द्वारा दण्ड़ दे सकती है। (सदस्यों के मामलों में बर्खास्तगी या निष्कासन भी)
5. इसे किसी सदस्य की बंदी, निरुद्ध, अपराध सिद्धि, कारावास या मुक्ति संबंधी, तात्कालिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।
6. यह जाँच कर सकती है तथा गवाह की उपस्थिति व संबंधित पेपर और रिकॉर्ड के लिए आदेश दे सकती है।

7. सदन परिसर में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति (सदस्य या बाहरी) बंदी नहीं बनाया जा सकता है और ना ही कोई कानूनी कार्यवाही (सिविल या आपराधिक) की जा सकती है।
8. न्यायालय सदन व इसकी कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

☑ **व्यक्तिगत विशेषाधिकार (सांसदों के)**

1. उन्हें संसद सत्र के दौरान, सत्र से 40 दिन पूर्व तथा सत्र के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता (केवल सिविल मामलों में)
2. उन्हें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है जो किसी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। कोई सदस्य संसद या इसकी किसी समिति में दिए गए वक्तव्य या मत के लिए किसी भी न्यायालय की किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है।
3. वे न्याय निर्णयन सेवा से मुक्त है। संसद के सत्र के समय सदस्य न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकते है।

अनुच्छेद 106 – संसद सदस्यों के वेतन–भत्ते

- सांसदों के वेतन–भत्ते, संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।
- संविधान में सांसदों की पेंशन का उल्लेख नहीं किया गया है। (संसद द्वारा निर्धारित)
- संसद ने वर्ष 2018 में सदस्यों का वेतन 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया तथा पेंशन को 20 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दिया।

अनुच्छेद 107 – 'विधेयक की पुरःस्थापना एवं पारित होने संबंधी उपबंध'

- **साधारण विधेयक दो प्रकार के होते हैं–**
    1. **सरकारी विधेयक** – मंत्री द्वारा पेश किया जाने वाला विधेयक।
    2. **निजी विधेयक** – सांसद जो मंत्री ना हो, के द्वारा पेश किया जाने वाला विधेयक।

☑ **प्रक्रिया – विधेयक प्रस्तुत करने के संदर्भ में –**

- किसी भी सदन में
- सरकारी या निजी दोनो प्रकार
- राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं
- विधेयक को तीन चरणों में पारित किया जाता है –

✪ **प्रथम चरण–**

- इसमें विधेयक का सामान्य परिचय दिया जाता है।
- इस समय विधेयक पर चर्चा नहीं होती है और ना ही संशोधन होता है।

❖ यदि विधेयक गजट में प्रकाशित हो चुका है इसे ही प्रथम पाठन मान लिया जाता है। (गजटः सरकारी समाचार पत्र)

✪ **द्वितीय चरण–**

इस वाचन में तीन उप–चरण होते हैं–

1. सामान्य चर्चा

- विधेयक पर तत्काल चर्चा की जाए या चर्चा हेतु कोई अन्य दिन निर्धारित किया जाए।
- विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाए।
- विधेयक संयुक्त समिति के सौंपा जाए।

- जनता की राय जानने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाए।

2. समिति स्तर

- विधेयक को खण्डों में विभाजित करती है।
- समिति प्रत्येक खण्ड पर विस्तार से चर्चा करती है तथा यथावश्यक संशोधन करती है

3. विचार विमर्श स्तर

- सदन प्रत्येक खण्ड पर विस्तार से चर्चा करता है।
- सदन यथावश्यक संशोधन करता है।
- प्रत्येक भाग को सदन मतदान द्वारा पारित करता है।

✪ **तृतीय चरण–**

➢ इसमें समग्र विधेयक पर चर्चा की जाती है। (विधेयक के पक्ष–विपक्ष में)

➢ अब विधेयक में संशोधन नहीं किया जा सकता लेकिन व्याकरण की अशुद्धियाँ दूर की जा सकती हैं।

➢ मतदान कर विधेयक को पारित किया जाता है।

- ✓ पहले सदन में पारित होने के बाद विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है।
- ✓ दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है।
- ✓ दूसरा सदन अधिकतम 6 माह तक किसी विधेयक को रोक सकता है।
- ✓ यदि दूसरा सदन विधेयक को संशोधित रूप में पारित करता है, तो विधेयक को पुनः पहले सदन में भेजा जाता है।
- ✓ दोनों सदनों के द्वारा विधेयक एक ही रूप में पारित होना चाहिए।
- ✓ दोनों सदनों में पारित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है।

अनुच्छेद 108 – संयुक्त बैठक –

- यदि एक सदन (संसद का) विधेयक को पारित कर दे व दूसरा सदन विधेयक को पारित ना करे अर्थात दोनों सदनों में टकराव की स्थिति हो तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।

नोट :–संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।

☑ **लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में –**

1. लोकसभा उपाध्यक्ष (अनुपस्थित हो तो)
2. राज्यसभा उपसभापति (अनुपस्थित हो)
3. सदस्य स्वयं में से किसी को अध्यक्षता हेतु चुनते है।

- संयुक्त बैठक में लोकसभा के नियमों व प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है।
- केवल साधारण विधेयक व वित्त विधेयक के मामलों में ही संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है।
- धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।

✪ **अभी तक तीन बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है–**

1. 1962 ई. – दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 ई.
2. 1978 ई. – बैंक सेवा आयोग (समाप्ति) अधिनियम,1977 ई.
3. 2002 ई. – आतंकवाद निवारक अधिनियम, 2002 ई.

अनुच्छेद 110 – धन विधेयक की परिभाषा

- किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिवर्तन, परिहार या विनियमन।
- ऋण– केन्द्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनिमय ।
- भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना।
- भारत की संचित निधि से धन का विनियोग ।
- भारत की संचित निधि पर किसी व्यय को भारित घोषित करना या इस प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि।
- भारत की संचित निधि या लोक लेखानिधि में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या अभिरक्षा या व्यय अथवा इनका केन्द्र या राज्य की निधियों का लेखा परीक्षण।
- उपर्युक्त से संबंधित अन्य कोई प्रावधान।

  नोट :–यदि किसी विधेयक में उपर्युक्त में से कोई प्रावधान हो तथा इसमें अन्य कोई प्रावधान न हो तो इसे धन विधेयक कहते है।

अनुच्छेद 109 – धन विधेयक की प्रक्रिया

- धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है।
- धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
- कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है।
- राज्यसभा धन विधेयक को नकार या संशोधित नहीं कर सकती । वह केवल इसे अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है।
- राज्यसभा धन विधेयक पर सुझाव दे सकती है किन्तु लोकसभा किसी या सभी सुझावों को नकार सकती है (बाध्यकारी नहीं है)।
- राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता।
- धन विधेयक सरकारी विधेयक होता है।

वित्त विधेयक

अनुच्छेद 110	अनुच्छेद 117(1)	अनुच्छेद 117(3)
• यदि किसी विधेयक में केवल अनुच्छेद 110 के प्रावधान हो, इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रावधान ना हो (धन विधेयक)	• यदि किसी विधेयक में अनुच्छेद 110 के प्रावधानों के साथ–साथ अन्य प्रावधान भी हो।	• यदि किसी विधेयक में अनुच्छेद 110 का कोई प्रावधान नहीं हो किन्तु संचित निधि से संबंधित अन्य कोई प्रावधान हो।
• यह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जा सकता है।	• यह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है।	• इसे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
• इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।	• इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।	• इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
• लोक सभा अध्यक्ष इसे प्रमाणित करता है– ▪ राज्य सभा में भेजते समय ▪ राष्ट्रपति के पास भेजते समय	• इसके बाद यह साधारण विधेयक की तरह पारित किया जाता है।	• किन्तु राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद सदन इस पर चर्चा कर सकता है।
• राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है।	• राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।	

नोट :–सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते है किन्तु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते है।

अनुच्छेद 111 – विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति

- कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उसके पास तीन विकल्प होते है–
  1. सहमति देना
  2. सहमति रोकना
  3. पुनर्विचार के लिए वापस भेजना (धन विधेयक के अलावा)

अनुच्छेद 112 – 'वार्षिक वित्तीय विवरण' (बजट)

यद्यपि संविधान में 'बजट' शब्द का उल्लेख नहीं है।

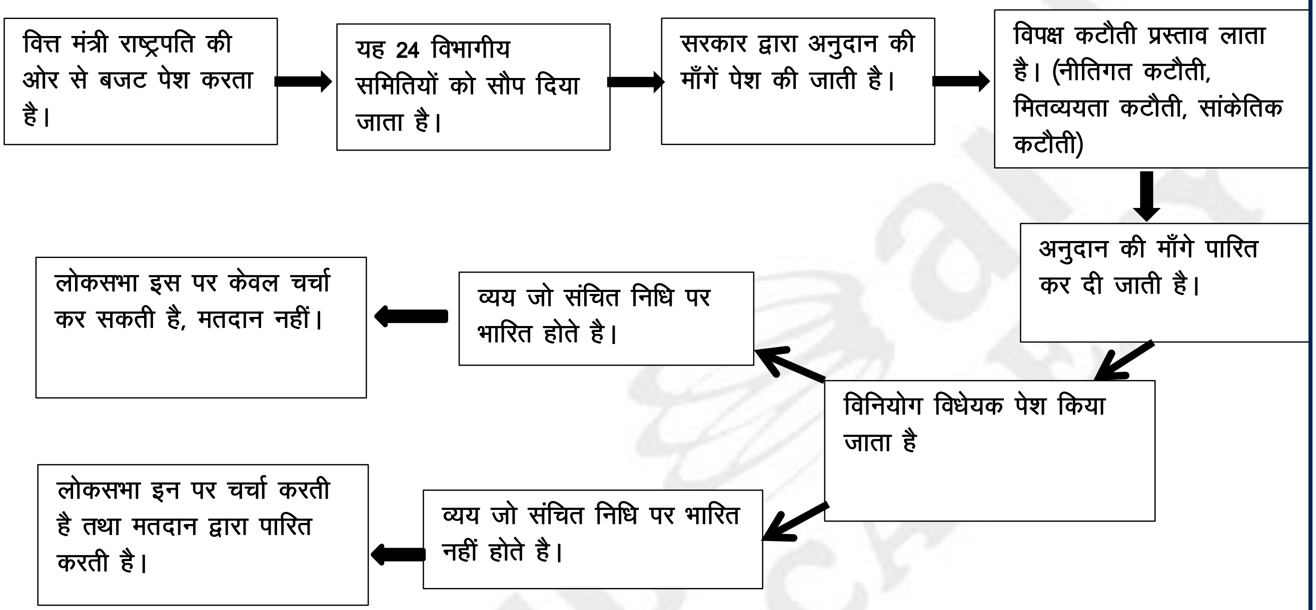

अनुच्छेद 113 – अनुदान की माँगें

☑ **कटौती प्रस्ताव**

1. नीतिगत कटौती प्रस्ताव

- यह सरकार द्वारा माँग की गई सम्पूर्ण आर्थिक नीति के प्रति असहमति को दर्शाता है तथा अनुदान की माँग को कम करके एक रूपये कर दिया जाता है। सदस्य वैकल्पिक नीति भी पेश कर सकते हैं ।

2. मित्तव्ययता कटौती प्रस्ताव

- इसमें बजट के फिजूलखर्चों को उजागर किया जाता है तथा मितव्ययता पर बल दिया जाता है। इसमें कटौती की राशि निश्चित नहीं है। यह विपक्ष निर्धारित करता है।

3. सांकेतिक कटौती प्रस्ताव

- इसमें सरकार की किसी योजना विशेष की आलोचना की जाती है तथा उसमें 100 रूपये की कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है।
- कटौती प्रस्ताव केवल लोक सभा में पेश किए जाते हैं।
- कटौती प्रस्ताव के कारण बजट पर विस्तार से चर्चा हो जाती है।
- यदि कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना होता है लेकिन यह पारित होता नहीं है क्योंकि लोक सभा में मंत्रिपरिषद का बहुमत होता है।

☑ **संचित निधि पर भारित व्यय –**

1. दूसरी अनुसूची में दिए गए वेतन
2. उच्चतम न्यायालय के सभी व्यय

3. संघ लोक सेवा आयोग के सभी व्यय
4. भारत सरकार के ऋण
5. संसद द्वारा विहित कोई अन्य व्यय

अनुच्छेद 114 – विनियोग विधेयक :– अनुदान की माँगों पर मतदान होने और लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद, भारत की निधि से विनियोग के लिए एक विनियोग विधेयक पूरःस्थापित किया जाता है।

☑ **निधियां –**

1. **भारत की संचित निधि (अनुच्छेद 266)** – इस निधि में से किसी भी धन को संसदीय विधि के बिना विनियोजित नहीं किया जा सकता है।
2. **भारत का लोक लेखा (अनुच्छेद 266)** – इसमें भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत, बैंक जमा आदि शामिल है। इस लेखे को कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा नियन्त्रित किया जाता है अर्थात इस खाते से भुगतान संसदीय विनियोजन के बिना किया जा सकता है।
3. **भारत की आकस्मिकता निधि (अनुच्छेद 267)** – संविधान संसद को 'भारत की आकस्मिक निधि' के गठन की अनुमति देता है। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है, राष्ट्रपति की ओर से इस निधि को वित्त सचिव द्वारा रखा जाता है। भारत के लोक लेखा की तरह इसे कार्यकारी प्रक्रिया से संचालित किया जाता है।

अनुच्छेद 115

1. **अनुपूरक अनुदान :–** यदि बजट में आंवटित राशि अपर्याप्त हो अर्थात उस सेवा के लिए धन कम पड़ जाए तो अनुपूरक अनुदान पेश किया जाता है।
2. **अतिरिक्त अनुदान :–** कोई नई सेवा जिसका बज़ट में उल्लेख नहीं था किन्तु उसी वित्त वर्ष में सरकार को उसके लिए धन की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त अनुदान पेश किया जाता है।
3. **अधिक अनुदान –**

- यदि किसी वित्त वर्ष के दौरान सरकार किसी सेवा पर बजट में आवंटित की गई धनराशि से अधिक व्यय करती है तो अगले वित्त वर्ष में अधिक अनुदान पेश किया जाता है।
- इसे पेश करने हेतु राष्ट्रपति के साथ लोक लेखा समिति की पूर्वानुमति की भी आवश्यकता होती है।
- सभी अनुदान की माँगें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश की जाती है।

अनुच्छेद 116

1. **लेखानुदान**

- बजट की प्रक्रिया मई माह तक पूरी होती है जबकि नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से प्रारम्भ होता है तो इस अवधि (अप्रैल+मई) के खर्चों को पूरा करने के लिए लेखानुदान पेश किया जाता है।

2. **प्रत्ययानुदान**

- यदि सरकार को आकस्मिक रूप से धन की आवश्यकता होती है तो आवश्यकताओं के कारणों का उल्लेख किए बिना यह अनुदान पेश किया जाता है। (राष्ट्रपति की पूर्वानुमति)

3. **अपवादानुदान**

- ऐसी कोई सेवा जिसका वजह में प्रावधान नहीं है और सरकार को धन की आवश्यकता होती है या सरकार की किसी अपवादस्वरूप आवश्यकता के लिए यह अनुदान पेश किया जाता है (इस हेतु राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है।)

4. **अंतरिम बजट**

- यदि सरकार का कार्यकाल कम बचा है तो इस स्थिति में अंतरिम बजट पेश किया जाता है ताकि मुख्य बजट अगली निर्वाचित सरकार पेश कर सके।
- इसका संविधान में उल्लेख नहीं है।

5. **सांकेतिक अनुदान**

- यह अनुदान किसी नई सेवा के लिए प्रस्तावित व्यय की मांग है जिसे एक सेवा के धन को पुनर्वियोजन द्वारा नई सेवा में स्थानान्तरित कर उपलब्ध करवाया जाता है।
- इसमें किसी नए धन की मांग नहीं की जाती है।
- सांकेतिक अनुदान (1रू.) की मांग को लोक सभा के समक्ष रखा जाता है और सदन की अनुमति मिलने पर धन उपलब्ध करवाया जाता है।

अनुच्छेद 118 –

- संसद अपने कार्यों के सुचारू संचालन के लिए स्वयं नियम बना सकती है।

प्रश्नकाल

- 11–12 बजे तक
- सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं।

प्रश्नों के प्रकार – 3 प्रकार

1. **तारांकित प्रश्न**
   - प्रश्न जिनके उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं।
   - इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते है।

प्रतिदिन –

- लोकसभा में – 20 प्रश्न
- राज्यसभा में– 15 प्रश्न

2. **अतारांकित प्रश्न**
   - प्रश्न जिनका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है।
   - इसमें अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते है।

प्रतिदिन –

- लोकसभा में – 230 प्रश्न (25 विशेष परिस्थिति)
- राज्य सभा में – 160 प्रश्न
- एक सांसद एक दिन में अधिकतम 5 प्रश्न पूछ सकता है।

3. **अल्पसूचना प्रश्न**

- यदि कोई प्रश्न 15 दिन से कम समय के नोटिस पर पूछा जाता है।
- अत्यावश्यक मामलों में यह प्रश्न पूछा जाता है।
- मंत्री की सहमति के बाद इस प्रकार के प्रश्न स्वीकार किए जाते हैं।
  लोकसभा में – 1 प्रश्न
  राज्यसभा में – 1 प्रश्न

शून्यकाल

- 12–1 बजे तक
- संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं।
- भारतीय नवाचार – 1962 से ।

लंच 1–2 बजे तक होता है।

शाम की कार्यवाही – 2 बजे से अंत तक

- इस समय विभिन्न विधेयकों व प्रस्तावों पर चर्चा होती है।

राज्यसभा में प्रश्नकाल व शून्यकाल की अवधि लोकसभा के विपरीत होती है अर्थात 11–12 बजे तक शून्यकाल तथा 12 बजे से प्रश्नकाल होता है।

☑ **महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव –**

1. **विश्वास प्रस्ताव –**
   - लोकसभा में सत्ता पक्ष के द्वारा अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए यह प्रस्ताव पेश किया जाता है।
   - यदि यह पारित नहीं होता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पडता है।
   - सामान्यतया गठबंधन की सरकार में इसकी आवश्यकता पडती है।

2. **अविश्वास प्रस्ताव –**
   - यह लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाया जाता है।
   - इस पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
   - इसमें अविश्वास का कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है।
   - यह किसी मंत्री विशेष के विरूद्ध नहीं लाया जा सकता है वरन् यह समस्त मंत्रिपरिषद के विरूद्ध ही लाया जाता है।
   - यदि यह पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पडता है।

3. **निंदा प्रस्ताव–**
   - चूँकि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है इसलिए लोकसभा ही मंत्रिपरिषद की निंदा कर सकती है अतः निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है।
   - इस पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
   - इसमें निंदा का कारण बताना आवश्यक है।
   - यह किसी मंत्री विशेष या मंत्रियों के समूह या समस्त मंत्रिपरिषद के विरूद्ध भी लाया जा सकता है।
   - यदि यह पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता है।

4. **स्थगन प्रस्ताव–**
   - यदि कोई बडी दुर्घटना घटित हो जाती है तो तत्काल उस पर चर्चा करने के लिए सदन की नियमित कार्यवाही को स्थगित करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है।
   - इस प्रस्ताव में निम्नलिखित विशेषताएँ होनी चाहिए–
     1. प्रस्ताव किसी एक ही विषय से संबंधित हो।
     2. कोई तात्कालिक विषय जिस पर तुरंत चर्चा ज़रूरी हो
     3. विषय स्पष्ट व तथ्यपरक हो।
     4. जनहित से जुडा विषय हो।

- चूँकि स्थगन प्रस्ताव में सरकार की निंदा का अंश होता है इसलिए इसे केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है।
- इस पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

5. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव –

- यदि कोई बडी दुर्घटना घटित होती है तो उस पर सदन एवं मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है।
- एक दिन में 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जा सकते है।
- एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में अधिकतम 5 सदस्यों के नाम हो सकते है।
- इसमें मंत्री केवल वक्तव्य देता है।
- इसमें चर्चा का प्रावधान नहीं है तथा मतदान भी नहीं होता है।
- यह भारतीय नवाचार है, 1954 से प्रारम्भ हुआ।
- सदन की प्रक्रिया के नियमों में इसका उल्लेख है।
- इसमें सरकार की निंदा नहीं होती है इसलिए इसे दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है।

6. अल्पकालीन चर्चा –

- 1953 से यह प्रारम्भ हुई।
- इसके तहत लोक महत्व के किसी विषय को उठाया जाता है।
- इस पर दो अतिरिक्त सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
- इसके लिए कार्यमंत्रणा समिति (Business Advisory Committee) की सहमति आवश्यक होती है।
- इसमें चर्चा का समय (लोकसभा में 2 घण्टे, राज्यसभा में 2:30 घण्टे) निश्चित है इसलिए इसे अल्पकालीन चर्चा कहा जाता है।

☑ नियम 377 –

- 1966 ई. में प्रारम्भ
- यह लोकसभा का नियम है।
- इसके तहत लोक महत्व के वे विषय जिन्हें प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव व अल्पकालीन चर्चा के दौरान नहीं उठाया गया है, उन्हें इस नियम के तहत उठाया जा सकता है।
- इसमें चर्चा के दौरान मंत्री का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है तथा उसके द्वारा वक्तव्य देना भी आवश्यक नहीं है।
- इसमें प्रतिदिन 20 प्रश्नों (विषयों) को उठाया जा सकता है।

☑ समाप्ति प्रस्ताव

- यह संसद में चर्चा को समाप्त करने के लिए लाया जाता है।

I. सामान्य समाप्ति

- यदि किसी विधेयक पर चर्चा पूरी हो जाती है अर्थात चर्चा के बिन्दुओं का दोहराव होने लगता है तो सामान्य समाप्ति द्वारा चर्चा को समाप्त कर दिया जाता है।

II. कंगारू समाप्ति

- यदि सदन के पास समयाभाव है और विधेयक के सभी बिन्दुओं पर चर्चा संभव नहीं है तो इस स्थिति में अध्यक्ष सर्वदलीय बैठक बुलाता है और उसमें कंगारू समाप्ति के लिए सहमति बनाता है। इसमें विधेयक के केवल महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की जाती है और उसके बाद चर्चा समाप्त कर दी जाती है।

III. गिलोटिन समाप्ति

- यदि सदन के पास समयाभाव है जिससे की सदन के सभी बिन्दुओं पर चर्चा संभव नहीं है तो इस स्थिति में पहले से ही चर्चा का समय निश्चित कर दिया जाता है। और समय पूरा होने पर चर्चा को समाप्त कर दिया जाता है।

☑ लोकसभा के भंग होने पर किसी विधेयक पर प्रभाव –

- यदि विधेयक लोकसभा के सम्पर्क में आया हुआ है तो वह लोकसभा के भंग होने पर समाप्त हो जाएगा।
- यदि कोई विधेयक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के सम्पर्क में आया हुआ है तो वह समाप्त नहीं होगा।

यथा–

- यदि कोई विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है और लोकसभा में विचाराधीन है तो लोकसभा के भंग होने के साथ ही विधेयक समाप्त हो जाएगा।
- यदि विधेयक लोकसभा से पारित हो गया है और राज्यसभा में विचाराधीन है तो लोकसभा के भंग होने के साथ विधेयक समाप्त हो जाएगा।
- राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक यदि लोकसभा में विचाराधीन है तो लोकसभा के भंग होने पर विधेयक समाप्त हो जाएगा।
- यदि कोई विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया है और उस पर अभी विचार चल रहा है तो लोकसभा के भंग होने पर विधेयक समाप्त नही होगा।
- यदि विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया था और पारित कर दिया गया है किन्तु अभी लोकसभा में नहीं भेजा गया है तो विधेयक समाप्त नहीं होगा।
- विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है या पुनर्विचार हेतु वापस लौटाया गया है या विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है तो विधेयक समाप्त नहीं होगा।

संसदीय समितियाँ

- संसदीय समितियों का उद्‌भव ब्रिटेन में हुआ था किन्तु वर्तमान में इनका प्रयोग अमेरिका में ज्यादा किया जाता है।
- भारत सरकार अधिनियम 1919 ई. से भारत में संसदीय समितियों का आरम्भ हुआ।
- 1921 ई. में पहली बार संसदीय समितियों का गठन किया गया।
- संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं–
  1. स्थायी समिति
  2. अस्थाई समिति
- संसदीय समितियों में कोरम (गणपूर्ति) हेतु एक तिहाई (1/3) सदस्य उपस्थित होने चाहिए।

☑ **संसदीय समितियों का महत्व –**

- यह कार्य विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित है। संसद के पास कार्य अधिक होते है जबकि समय का अभाव होता है अतः विभिन्न कार्यों को समितियों में बाँट दिया जाता है।
- विशेषज्ञता को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि विषय विशेष के विशेषज्ञों को ही उस समिति में सदस्य बनाया जाता है।
- **गोपनीयता रखने में सहायक–** संसद को राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अनेक संवेदनशील मुद्‌दों पर निर्णय लेना होता है जिन पर खुले सदन में चर्चा नहीं की जा सकती इसलिए गोपनीयता को बनाए रखने हेतु संसदीय समितियाँ इन पर विचार करती है।
- संसदीय समितियों के माध्यम से विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण बढ़ता है।
- यह लोकसभा व राज्यसभा के मध्य सहयोग व सामंजस्य को बढ़ावा देती है।
- सत्ता पक्ष व विपक्ष के मध्य सहयोग व सामंजस्य को बढ़ावा देती है।

☑ **स्थायी समितियाँ –**

1. **प्राक्कलन समिति –**

- स्वतंत्रता पश्चात पहली बार जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर 1950 ई. पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया।
- इसमें 30 सदस्य होते है (मूलतः 25 सदस्य, 1956 में संख्या बढ़ाकर 30)
- सभी सदस्य लोकसभा से होते है।
- आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से सदस्यों का निर्वाचन होता है।
- सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होता है।
- मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता है।

कार्य –

1. बजट प्रावधानों की समीक्षा करना
2. कार्यकुशलता हेतु वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना।
3. प्राक्कलन में नीति के अनुसार राशि के समुचित प्रावधान की जाँच करना।
4. बजट प्रावधनों की कमियों और अनियमितताओं को दूर करना।

2. **लोक लेखा समिति –**

- इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम, 1919 के अन्तर्गत 1921 में हुआ और तब से यह अस्तित्व में है।
- इसमें 22 सदस्य होते है। (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा से)
- आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है।
- इसका अध्यक्ष विपक्षी दल से होता है।
- इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है।
- मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता है।

कार्य –

✓ कैग के सामान्य प्रतिवेदन की समीक्षा करना।
✓ अधिक अनुदान के लिए लोक लेखा समिति की अनुमति आवश्यक है।

3. **लोक उपक्रम समिति –**

- यह समिति 1964 ई. में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर पहली बार गठित हुई थी।
- इसमें 22 सदस्य होते है। (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा से)
- आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से सदस्यों का निर्वाचन होता है।
- सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होता है।
- मंत्री सदस्य नहीं बन सकता।

कार्य –

✓ CAG के लोक उपक्रम प्रतिवेदन की जाँच करना।

4. **कार्य मंत्रणा समिति –**

- यह लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए अलग–अलग होती है।
- लोकसभा समिति में– 15 सदस्य होते है (अध्यक्षता– लोकसभा अध्यक्ष द्वारा)
- राज्यसभा की समिति में – 11 सदस्य होते है (अध्यक्षता – सभापति द्वारा)

  कार्य –

  ✓ सदन के दैनिक कार्यक्रम का निर्धारण करना।

☑ **विभागीय स्थायी समितियाँ –**

- इनका आरम्भ अमेरिका से हुआ।
- 1993 ई. में 17 विभागीय समितियों की स्थापना की गई ।
- 2004 ई. में इनकी संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई ।
- प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं (21 लोक सभा + 10 राज्य सभा से)
- 16 समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा तथा 8 समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यसभा सभापति द्वारा की जाती है।

कार्य–

- वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करने के बाद बजट विभागीय समितियों को सौंप दिया जाता है।
- एक समिति एक से अधिक विभागों के बजट की समीक्षा करती है।

☑ **अस्थायी समितियाँ –**

- उद्देश्य विशेष के लिए इन समितियों का गठन किया जाता है तथा उद्देश्य प्राप्ति के बाद ये समितियाँ स्वतः समाप्त हो जाती हैं।

जैसे –

- किसी विधेयक के लिए प्रवर समिति तथा संयुक्त समिति का गठन किया जाता है।

- उद्देश्य विशेष के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन किया जाता है।
- 31 सदस्य (21 लोकसभा + 10 राज्यसभा)

☑ अभी तक गठित संयुक्त संसदीय समितियाँ :–

1. बोफोर्स घोटाला
2. हर्षद मेहता घोटाला (शेयर बाजार)
3. शीतल पेय पदार्थों में कीटनाशक
4. केतन पारेख शेयर बाजार घोटाला
5. 2G घोटाला (पी.सी. चाको)
6. वी.वी.आई.पी. हेलिकॉप्टर घोटाला (निर्णय लिया गया किन्तु गठन नहीं)
7. वक्फ बोर्ड (संशोधन) विधेयक 2024

अनुच्छेद 119

संसद वित्तीय मामलों की कार्यवाही के लिए अपने नियम स्वयं बना सकती हैं।

अनुच्छेद 120

'संसद में प्रयोग ली जाने वाली भाषा।'

- हिन्दी तथा अंग्रेजी का उपयोग होता है।
- किन्तु अध्यक्ष व सभापति की अनुमति से अन्य भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है।

अनुच्छेद 121

- संसद में किसी न्यायाधीश के व्यवहार पर चर्चा तथा टिप्पणी नहीं की जा सकती है अर्थात् संसद न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती ।
- किन्तु किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव के समय चर्चा की जा सकती है।

अनुच्छेद 122

- न्यायालय सदन के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

अनुच्छेद 123

- राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्ति।

न्यायपालिका
अनुच्छेद 124–147

उच्चतम न्यायालय

- 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 'प्रिवी काउंसिल' (अपील का सर्वोच्च न्यायालय) तथा 'फेडरल कोर्ट' (संघीय न्यायालय) का स्थान लिया।

अनुच्छेद 124

- भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा।
- इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे।
- संसद न्यायाधीशों की संख्या बढा सकती है।
- वर्तमान में 33 + 1 = 34 न्यायाधीश है।
- राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, इसके लिए वह भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से 'परामर्श' करता है।

☑ **'परामर्श' शब्द से क्या तात्पर्य है ?**

✪ **प्रथम न्यायाधीश वाद –1982 – (एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ)**

- इसके तहत उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद–124 की व्याख्या की।
- न्यायालय ने माना कि 'परामर्श' शब्द से तात्पर्य है राष्ट्रपति व मुख्य न्यायाधीश के मध्य विचारों का आदान–प्रदान ।
- इसके तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही की जानी चाहिए।

✪ **द्वितीय न्यायाधीश वाद, 1993 ई.**

- उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उलट दिया
- CJI व उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है।
- (1+2 न्यायाधीश– इस समय कॉलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में आई किन्तु 'कॉलेजियम' शब्द 1998 में प्रयुक्त हुआ)
- यदि राष्ट्रपति इनकी सलाह को नहीं मानता है तो उसे इसका कारण बताना होगा।
- उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए।
- **केशवानन्द भारती वाद, 1973 ई.**
  - सरकार के विरूद्ध निर्णय– तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों जे. एम. शेलात, के. एस. हेगडे, ए. एन. ग्रोवर की वरिष्ठता लांघकर ए. एन. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
- 1976 – ए.डी.एम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला वाद (4:1 से निर्णय) – यह वाद बंदी प्रत्यक्षीकरण वाद से जाना जाता है।
  - सरकार के विरूद्ध निर्णय के कारण हंसराज खन्ना की वरिष्ठता लांघकर एम. एच. बेग को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
- जनता पार्टी ने मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता सिद्धांत को अपनाने का वादा किया।

✪ **तृतीय न्यायाधीश वाद 1998 ई.**

- उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय की पुष्टि की तथा ये भी माना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों का 'कॉलेजियम' राष्ट्रपति को न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु सलाह देगा।
- राष्ट्रपति को इनकी सलाह माननी होगी।
- यदि 'कॉलेजियम' के दो सदस्य सलाह से असहमत हैं तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है।
- यदि राष्ट्रपति कॉलेजियम की सलाह नहीं मानता है तो उसे इसका कारण बताना होगा।
- इस समय पहली बार 'कॉलेजियम' शब्द का प्रयोग किया गया ।
- कालान्तर में कॉलेजियम व्यवस्था की आलोचना होने लगी क्योंकि यह एक बंद व्यवस्था है जिसमें पारदर्शिता का अभाव है। इस पर भाई–भतीजावाद के आरोप लगते हैं, उच्चतम न्यायालय में कुछ परिवारों का ही दबदबा है इसलिए उच्चतम न्यायालय में सभी वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति, जनजाति (SC/ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाएँ तथा अल्पसंख्यक वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **99वें संविधान संशोधन अधिनियम,** 2015 द्वारा 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' (NJAC) का गठन किया गया जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता।
- **इसमें कुल 6 सदस्य थे–**

  (i) भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI)

  (ii) उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीश

  (iii) विधि मंत्री

  (iv) दो अन्य सदस्य (एक प्रख्यात कानूनविद् एवं एक SC/ST/OBC/ अल्पसंख्यक / महिला)

  नोट :–दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति (3 वर्षों के लिए और पुनः नियुक्ति नहीं) **एक तीन सदस्यीय समिति** द्वारा की जानी थी।

  ✪ **समिति के सदस्य –**

  (i) भारत का मुख्य न्यायाधीश

  (ii) प्रधानमंत्री

  (iii) लोकसभा में विपक्ष का नेता

☑ **'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' (NJAC)**

कार्य –

1.नियुक्तियाँ–

- भारत का मुख्य न्यायाधीश
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

2.न्यायाधीशों का स्थानांतरण –

- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्णय– न्यूनतम 5:1 बहुमत से
- राष्ट्रपति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की राय को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, दुबारा वही राय आने पर भी माननी पड़ेगी।

- 2015 में उच्चतम न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन को शून्य घोषित कर दिया। न्यायालय के अनुसार यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सीमित करता है और स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान का बुनियादी ढाँचा है। अतः कॉलेजियम व्यवस्था पुनः अस्तित्व में आ गई।

उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों की योग्यता –

- 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो।
- 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकील रहा हो।
- राष्ट्रपति की राय में एक प्रख्यात विधिवेता हो।

कार्यकाल :– संसद द्वारा निर्धारित –

- 65 वर्ष तक की आयु तक न्यायाधीश अपने पद पर बना रह सकता है।

पद से हटाने की प्रक्रिया :–

- निम्नलिखित दो आधारों पर न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है–
  (i) अक्षमता (ii) सिद्ध कदाचार
- हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में 50 सदस्यों के, लोकसभा में 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
- सदन का सभापति/अध्यक्ष प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है।
- यदि प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो अध्यक्ष/सभापति आरोपों की जाँच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन करता है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं–
  (a) उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश
  (b) किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
  (c) विख्यात विधिवेता
- यदि समिति द्वारा आरोप सही पाए जाते हैं तो सदन प्रस्ताव को आगे बढ़ाता है।
- यहाँ तक की प्रक्रिया का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है।
- यह प्रस्ताव दोनों सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है।
- प्रत्येक सदन द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद न्यायाधीश को हटाने की सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है।
- राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने के आदेश जारी करता है।

अनुच्छेद 125 – 'न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, पेंशन एवं सेवा शर्तें' –

- CJI – 2 लाख 80 हजार रू.
- अन्य न्यायाधीश – 2 लाख 50 हजार रू.
- पेंशन – वेतन का 50 प्रतिशत

अनुच्छेद 126 – 'कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश' –

- यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, वह अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो अथवा वह अपने दायित्त्वों के निर्वहन में असमर्थ हो तब राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है।

अनुच्छेद 127 – तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति –

- उच्चतम न्यायालय में गणपूर्ति को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है।

- उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले को ही तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है।
- इसके लिए संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है।

अनुच्छेद 128 – 'सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति' –

- उच्चतम न्यायालय में यदि कार्यभार अधिक हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कर सकता है।
- इसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के साथ सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सहमति आवश्यक है।
- इसके वेतन–भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
- वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान शक्तियाँ रखता है लेकिन वह 'उच्चतम न्यायालय' का न्यायाधीश' पदनाम का प्रयोग नहीं कर सकता।
- इसका अधिकतम कार्यकाल 2 वर्ष हो सकता है।

अनुच्छेद–129 – अभिलेखिय न्यायालय व न्यायालय की अवमानना

- उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित अन्य सभी न्यायालयों के लिए अनुकरणीय होगें तथा इन निर्णयों की आधार बनाकर वे अपने निर्णय देगें।
- अन्य न्यायालय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की समीक्षा व आलोचना नहीं कर सकते है।
- न्यायालय की अवमानना करने वाले व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय दण्डित कर सकता है। इसके लिए 6 माह की सजा अथवा 2 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है।
- न्यायालय की अवमानना संविधान द्वारा परिभाषित नहीं हैं।

अनुच्छेद–130 – 'उच्चतम न्यायालय का स्थान'

- संविधान अनुसार उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली होगा किन्तु भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से उच्चतम न्यायालय की पीठ के लिए अन्य स्थान का निर्धारण कर सकता है।

उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता

- **अनुच्छेद 131 – आरंभिक अधिकारिता/मूल क्षेत्राधिकार –**
- इसके तहत वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई सीधे उच्चतम न्यायालय में की जाती है–
  - (i) केन्द्र–राज्य विवाद
  - (ii) राज्य–राज्य विवाद
  - (iii) केन्द्र, राज्य बनाम अन्य राज्य विवाद
- इसके निम्नलिखित अपवाद हैं– (इन मामलों की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में नहीं होगी।)
  1. संविधान पूर्व के किसी संधि, समझौते, करार से संबंधित विवाद।
  2. यदि किसी समझौते अथवा संधि में पहले से यह प्रावधान हो।
  3. अंतर–राज्यीय नदी जल विवाद।
  4. वित्त आयोग को सौंपे गए मामले।
  5. वाणिज्यिक प्रकृति के अन्य मामले।
  6. केंद्र – राज्य के बीच विभिन्न प्रकार के व्यय तथा पेंशन के भुगतान से संबंधित विवाद।
  7. केन्द्र के विरूद्ध राज्यों के द्वारा नुकसान की भरपाई के मामले।

नोट :–राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय करेगा।

अपीलीय अधिकारिता

- उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के निर्णय के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।
- उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित तीन प्रकार के मामलों में अपील हो सकती है–

(i) अनुच्छेद 132 – संवैधानिक मामले

- इसमें उच्च न्यायालय निर्णय के साथ यह प्रमाण देता है कि इस वाद में 'विधि का सारवान प्रश्न' निहित है
- जिसमें 'संविधान की व्याख्या' आवश्यक है तो उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।

(ii) अनुच्छेद 133 – दीवानी मामले

- यदि उच्च न्यायालय अपने निर्णय के साथ यह प्रमाण पत्र देता है कि इस वाद में ' लोक महत्व का विधि का सारवान प्रश्न' निहित है जिसकी व्याख्या उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जानी चाहिए तो इस स्थिति में उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।

(iii) अनुच्छेद 134 – आपराधिक मामले

- यदि उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र देता है तो उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। किन्तु निम्नलिखित मामलों में उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना भी उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है–
  - ✓ यदि किसी व्यक्ति को अधीनस्थ न्यायालय ने बरी कर दिया हो लेकिन उच्च न्यायालय ने उसे 10 वर्ष या अधिक की सजा दे दी हो।
  - ✓ यदि उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से किसी वाद/मामले को स्वयं ले लिया हो तथा आरोपी को 10 वर्ष या अधिक की सजा दी हो।

☑ **न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971 ई.**

- न्यायालय की अवमानना को परिभाषित किया गया।
- न्यायालय की अवमानना पर जाँच की प्रक्रिया और दण्ड का प्रावधान।
  - नागरिक अवमानना – जान–बूझकर आदेश आदि न मानना।
  - आपराधिक अवमानना – न्यायालय का अपमान (प्रतिष्ठा को कम करना, न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करना)

अनुच्छेद 32 – रिट अधिकारिता

- यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो उच्चतम न्यायलय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है।

1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण
2. परमादेश
3. प्रतिषेध
4. उत्प्रेषण
5. अधिकार पृच्छा

अनुच्छेद 143 – परामर्शदात्री अधिकारिता

- राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, यदि–
  - लोक महत्त्व का विधि का प्रश्न या तथ्य का प्रश्न उत्पन्न हुआ हो या होने की संभावना हो।
- निम्नलिखित मामलों में उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है–
  - संविधान–पूर्व की संधि अथवा समझौतों से संबंधित विवाद।

- अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है।
- उच्चतम न्यायलय जो सलाह देता है राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

अनुच्छेद 136 – विशेष अनुमति याचिका (SLP)

- उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा दिए गए किसी निर्णय या आदेश के विरूद्ध अपील करने की अनुमति दे सकता है।
- उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित मामलों में यह अनुमति दे सकता है–
  - किसी भी प्रकार का मामला हो– सिविल, संवैधानिक, आपराधिक।
  - मामला किसी भी स्तर/चरण में हो।
  - किसी भी न्यायालाय (अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधिकरण आदि) का मामला हो।

अपवाद

- सैन्य न्यायालय का मामला हो।

अनुच्छेद – 135

- संघीय न्यायालय की सारी शक्तियाँ उच्चतम न्यायालय के पास होगी।

अनुच्छेद – 137

- उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों की पुनः समीक्षा कर सकता है।

अनुच्छेद – 138

- संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है।
  - संघ सूची के विषय पर।
  - संघ और राज्य के मध्य समझौते से भी प्रदान की जा सकती है।

अनुच्छेद 139

- संसद उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है अर्थात् अनुच्छेद 32 के अतिरिक्त अन्य मामलों में भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है।

अनुच्छेद 139 (क) - 'कुछ मामलों का स्थानान्तरण'

- भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय से किसी भी मामले को उच्चतम न्यायालय स्वयं के पास स्थानांतरित कर सकता है तथा एक न्यायालय से दूसरे न्यायलय में भी स्थानांतरित कर सकता है।

अनुच्छेद 140

- संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को आनुषंगिक शक्तियाँ प्रदान कर सकती है।

अनुच्छेद 141

- उच्चतम न्यायालय के द्वारा घोषित की गई विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी।

अनुच्छेद 142

- उच्चतम न्यायालय के आदेशों का प्रवर्तन (पूर्ण न्याय) उच्चतम न्यायालय अपने आदेशों को लागू करवाने के लिए विधायिका व कार्यपालिका की शक्तियों को स्वयं अपने हाथ में ले सकता है।
- कुछ आलोचकों का मानना है कि इस अनुच्छेद के कारण न्यायिक सक्रियता को प्रोत्साहन मिलता है।
- आरम्भ में वंचित वर्गों और पर्यावरण मामलों में उपयोग।
- **यूनियन कार्बाइड केस, 1989 ई.** – उच्चतम न्यायालय ने स्वयं को संसदीय कानूनों से ऊपर स्थापित कर दिया और कहा कि 'पूर्ण न्याय के लिए वह संसद के कानूनों को अध्यारोपित कर सकता है।

- **उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, 1998** ई.– अनुच्छेद 142 का प्रयोग संसदीय कानूनों के अनुपूरक के रूप में किया जाना चाहिए।

☑ **अनुच्छेद 142 के उपयोग के उदाहरण –**

- ताजमहल के संगमरमर की सफाई।
- कोल ब्लॉक आवंटन रद्द।
- IPL फिक्सिंग की जाँच।
- राष्ट्रीय राजमार्गों (500 मीटर तक) पर शराब बिक्री प्रतिबंधित।
- राम जन्मभूमि हेतु 3 माह में न्यास।
- ए. जी. पेरारिवलन को बरी करना।
- कोविड–19 के दौरान मुआवजा।

अनुच्छेद 143 – राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है यदि

- लोक महत्व का विधि का प्रश्न या तथ्य का प्रश्न उत्पन्न हुआ हो या होने की सम्भावना हो।
- **निम्नलिखित मामलों में उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है:–**
  - संविधान पूर्व की संधि अथवा समझौतो से संबंधित विवाद।
  - अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है।
  - उच्चतम न्यायालय जो सलाह देता है राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

अनुच्छेद 144

- सिविल तथा न्यायिक अधिकारी उच्चतम न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे।

अनुच्छेद 145

- उच्चतम न्यायालय अपने नियम विनियम स्वयं बनायेगा।
  - संवैधानिक पीठ – 5 न्यायाधीश
  - खुले न्यायालय में निर्णय
  - असहमत न्यायाधीश भी अपना निर्णय देगा।

अनुच्छेद 146

- उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों अथवा सेवकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें, वेतन–भत्ते, पेंशन आदि का निर्धारण भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अथवा इस कार्य हेतु उसके द्वारा नियुक्त अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- नियुक्ति – संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श।
- वेतन–भत्ते – राष्ट्रपति का अनुमोदन।
- उच्चतम न्यायालय के सभी व्यय संचित निधि पर भारित होंगे।

अनुच्छेद 147 – निर्वचन

☑ **न्यायिक पुनरावलोकन –**

- उच्चतम न्यायालय विधायिका द्वारा पारित किए गए अधिनियमों तथा कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों की समीक्षा कर सकता है और यदि ये संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ना हो तो उन्हें शून्य घोषित कर सकता है।
- यद्यपि संविधान में स्पष्टतः न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख नहीं है किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से अनेक अनुच्छेद न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करते हैं–
  जैसे–

अनुच्छेद – 13(2)
अनुच्छेद – 32
अनुच्छेद – 131,132,133,134,135,136
अनुच्छेद – 143, 145
अनुच्छेद – 226, 246, 256

☑ **सदन का नेता–**

- इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है तथा संसद के नियम में उल्लेख किया गया है।
- प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है वह उस सदन का नेता होता है।
- दूसरे सदन में प्रधानमंत्री किसी मंत्री को सदन का नेता घोषित करता है।

☑ **विपक्ष का नेता–**

- 1969 ई. में यह पद सृजित किया गया।
- 1977 ई. में इस पद को वैधानिक दर्जा दिया गया जिसके तहत इसे कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया गया अर्थात् इसे कैबिनेट मंत्री के बराबर भत्ते व सुविधाएं दी जाती है।
- विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए सदन में कम से कम 10 प्रतिशत सीटें होना आवश्यक है। (2014 ई. से लोक सभा में विपक्ष का नेता पद किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है)

☑ **सचेतक (व्हिप) –**

- इसका उल्लेख न तो भारत के संविधान में न ही सदन के नियमों में किया गया है। यह संसदीय सरकार की परम्पराओं पर आधारित होता है।
- प्रत्येक राजनीतिक दल सदन में अपना एक व्हिप नियुक्त करता है। यह उस सदन के सदस्यों के व्यवहार को नियन्त्रित करता है। दल के सदस्यों को सदन में व्हिप के निर्देशों का पालन करना होता है।
- यदि कोई सदस्य व्हिप के निर्देशों का पालन नहीं करता तथा राजनीतिक दल 15 दिन में उसे क्षमा नहीं करता है तो सदस्य को दल–बदल का दोषी माना जाता है।
- गुप्त मतदान में व्हिप जारी नहीं किया जाता है। (राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव)
- लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक संसदीय कार्यमंत्री होता है।

☑ **छाया मंत्रिमंडल/शैडो कैबिनेट**

- यह ब्रिटेन की परम्परा है।
- ब्रिटेन में विपक्षी दलों के द्वारा छाया कैबिनेट की घोषणा की जाती है, ताकि जनता वास्तविक कैबिनेट और शैडो कैबिनेट के बीच तुलना कर सके।
- सरकार पर नैतिक दबाव उत्पन्न करने के लिए छाया मंत्रिमंडल बनाया जाता है।

☑ **किचन कैबिनेट**

- प्रधानमन्त्री तथा उसके मुख्य सलाहकार किचन कैबिनेट कहलाते है।
- यह एक अनौपचारिक शब्द है जो प्रायः मीडिया द्वारा प्रयोग में लिया जाता है।
- गैर–मंत्री भी इसके सदस्य हो सकते है।

☑ **त्रिशंकु संसद**

- यदि आम चुनावों में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो इसे त्रिशंकु संसद कहते है।

☑ **लेम डक सेशन**

- अगली लोकसभा के चुनाव के बाद निवर्तमान लोकसभा का जो सत्र बुलाया जाता है उसे लेम–डक सेशन कहते है। क्योंकि वे सदस्य जो नयी लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं वे लेम–डक कहलाते हैं।

उच्च न्यायालय

भाग–VI

(अनुच्छेद – 214–231)

- 1862 ई. में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी–
  1. कलकता
  2. बॉम्बे
  3. मद्रास
- 1866 ई. में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई।
- 1947 ई. से पहले देश में 11 प्रान्त थे, सभी प्रान्तों में उच्च न्यायालय स्थापित कर दिए गए थे।

अनुच्छेद 214 – प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा।

- ***7वाँ संविधान संशोधन,*** **1956** ई.– एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है।
- वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय
- 25वाँ आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
- 2013 ई. में तीन उच्च न्यायालय बने–
  1. त्रिपुरा
  2. मणिपुर
  3. मेघालय

उच्च न्यायालय	राज्य/संघ क्षेत्र
• गुवाहाटी उच्च न्यायालय	• असम, अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मिजोरम
• बोम्बे उच्च न्यायालय	• महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव – दादरा नगर हवेली
• कलकत्ता उच्च न्यायालय	• पश्चिम बंगाल, अण्डमान एवं निकोबार
• पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय	• पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ
• मद्रास उच्च न्यायालय	• तमिलनाडु, पुदुचेरी
• केरल उच्च न्यायालय	• केरल, लक्षद्वीप
• जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय	• जम्मू कश्मीर, लद्दाख

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति –

- नियुक्ति – राष्ट्रपति
- इस हेतु राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) + 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेता है।
- राष्ट्रपति राज्यपाल तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है।
- उच्च न्यायालय के न्यायधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाता है।
- **स्थानांतरण** – कॉलेजियम द्वारा (दोनों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से)

कार्यकाल–

- 62 वर्ष की आयु सीमा तक न्यायाधीश अपने पद पर बने रह सकते है।

हटाने की प्रक्रिया–

- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान।

योग्यताएँ–

- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- न्यूनतम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील रहा हो।

अथवा

न्यूनतम 10 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो।

नोट :–न्यायाधीशों की संख्या – इसका निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

उच्च न्यायालय की अधिकारिता (अनुच्छेद 225)

1. आरंभिक अधिकारिता –

- विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, वसीयत, कम्पनी मामले
- नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन।
- सांसदों व राज्य विधानमण्डल के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवाद।
- राजस्व विषय तथा राजस्व संग्रहण से संबंधित मामले।
- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भेजे गए मामले।
- निम्नलिखित उच्च न्यायालयों को एक राशि तक के दीवानी मामलों में आरम्भिक अधिकारिता है–

  (i) दिल्ली (ii) मद्रास

  (iii) कलकत्ता (iv) बोम्बे
- 1973 से पहले निम्नलिखित उच्च न्यायालयों के पास आपराधिक मामलों में भी आरम्भिक अधिकारिता थी–

  (i) मद्रास (ii) बोम्बे

  (iii) कलकत्ता।
- 1973 में इसे समाप्त कर दिया गया।

2. अपीलीय अधिकारिता

- जिला न्यायालय व सत्र न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
- उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में अपील की जा सकती है।

निम्नलिखित 2 प्रकार के मामलों में अपील की जा सकती है–

(i) दीवानी मामले – इसमें प्रथम अपील व द्वितीय अपील दोनों प्रकार की अपील हो सकती है।

- प्रथम अपील – जिसमें तथ्य का प्रश्न व विधि का प्रश्न दोनों निहित होते हैं।
- द्वितीय अपील – इसमें केवल विधि का प्रश्न निहित होता है।

  1997 में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक एवं दूसरे अधिकरणों के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में अपील की जा सकती है।

(ii) आपराधिक मामले– जिन मुकदमों में 7 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान हो, उनके लिए उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

- मृत्युदण्ड के सभी मामलों में उच्च न्यायालय का अनुमोदन आवश्यक है।

3. **रिट अधिकारिता (अनुच्छेद 226) –**

- अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय पाँच प्रकार की रिट जारी कर सकता है–
  1. बंदी प्रत्यक्षीकरण
  2. परमादेश
  3. प्रतिषेध
  4. उत्प्रेषण
  5. अधिकार पृच्छा

  नोट :–चन्द्रकुमार वाद, 1997 ई.– रिट अधिकारिता संविधान का मूल ढाँचा है।

4. **अभिलेखिय न्यायालय व न्यायालय की अवमानना (अनुच्छेद 215)–**

- उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय राज्य के अन्य न्यायालयों के लिए अनुकरणीय होंगे।
- अन्य न्यायालय उन निर्णयों की समीक्षा या आलोचना नहीं कर सकते है।
- न्यायालय की अवमानना पर 6 माह की सजा अथवा 2 हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है।

5. **न्यायिक पुनरवलोकन {अनुच्छेद 226, 13(2)}**

- उच्च न्यायालय संसद व राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए अधिनियमों तथा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों की समीक्षा कर सकता है तथा संविधान के विरोधी होने पर उन्हें शून्य घोषित कर सकता है।
- यह निर्णय केवल राज्य में लागू होंगे।
  - 42वाँ संशोधन – उच्च न्यायालय की केंद्रीय कानूनों के पुनरवलोकन की शक्ति समाप्त।
  - 43वाँ संशोधन – उच्च न्यायालय की केंद्रीय कानूनों के पुनरवलोकन की शक्ति वापस प्रदान।
- उच्च न्यायालय राज्य में स्थित अन्य अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण कर सकता है।

भाग– VI - अधीनस्थ न्यायालय
(अनुच्छेद 233–237)

उच्च न्यायालय

↓

जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय

दीवानी मामले	फौजदारी मामले
↓	↓
अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय	मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय
↓	↓
मुंसिफ अदालत	न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय

- जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है।

☑ **जिला न्यायाधीश हेतु योग्यताएँ–**

1. वह कम से कम 7 वर्ष वकील रहा हो।
2. उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो।
3. वह केन्द्र या राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक सेवा में ना हो।

- जिला न्यायाधीश किसी अपराधी को उम्रकैद अथवा मृत्युदण्ड की सजा दे सकता है यद्यपि उसके द्वारा दिया गया मृत्युदण्ड उच्च न्यायालय के अनुमोदन के पश्चात ही लागू हो सकता है।
- जिला न्यायाधीश जिले के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण का अधिकार रखता है।
- जिला न्यायाधीश के फैसले के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

☑ **अन्य न्यायालय–**

✪ **ग्राम न्यायालय**

- 2 अक्टूबर 2008 ई. – ग्राम न्यायालयों हेतु अधिनियम पारित किया गया।
- 2009 ई. में ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई।

उद्देश्य –

1. नागरिकों को उनके द्वार पर न्याय उपलब्ध करवाना ।
2. यह सुनिश्चित करना कि कोई भी नागरिक अपनी सामाजिक, आर्थिक, व अन्य अशक्ताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित ना रहे।
3. ग्राम पंचायत स्तर तक न्यायालय को पहुँचाना।
   - उच्च न्यायालय की अनुमति से राज्य सरकार ग्राम न्यायालय की स्थापना करती है तथा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को नियुक्त करती है।
   - यह एक भ्रमणशील न्यायालय है।
   - यह आपराधिक व दीवानी दोनों प्रकार के मुकदमें सुनता है।
   - 6 माह के भीतर मामले की सुनवाई तथा निस्तारण किया जाएगा।
   - इसके निर्णय के विरूद्ध एक माह में अपील की जा सकती है। फौजदारी मामलों में निर्णय के विरूद्ध सत्र न्यायालय में तथा दीवानी मामलों में निर्णय के विरूद्ध जिला न्यायालय में अपील की जा सकती है।
   - ग्राम न्यायालय अधिक सफल नहीं रहे हैं।

नोट :–राजस्थान का प्रथम ग्राम न्यायालय 2010 में – बस्सी (जयपुर)

✪ लोक अदालत –

- लोक अदालत ऐसा मंच है जहाँ मामलें (न्यायालय में लंबित/आरंभिक स्तर) सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए जाते हैं।
- 1982 ई.– गुजरात में लोक अदालत स्थापित की गई।
- 1986 ई.– चेन्नई में लोक अदालत स्थापित की गई।
- भारतीय न्यायालयों में लंबित मुकदमों की भरमार है और लोक अदालतें त्वरित तथा किफायती न्याय का एक वैकल्पिक समाधान उपलब्ध करवाती है।
- लोक अदालतों का उद्देश्य– लंबित मामलों को निपटाना अर्थात लम्बे समय से विचाराधीन मामलों को निपटाना।
- कोई मामला सीधे लोक अदालत में भी ले जा सकते हैं।
- लोक अदालतों की बढ़ती सफलता और लोकप्रियता के कारण वैधानिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा लोक अदालत के अवार्ड (निर्णय) को सिविल न्यायालय की डिक्री (आदेश) के समान माना गया।
- लोक अदालत के निर्णय से असंतुष्ट होने पर अपील नहीं की जा सकती किंतु पक्षकार आवश्यक प्रक्रिया का पालन कर उचित क्षेत्राधिकार वाली अदालत में मुकदमा दायर कर सकते हैं।
- लोक अदालत की स्थापना निम्नलिखित द्वारा की जा सकती है–
    - उच्चतम न्यायालय का वैधानिक सेवा प्राधिकरण।
    - उच्च न्यायालय
    - राज्य सरकार

लोक अदालत की संरचना–

- एक न्यायिक अधिकारी (सेवारत या सेवानिवृत्त)
- एक वकील
- एक समाजसेवी

लोक अदालत में भेजे जाने वाले मामलों की प्रकृति–

- किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित कोई भी मामला।
- कोई भी विवाद जो किसी भी न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया है।

नोट –

1. गैर–शमनीय मामलों को लोक अदालत में सुना जा सकता है।
2. लोक अदालत के तलाक के मामलों में निर्णय देने का अधिकार नहीं है, विवाह के मामलों में केवल मध्यस्थता कर सकती है।

राष्ट्रीय लोक अदालत

- एक ही दिन में पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट से लेकर तालुक स्तर पर सभी अदालतों आयोजित की जाती है।
- फरवरी 2015 से प्रत्येक माह एक विशिष्ट विषय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

स्थायी लोक अदालत

- वैधानिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ई. की धारा 22 बी के तहत इनका आयोजन किया जाता है।
- परिवहन डाक आदि जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों की सुलह हेतु।
- एक अध्यक्ष एवं दो सदस्यों के साथ स्थायी निकाय के रूप में स्थापित।
- स्थायी लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार रुपये 10 लाख की राशि तक का है।
- इसका निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होता है।

मोबाइल लोक अदालत

- विवादों के निपटान हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिशील लोक अदालतें।

लोक अदालतों की स्थापना निम्नलिखित के द्वारा की जा सकती है–

(i) उच्चतम न्यायालय का वैधानिक सेवाएँ प्राधिकरण
(ii) उच्च न्यायालय
(iii) राज्य सरकार

लोक अदालत में आने वाले मामलेः–

- किसी भी प्रकार का मामला हो।
- मामला किसी भी न्यायालय में चल रहा हो।
- मामले का पूरा खर्च विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा।

✪ Plea Bargaining

- यह एक अमेरिकी अवधारणा है।
- इसमें न्यायालय के बाहर ही दोनों पक्षों में समझौता करवाया जाता है।
- 2005 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) में संशोधन करके इसे वैधानिक बनाया गया।
- निम्नलिखित मामलों में प्ली बारगेनिंग की अनुमति नहीं है–
  (i) जिनमें 7 वर्ष या अधिक की सजा का प्रावधान हो।
  (ii) महिलाओं के विरूद्ध किए गए अपराध पर
  (iii) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विरूद्ध किए गए अपराध पर
  (iv) सामाजिक व आर्थिक सुधारों के विरूद्ध अपराध।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

- अनुच्छेद 39(क) – समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता।
- 1980 ई. में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पी.एन. भगवती ने समिति का गठन किया।
- 1987 ई. में संसद ने वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम पारित किया तथा इसके तहत लोक अदालत को वैधानिक दर्जा दिया गया और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन किया गया।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (प्रमुख – भारत का मुख्य न्यायाधीश) → राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश) → जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला न्यायाधीश)।
- 9 नवम्बर, 1995 ई. – अधिनियम लागू (सीजेआई – आर. एन मिश्रा)।
- 9 नवम्बर – विधिक सेवा दिवस
- 1998 ई. – कार्य प्रारम्भ (सीजेआई – ए. एस. आनंद)

- न्याय दीप – NALSA का समाचार पत्र।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण – कमजोर लोगों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करना व लोक अदालत का संचालन।

कमजोर व्यक्ति

- अनुसूचित जाति/जनजाति
- अनुच्छेद 23 के अनुसार पीड़ित
- महिला व बच्चे
- मानसिक रूप से बीमार
- आपदा से ग्रसित
- औद्योगिक श्रमिक
- हिरासत में हो
- आय (राज्य द्वारा निर्धारित)

- **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्बन्धित प्रावधान**
  - किसी भी न्यायालय का मामला
  - कोई भी मामला
  - शुल्क एलएसए द्वारा वहन किया जायेगा।

Springboard ACADEMY

न्यायिक सक्रियता

संवैधानिक अधिकारों, मूल्यों और नैतिकता को सुनिश्चित करने सुरक्षित रखने के लिए न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका।

- न्यायिक सक्रियता को 2 अर्थों में लिया जाता है–
  (i) सकारात्मक न्यायिक सक्रियता
  (ii) नकारात्मक न्यायिक सक्रियता

(i) सकारात्मक न्यायिक सक्रियता–

- इसके तहत न्यायपालिका अतिरिक्त सक्रियता दिखाते हुए अपने कार्यों को अधिक कुशलता व तीव्रता के साथ संपादित करती है।
- आरंभ में न्यायपालिका के कुछ स्वघोषित सिद्धान्त थे जैसे–
  - न्याय मांगने हेतु व्यक्ति को न्यायपालिका के पास जाना होगा।
  - प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के लिए ही न्याय मांग सकता है।
  - आरंभिक एवं अपीलीय मामलों में न्याय हेतु आवेदन की निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
- 1979 ई. में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पी.एन. भगवती और वी.आर. कृष्ण अय्यर ने पहली बार जनहित याचिका को स्वीकार किया अर्थात जनता के हित में कोई भी जागरूक व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है।
- भारत में पुष्पा कपिला हिंगोरानी (जनहित याचिका की जननी) ने सर्वप्रथम जनहित याचिका दायर की (हुसैनआरा खातून बनाम बिहार राज्य वाद)
- जनहित याचिका (PIL) न्यायिक सक्रियता का सबसे लोकप्रिय स्वरूप है।
- कालांतर में सभी न्यायालयों द्वारा जनहित याचिकाओं को स्वीकार किया जाने लगा।
- पोस्टकार्ड पर लिखी शिकायतों को भी जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया गया।
- समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार को भी जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया गया अर्थात् न्यायाधीशों ने प्रसंज्ञान लेने हेतु जनहित याचिकाएँ स्वीकार की।
- इस प्रकार उपर्युक्त विवरण सकारात्मक न्यायिक सक्रियता है।

(ii) नकारात्मक न्यायिक सक्रियता–

- यदि न्यायपालिका अधिक सक्रिय हो जाए तथा यह विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे तो इसे नकारात्मक न्यायिक सक्रियता कहते है।
- निम्नलिखित प्रावधानों के कारण नकारात्मक न्यायिक सक्रियता को प्रोत्साहन मिलता है–
  - संविधान की व्याख्या करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास है
  - न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा।
  - अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का प्रवर्तन

☑ **न्यायिक सक्रियता के अनेक उदाहरण हैं–**

- संविधान में संशोधन विधायिका कर सकती है किन्तु न्यायालय ने संविधान में अनेक संशोधन किए हैं–
  (i) अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को अत्यधिक व्यापक किया। 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' को 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' कर दिया।
  (ii) अनुच्छेद 124 में कॉलेजियम की व्यवस्था नहीं थी किन्तु न्यायालय ने कॉलेजियम जोड़ दिया।
  (iii) अनुच्छेद 368 में बुनियादी ढाँचे की अवधारणा का प्रावधान नहीं था किन्तु न्यायालय द्वारा इसे जोड़ दिया गया तथा संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया गया आदि।

भाग- XX - संविधान संशोधन
(अनुच्छेद 368)

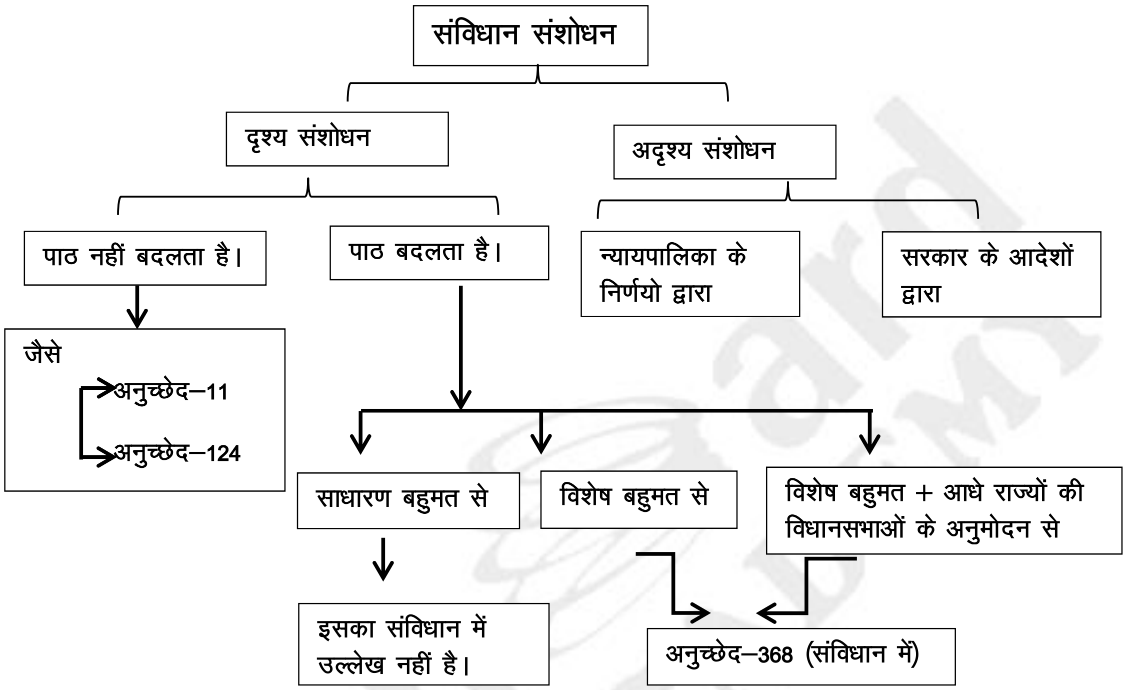

☑ **अदृश्य संशोधन–**

- प्रायः न्यायपालिका के निर्णयों से तथा सरकार के आदेशों से संविधान में बदलाव आ जाते हैं लेकिन वे संविधान में प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर नहीं होते। ये अदृश्य संशोधनों की श्रेणी में आते हैं।
  जैसे–
  - मेनका गाँधी वाद से अनुच्छेद 21 में बदलाव
  - अनुच्छेद 124 में कॉलेजियम व्यवस्था जोडना
  - अनुच्छेद 368 में बुनियादी ढाँचे की अवधारणा
  - अनुच्छेद 35(क)
- वे संविधान संशोधन जिनमें पाठ नहीं बदलता:–
  जैसे:–
  - अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता से संबंधित कानून संसद बना सकती है।
  - अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 1+7 का उल्लेख किया गया। किन्तु साथ ही संसद को न्यायाधीशों की संख्या बढाने का अधिकार दिया गया है।
  - अनुच्छेद 102
  - दूसरी, पांचवीं व छठी अनुसूची

☑ **संविधान में संशोधनों के प्रकार**

1. **संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन–**
   - पहली, चौथी अनुसूचियों में बदलाव आदि।

2. **संसद के विशेष बहुमत व आधे राज्यों की विधानसभाओं के अनुमोदन द्वारा संशोधन जैसेः–**
   - केन्द्र–राज्यों के विधायी संबंध
   - केन्द्र–राज्यों के कार्यपालिका संबंध
   - केन्द्र–राज्यों के वित्तीय संबंध
   - उच्चतम व उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र
   - राष्ट्रपति का निर्वाचन
   - अनुच्छेद 368 में संशोधन
   - संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व

3. **संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन – जैसे –**
   - मूल अधिकार
   - राज्य के नीति निदेशक तत्त्व
   - वे सभी उपबंध जो उपर्युक्त दोनों श्रेणियों से संबद्ध नहीं है।

☑ **संविधान संशोधन विधेयक की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368)**

- संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
- इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
- इसे सरकारी बिल या गैर सरकारी बिल दोनों के माध्यम से पेश किया जा सकता है।
- दोनों सदनों द्वारा इसे विशेष बहुमत से पारित किया जाता है।
- विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है।
- यदि केन्द्र–राज्य संबंध प्रभावित होते हो तो विधेयक से संबंधित संकल्प राज्यों की विधानसभाओं द्वारा भी पारित होना चाहिए।
- राज्यों की विधानसभा इसे स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है किन्तु संशोधन का प्रस्ताव नहीं रख सकती है।
- विधानसभा द्वारा यह विधेयक साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। विधेयक आधे राज्यों की विधानसभाओं में पारित होना आवश्यक है। विधेयक हेतु विधान परिषद की अनुमति नहीं ली जाती है। इसके लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है।
- इसके पश्चात विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य है (यह 24वें संविधान संशोधन द्वारा जोडा गया) राष्ट्रपति इस विधेयक को ना तो अपने पास रख सकते है ना ही पुनर्विचार हेतु संसद के पास वापस भेज सकते है।

  अतः उपर्युक्त विवरण स्पष्ट करता है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है किन्तु वह संविधान के बुनियादी ढाँचे के साथ छेडछाड नहीं कर सकती अर्थात् संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति असीमित नहीं है वरन् वह मूल ढाँचे की अवधारणा द्वारा सीमित कर दी गई है।

महत्वपूर्ण संविधान संशोधन

- 1st CA, 1951 - अनुच्छेद 31 (क), 31(ख) एवं 9वीं अनुसूची जोड़ी गई।
- 5th CA, 1955 - अनुच्छेद 3 (राष्ट्रपति समय सीमा निर्धारित करेगा।)
- 7th CA, 1956 - A,B,C,D, वर्गीकरण रद्द
- 8th CA, 1960 - अनु. 334 में संशोधन
- 9th CA, 1960 - बेरूबारी केस
- 10th CA, 1961 - दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर केन्द्रशासित प्रदेश
- 12th CA (20 Dec.1961) - गोवा, दमन और दीव को केन्द्रशासित प्रदेश के रूप में शामिल
- 14th CA, 1962 - पुदुचेरी – केन्द्रशासित प्रदेश
- 15th CA, 1963 - उच्च न्यायालय के जज की सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष
- 21th CA, 1967 - सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल
- 22th CA, 1969- असम में स्वायत्त राज्य – असम से अलग करके मेघालय नया राज्य
- 24th CA, 1971 - संसद को मौलिक अधिकारों को कम करने में सक्षम बनाना।
- 25th CA, 1971 - केशवानंद भारती केस
- 26th CA, 1971 - प्रिवीपर्स की समाप्ति
- 31th CA, 1973 - लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545
- 35th CA, 1975 - भारत के संघ में सिक्किम के समावेश के लिए नियम एवं शर्ते
- 36th CA, 1975 - सिक्किम को भारत का 22वाँ राज्य
- 41th CA, 1976 - राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोगके अध्यक्षों और सदस्यों की सेवानिवृति आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष
- 42th CA, 1976 - संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं एकता और अखण्डता शब्द एवं दस मौलिक कर्त्तव्यों को अनुच्छेद 51(क)(भाग–iv(क)) के अन्तर्गत जोड़ा गया।
- 43th CA, 1978 - 'स्वतंत्रता–विरोधी' संशोधनों को निरस्त
- 44th CA, 1978 - सम्पति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक (कानूनी) अधिकारों को श्रेणी में अनुच्छेद की श्रेणी में अनुच्छेद 300(क)में
- 52th CA, 1985 - दल–बदल विरोधी सम्बन्धी प्रावधानों को 10वीं अनुसूची में
- 61th CA, 1989 - अनु. 326 (मताधिकार के लिए उम्र 21वर्ष से घटाकर 18 वर्ष)
- 69th CA, 1992 - दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबन्ध
- 71th CA, 1992 - 8 वीं अनुसूची में कोकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल

- 73th CA, 1992 - पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता अनुच्छेद 243 से 243(ण)तक तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई।
- 74th CA, 1993 - शहरी संस्थाओं (नगरपालिका) को संवैधानिक मान्यता तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गयी। (अनुच्छेद 243 'त'–243 'छ' तक।)
- 77th CA, 1995 - अनुच्छेद 16 में नई धारा 4(A) जोड़ी गई।
- 80th CA, 2000 - अनुच्छेद 270 में निगम कर
- 81th CA, 2000 - अनुच्छेद 16 में नई धारा 4(b) जोड़ी गई।
- 84th CA, 2002 - परिसीमन आयोग
- 86th CA, 2002 - 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा
- 89th CA, 2003 - अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCST)
- 91th CA, 2003 - मंत्रिपरिषद के आकार की सीमित
- 92th CA, 2003 - बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल
- 93th CA, 2006 - सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थाओं में OBC के लिए 27% आरक्षण
- 96th CA, 2011 - 8 वीं अनुसूची में उड़िया भाषा को 'ओडिया'
- 97th CA, 2012 - सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता
- 99th CA, 2015 - राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) का गठन
- 100th CA, 2015 - भारत–बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता (LBA)
- 101th CA, 2016 - वस्तु एवं सेवा कर शामिल
- 102th CA, 2018 - पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCBC) (अनुच्छेद 338–ख)
- 103th CA, 2019 - आर्थिक कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण
- 104th CA, 2020 - लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो–इंडियन के लिए सीटो का आरक्षण समाप्त और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए बढ़ा दिया। (अनुच्छेद 331)
- 105th CA, 2021 - राज्य सूचियों और पिछड़े वर्गो की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने की राज्यों की शक्ति को संरक्षित किया।
- 106वाँ संविधान संशाधन, 2023 –महिलाओं को 1/3 आरक्षण (28 सितम्बर, 2023)

☑ **महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 –**

- ➢ लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल है।
- ➢ यह आरक्षण अधिनियम के लागु होने के बाद आयोजित जनगणना के प्रकाशन के बाद प्रभावी होगा और 15 वर्ष की अवधि तक लागु रहेगा जिसका संभावित संसदीय कार्यवाही द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

महालेखाकार का कार्यालय ↓

- वर्ष 1858 ई. में
- सर एडवर्ड ड्रमंड–1st ऑडिटर जनरल
- कार्यकाल– ब्रिटिश सम्राट के प्रसादपर्यन्त

→ 1884 में पद का नाम नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक

→ 1935 ई. अधिनियम

- नियुक्ति–सम्राट
- प्रान्तों में भी महालेखाध्यक्ष नियुक्ति

↓ भारतीय संविधान में नाम बदलकर (1950 ई.) –CAG

❖ **एक सदस्यीय आयोग**

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

- **अनुच्छेद 148**
- **अनुच्छेद 149 शक्तियाँ**
- **अनुच्छेद 150 लेखों का प्रारूप**
- **अनुच्छेद 151 प्रतिवेदन**

अनुच्छेद 148 (1)

नियुक्ति – राष्ट्रपति द्वारा
पदमुक्ति –SC के जज के समान
कार्यकाल – 6 वर्ष/65 वर्ष आयु
त्यागपत्र – राष्ट्रपति को
अवकाश – राष्ट्रपति द्वारा

अनुच्छेद 148 (2)
शपथ

राष्ट्रपति द्वारा
तीसरी अनुसूची के अनुसार

अनुच्छेद 148 (3)

वेतन एवं सेवा शर्तें

- संसद निर्धारित करती
- अन्यथा दूसरी अनुसूची अनुसार
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर

नोट :– 1976 ई. में हुए संशोधन से पहले नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पास Accounting & Auditing दोनों कार्य थे, लेकिन वर्तमान में Auditing कार्य ही है।

अनुच्छेद 148

- **अनुच्छेद 148 (4)**
  सेवानिवृति के बाद केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन किसी पद हेतु पात्र नहीं होगा।
- **अनुच्छेद 148 (5)**
  भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा शर्ते
  &
  CAG की प्रशासनिक शक्तियाँ
  CAG से परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमानुसार
- **अनुच्छेद 148 (6)**
  CAG कार्यालय के प्रशासनिक व्यय
  भारत की संचित निधि पर

अनुच्छेद 149 कार्य/शक्तियाँ/कर्त्तव्य

- **अनुच्छेद 149**
  कार्य हेतु कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है।
- **CAG (कर्त्तव्य, शक्तियाँ, सेवा शर्ते एक्ट 1971)**
  1976 में संशोधन कर लेखांकन एवं लेखा परीक्षण को पृथक किया गया।
- **लेखा & लेखा परीक्षा विनियम 2017**

CAG के कार्य

- केवल ऑडिट करता है
  - केन्द्र / राज्यों — के खर्चों की
  - आकस्मिक निधि / लोक निधि — के खर्चों का
- सरकारी निगमों, कंपनियों के खर्चो की जाँच
- स्थानीय निकाय लेखा परीक्षण
  ↓
  राष्ट्रपति/राज्यपाल के आग्रह से

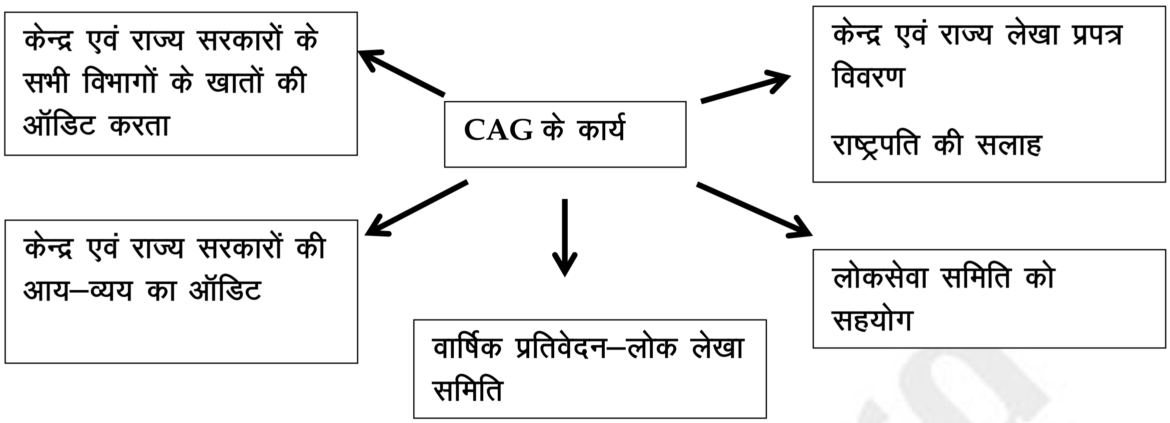

नोट :– संसद नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही कर सकता है।

अनुच्छेद 151 –CAG की रिपोर्ट

केन्द्र – राष्ट्रपति – संसद

राज्य – राज्यपाल – विधानमण्डल

नोट :–सार्वजनिक वित का सजग प्रहरी (Watchdog) कहा जाता है।

☑ **महत्वपूर्ण तथ्य :–**

	नाम	**अवधि**
प्रथम CAG	वी.नरहरि राव	1948–54 ई. तक
वर्तमान CAG	गिरीश चन्द्र मुर्मू **(14वें)**	लगातार

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (C.V.C)

- स्थानपना–11 फरवरी 1964
- सिफारिश – के. संथानमसमिति द्वारा
- केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव पर
- ❖ एक सदस्यीय

1998 बहुसदस्यीय बनाया

1+2 सदस्य

↓

मुख्य सतर्कता आयुक्त

अन्य सतर्कता आयुक्त

2003 सांविधिक दर्जा

\+

संसद व राष्ट्रपति

उद्देश्य

↓

केन्द्रीय लोक सेवा अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सलाह

C.V.C

नियुक्ति

राष्ट्रपति द्वारा

तीन सदस्यीय समिति

1. प्रधानमंत्री
2. लोकसभा विपक्ष के नेता
3. केन्द्रीय गृहमंत्री

कार्यकाल

4 वर्ष/65 वर्ष की आयु

(जो भी पहले हो)

हटाना

राष्ट्रपति

सलाह : सर्वोच्च न्यायालय

आधार –

1. दिवालिया
2. पागल
3. अपराध में दोष सिद्धि
4. अक्षमता
5. लाभ का पद

वेतन निर्धारण

↓

संसद द्वारा

Note :-कदाचार व अक्षमता के आधार पर SC के जज द्वारा जाँच के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जायेगा।

वेतन भत्ते व सेवा शर्ते – लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के बराबर

सेवानिवृति – केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी पद का पात्र नहीं।

कार्य :–

1. केन्द सरकार द्वारा भेजे गए किसी मामले की जाँच
2. CBI की जाँच प्रगति पुनरीक्षण करना।
3. आयोग के पास भेजे गए मामलों के संबंध में केन्द्र सरकार या अनेक संगठनों को सलाह।
4. भ्रष्टाचार के तहत अपराधों की जाँच के संबंध में CBI के कार्यो का अधीक्षण करना।
5. केन्द्र सरकार, मंत्रालय, विभाग आदि के सतर्कता एवं प्रशासन पर नजर।
6. केन्द्र सरकार को सलाह : केन्द्रीय अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित सकर्तता एवं अनुशासनिक मामलों में कानून बनाते समय
7. सूचना प्राप्ति का विशेषाधिकार – मनी लॉड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002 के तहत
8. 2013 के लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट के कार्य
9. केन्द्र सरकार को अभियोजन निदेशक की नियुक्ति में सलाह।
10. लोकपाल द्वारा भेजी गई शिकायतों की प्राथमिक जाँच।
11. CBI में पुलिस अधीक्षक/इससे ऊपर रैंक के अधिकारी की नियुक्ति समिति द्वारा→जिसका अध्यक्ष : मुख्य सतर्कता आयुक्त

क्षेत्राधिकार

- अखिल भारतीय सेवा के ग्रुप A के अधिकारी
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्केल–5 से ऊपर के अधिकारी
- RBI/नाबार्ड/सिड़बी बैंक Grade-D या इससे ऊपर के अधिकारी
- जीवन बीमा निगम (LIC) में वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक या इससे ऊपर के अधिकारी
- सरकारी क्षेत्र के उद्योगो के बोर्ड के मुख्य कार्यकारी या कार्यकारी एवं अनुसूची क & ख E-8 या ऊपर के अधिकारी E-7 या ऊपर के अधिकारी
- साधारण बीमा कंपनियों के प्रबन्धक या उनके स्तर के अधिकारी।

कार्यप्रणाली

- पूर्ण सक्षम HQ – नई दिल्ली
- सिविल कोर्ट की शक्तियाँ न्यायिक निकाय
- केन्द्र सरकार/इसके प्राधिकरणों से प्रतिवेदन/जानकारी माँग सकता है।

वार्षिक प्रतिवेदन → राष्ट्रपति → दोनों सदनों में

प्रथम मुख्य सतर्कता आयुक्त – निट्टूर श्रीनिवास राऊ/राव

वर्तमान मुख्य सतर्कता आयुक्त – पी. के. श्रीवास्तव **(21वें)**

नीति आयोग (NITI AAYOG)

योजना आयोग

- स्थापना– 15 मार्च 1950 केन्द्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा
- सिफारिश :- K.C. नियोगी समिति द्वारा (1946)
- गैर संवैधानिक
- समाप्ति 13 अगस्त 2014
- संरचना : पदेन अध्यक्ष–प्रधानमंत्री
  1. उपाध्यक्ष (केबिनेट मंत्री समकक्ष)
  2. पूर्णकालिक + 3. अंशकालिक – सदस्य

उद्देश्य

- राष्ट्र के संसाधनों का कुशलतम उपयोग
- रोजगार उपलब्ध करवाना

अन्य नाम :–
- सुपर केबिनेट
- आर्थिक मंत्रिमण्डल
- समानांतर मंत्रिमण्डल

❖ परामर्शदात्री निकाय

❖ केन्द्रीकृत निकाय

राष्ट्रीय विकास परिषद

स्थापना–6 अगस्त 1952

संरचना

अध्यक्ष–प्रधानमंत्री

सभी राज्यों के मुख्यमंत्री + सभी केन्द्रशासित प्रदेश के पदाधिकारी

योजना आयोग सदस्य + केन्द्रीय मंत्रिमण्डल सदस्य

उद्देश्य

1. राष्ट्रीय योजना समीक्षा
2. संतुलित विकास
3. परामर्श
4. समन्वय

नीति आयोग

स्थापना

1 जनवरी 2015

संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा विशिष्ट प्रस्ताव से पारित

मंत्रिमण्डल के प्रस्ताव

गैर संवैधानिक

थिंक टैंक
- **रणनीतिक** → **सलाह**
- **तकनीकी** → **सलाह**

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर

संरचना – 5 स्तर पर

1. अध्यक्ष – प्रधानमंत्री
2. शासकीय परिषद – सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या पदाधिकारी
3. क्षेत्रीय परिषद
   (i) राज्यों के मुख्यमंत्री + केन्द्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल
   (ii) अध्यक्ष – प्रधानमंत्री
   (iii) कार्य – एक से अधिक राज्यो से सम्बन्धित मुद्दों के समाधान हेतु।
4. विशिष्ट आमंत्रण –
   - विशेषज्ञ, सुविज्ञ, अभ्यासी
   - प्रधानमंत्री द्वारा नामित किये जाते है।
5. पूर्णकालिक सांगठनिक ढाँचा :–

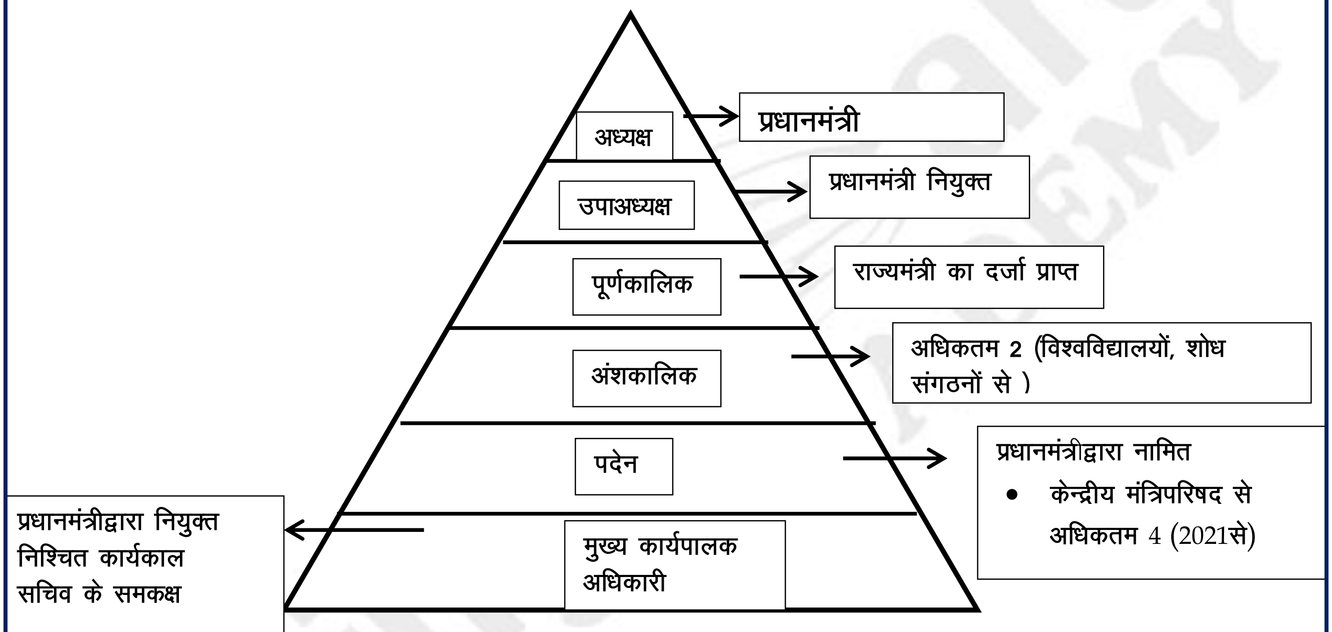

विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएँ :–

1. शोध शाखा :– विषय विशेषज्ञों एवं विद्वानों को समर्पित थिंक टैंक
2. परामर्शदात्री शाखा – विशेषज्ञों का पैनल [केन्द्र सरकार / राज्य सरकार] **परामर्श**
3. टीम इंडिया शाखा [प्रत्येक राज्य एवं मंत्रालय के प्रतिनिधि / राष्ट्रीय सहयोग एवं सहकार के एक स्थायी मंच के रूप में कार्य।

☑ **महत्वपूर्ण तथ्य :–**

अध्यक्ष – प्रधानमंत्री

प्रथम CEO - सिंधु श्री खुल्लर
द्वितीय CEO - अमिताभ कांत
वर्तमान CEO - बी. वी. आर. सुब्रमणयम (फरवरी 2023)

प्रथम उपाध्यक्ष – अरविन्द पनगड़िया
द्वितीय उपाध्यक्ष – डॉ. राजीव कुमार
वर्तमान उपाध्यक्ष – सुमन बेरी **(2वें)**

लोकपाल

लोकपाल

- 1809
  स्वीडन से शुरूआत
  ओम्बुडसमेन
  किसी का प्रतिनिधि
- 1963
  भारत में राजस्थान
  प्रशासनिक सुधार
  समिति (हरिशचन्द्र
  माथुर समिति सुझाव)
- 1966
  1st प्रशासनिक सुधार
  आयोग सिफारिश
  (मोरारजी देसाई)
  - लोकपाल
  - लोकायुक्त
- 1968
  1st बिल
  प्रधानमंत्री – इंदिरा गाँधी
  - पारित नहीं हुआ

लोकपाल

- 1970
  उड़ीसा
  1st Act पारित
- 1971
  महाराष्ट्र
  प्रथमतः लोकपाल
  स्थापना
- 3 Feb. 1973
  राज. में
  लोकायुक्त
- 2007
  II प्रशासनिक सुधार
  आयोग सिफारिश
  (विरप्पा मोइली)
  - राष्ट्रीय लोकायुक्त
  - राज्य लोकायुक्त
- 4 Aug. 2011
  10वीं बार बिल
  संसद में रखा गया
- 2013
  राज्यसभा–17.12.2013
  लोकसभा–18.12.2013
  राष्ट्रपति हस्ताक्षर
  ↓
  31.12.2013
  प्रभावी
  16.01.2014

नोट :– लोकपाल बिल मसौदा – अन्ना हजारे, संतोष हेगड़े, शांति भूषण

संरचना → बहसदस्यीय
संरचना → 1 लोकपाल + अधिकतम 8 सदस्य
- → 4 न्यायिक क्षेत्र
- → 4 SC/ST/female & Minority

1 लोकपाल + अधिकतम 8 सदस्य ↓
योग्यता–SC के पूर्व CJI मुख्य न्यायाधीश/अन्य न्यायधीश या प्रतिष्ठित व्यक्ति

नियुक्ति – राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर
↓
समिति
- **PM**
- **लोकसभा अध्यक्ष**
- **SC के CJI या उनके द्वारा नामित जज या न्यायवेता**

कार्यकाल– 5 वर्ष (70 वर्ष की आयु) (जो भी पहले हो)

लोकपाल नही बन सकते	यदि–	आयु 45 वर्ष से कम हो।
		अपराध का दोषी
		विधायक/सांसद हो।

लोकपाल का क्षेत्राधिकार –

1. प्रधानमंत्री (प्रतिबंध एवं शर्तो के अधीन)
   (i) विदेश संबंध
   (ii) अन्तर्राष्ट्रीय संबध
   (iii) आन्तरिक/बाह्य सुरक्षा
   (iv) परमाणु ऊर्जा
   (v) अन्तरिक्ष
   } लोकपाल के न्यूनतम 2/3 सदस्यों की अनुमति मिलने पर जाँच
2. समस्त पूर्व एवं वर्तमान मंत्री, सांसद
3. भारत सरकार के अधिकारी, कर्मचारी
4. लोक उपक्रमों के लोकसेवक
5. NGO जो 10 लाख/इससे अधिक विदेशी अनुदान प्राप्त करते है।

☑ सिविल कोर्ट की शक्तियाँ–

- लोकपाल CBI को भी विषय सौंप सकता है, जिसके अधीक्षण, पर्यवेक्षण, नियंत्रण का अंतिम अधिकार लोकपाल के पास।
- चल एवं अचल सम्पति/दस्तावेज जब्त/कुर्की/नीलामी अधिकार। (भ्रष्टाचार द्वारा अर्जन पर)

सेवानिवृति के बाद

- पुनर्नियुक्ति नहीं
- चुनाव नहीं लड़ सकता
- लाभ का पद प्राप्त नहीं कर सकता
- कूटनीतिज्ञ पद प्राप्त नहीं कर सकता

हटाना

- त्याग पत्र – राष्ट्रपति को
- राष्ट्रपति द्वारा हटाना

  यदि

  1. दिवालिया
  2. लाभ का पद
  3. मानसिक/शारीरिक अक्षमता
  4. पागल
  5. न्यायालय द्वारा अपराध सिद्धि

नोट :—दुर्व्यवहार या अक्षमता की स्थिति में न्यूनतम 100 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका राष्ट्रपति को प्रस्तुत होगी।

↓

जाँच – सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

↓

दोषी होने पर राष्ट्रपति हटायेंगे।

जाँच :— सामान्य प्रकृति – 3 माह
गंभीर प्रकृति – 6 माह
अभियोजन प्रकृति की – 1 वर्ष
गलत शिकायत पर दण्ड के प्रावधान

☑ **महत्वपूर्ण तथ्य** :—
प्रथम लोकपाल – पिनाकी चंद्र घोष
वर्तमान लोकपाल – अजय माणिकराव खानविलकर **(3वें)**

Springboard ACADEMY

भारतीय निर्वाचन आयोग

- अनुच्छेद 324 से 329 तक भाग–(15)
- स्थापना – 25 जनवरी 1950 ई.
- संवैधानिक, स्थायी, स्वतंत्र, अखिल भारतीय निकाय ।
- **संरचना –**
    - पूर्व में एक सदस्यीय
    - 16 अक्टूबर 1989 से 1990 तक 3 सदस्य
    - 1 अक्टूबर 1993 से स्थायी रूप से बहुसदस्यीय

      1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त
+
2. अन्य आयुक्त
- **नियुक्ति** – राष्ट्रपति
- **कार्यकाल** – 6/65 वर्ष
- **त्यागपत्र** – राष्ट्रपति को
- **वेतन** – उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान (2.5 लाख वर्तमान में, निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्ते कार्य संचालन एक्ट 1991)

  हटाना – राष्ट्रपति द्वारा(सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के तरीके से)

  आधार – 1. अक्षमता 2. कदाचार

  न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए जाने पर संसद अयोग्य करार कर सकती है।

स्वतंत्रताएँ

1. कार्यकाल निश्चित
2. अलाभकारी परिवर्तन नहीं
3. संवैधानिक पद

दोष–

1. योग्यता उल्लेख नहीं
2. सदस्य संख्या भी संविधान में नहीं
3. वेतन संचित निधि पर नहीं एवं पुनर्नियुक्ति संभव
4. कार्यकाल का उल्लेख नहीं एवं सेवानिवृति के बाद अन्य सरकारी नियुक्ति पर रोक नहीं।

कार्य/शक्तियाँ –

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950–51 द्वारा शक्तियाँ विस्तारित की गई।

1. प्रशासकीय
2. सलाहकारी
3. अर्द्धन्यायिक
4. चुनाव –
    - राष्ट्रपति
    - उपराष्ट्रपति
    - संसद
    - राज्य विधानमण्डल

5. चुनाव कार्यक्रम घोषणा
6. मतदाता सूची तैयार करना
7. चुनाव चिह्न एवं आचार संहिता विनियमन
8. संसद के परिसीमन एक्ट के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण
   राष्ट्रपति (अनुच्छेद 103) एवं राज्यपाल (अनुच्छेद 192) को सलाह –चुनाव संबंधी सदस्यों की अयोग्यता के सन्दर्भ में

अनुच्छेद 325 –जाति, मूलवंश, धर्म, लिंग के आधार पर

(A) किसी व्यक्ति का नाम जोड़ने से इंकार नही।

(B) न ही कोई विशेष मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु दावा कर सकता है।

अनुच्छेद 326 –वयस्क मताधिकार – 61वें संविधान संशोधन से 1989 में आयु 18 वर्ष वर्ष की।

❖ अनिवासी भारतीय एवं मानसिक पागल, कैदी को मतदान अधिकार से वंचित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 327 –निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति।

अनुच्छेद 328 –राज्य विधानमण्डल की शक्ति

अ**नुच्छेद 329** –निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप के संबंध में।

☑ **निर्वाचन आयोग से संबंधित समितियाँ –**

1. वी.एन. तारकुंडे समिति, 1974
2. दिनेश गोस्वामी समिति, 1990
3. इन्द्रजीत गुप्ता समिति, 1998
4. संथानम समिति 1963

☑ **महत्वपूर्ण तथ्य :–**

- प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) – सुकुमार सेन (1950–1958)
- सबसे लंबा कार्यकाल – के. वी. के. सुन्दरम (1958–1967)
- वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त – राजीव कुमार **(25वें)**

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

- संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइटस (30 अनुच्छेद) का दस्तावेज जारी किया गया।

  ↓
  - ❖ प्रथम पीढ़ी अनुच्छेद 1 से 21
  - ❖ द्वितीय पीढ़ी अनुच्छेद 22 से 27

- सांविधिक / कानूनी निकाय (NHRCअधिनियम, 1993)
- प्रवृत – 28 सितम्बर 1993
- स्थापना – 12 अक्टूबर 1993
- अधिनियम की धारा–2(1)ए में मानवाधिकारों को परिभाषित किया गया।
- अधिनियम की धारा–2(m) में लोकसेवक को परिभाषित किया गया।
- मानवाधिकार दिवस – 10 दिसम्बर

उद्देश्य :–

- मानव अधिकार का बेहतर संरक्षण
- मानव अधिकार की सुरक्षा
- आयोग का गठन
- राज्यों में मानव अधिकार सुरक्षा गठन

संरचना

- **अध्यक्ष** ↓ SC का सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश
- **सदस्य** ↓ SC में कार्यरत या सेवानिवृत न्यायाधीश
- **सदस्य** ↓ HC में कार्यरत या सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश
- **3 अन्य सदस्य – मानवाधिकारों के ज्ञाता** (1 इनमें से महिला होगी)

❖ विधि आयोग सदस्य नहीं है।

पदेन → राष्ट्रपति अध्यक्ष →

- एससी आयोग
- एसटी आयोग
- महिला आयोग
- पिछड़ा वर्ग आयोग
- अल्पसंख्यक आयोग
- बाल अधिकार संरक्षण आयोग
- दिव्यांग आयोग

} के आयुक्त

नियुक्ति → राष्ट्रपति

परामर्श समिति (6 सदस्यीय)

प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
लोकसभा स्पीकर
राज्यसभा उपसभापति
विपक्ष के नेता (दोनों सदनों के)
केन्द्रीय गृह मंत्री

कार्यकाल – 3 वर्ष/70 वर्ष आयु(संशोधन अधिनियम 2019 के बाद)

पुनर्नियुक्ति – आयोग अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में अनुमत (पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र)
केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन पद धारण नहीं।

हटाना– राष्ट्रपति द्वारा

1. कदाचार या अक्षमता →उच्चतम न्यायालयकी जाँच → राष्ट्रपति हटा देता है।
2. 5 आधार पर बिना जाँच →
   (i) दिवालिया
   (ii) कार्यक्षेत्र से बाहर रोजगार
   (iii) मानसिक या शारीरिक अक्षम
   (iv) पागल
   (v) न्यायालय द्वारा अपराधी सिद्ध

वेतन एवं भत्ते :– केन्द्र सरकार द्वारा – परन्तु नियुक्ति के उपरांत अलाभकारी परिवर्तन नहीं

कार्य :–

1. 1 वर्ष के भीतर घटित घटाना की जाँच
2. मानवाधिकार उल्लंघन की जाँच (स्वप्रेरणा व न्यायालय के आदेश से)
3. मानवाधिकार हेतु शोध
4. सिविल न्यायालय की शक्तियाँ
5. NGO को प्रोत्साहन
6. मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता
7. जेलों व बन्दीगृहों में मानवाधिकारो के उल्लंघन का निरीक्षण

❖ केवल सलाहकारी निकाय –दण्ड/क्षतिपूर्ति/कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु केवल सलाह।

☑ **महत्वपूर्ण तथ्य :–**

प्रतिवेदन – केन्द्र सरकार को एवं संबंधित राज्य सरकारों को भेजता है।
प्रथम अध्यक्ष – न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा
वर्तमान अध्यक्ष – अरूण कुमार मिश्रा **(31वें)**

केन्द्रीय सूचना आयोग

- सांविधिक निकाय
- उच्च सतायुक्त स्वतंत्र निकाय
- सूचना का अधिकार(RTI) अधिनियम 2005 के अन्तर्गत धारा 12(1)
- **स्थापना** – 12 अक्टूबर, 2005 ई.
- केन्द्र एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों की शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई

संरचना धारा 12(2)

↓

1 अध्यक्ष + 10 सदस्य – नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति के परामर्श से

1. प्रधानमंत्री
2. लोकसभा में विपक्ष का नेता
3. केन्द्रीय मंत्रिमण्डल से प्रधानमंत्रीद्वारा निर्दिष्ट एक सदस्य (कैबिनेट मंत्री)

शपथ → राष्ट्रपति द्वारा

2019 में संशोधन →
- कार्यकाल →
  - पहले 5/65 वर्ष
  - अब–केन्द्र सरकार तय करती है।
- वेतन भत्ते → अब केन्द्र सरकार तय

योग्यता :– धारा–12(5)

- विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क, शासन एवं प्रशासन का विशिष्ट अनुभवी हो।
- संसद सदस्य (MP)
- विधानमण्डल सदस्य (MLA)
- लाभ का पद प्राप्त

} **अयोग्य**

पद से हटाना– धारा –14 राष्ट्रपति द्वारा

सिद्ध कदाचार
अक्षमता } के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जाँच के उपरांत

अन्य आधार (बिना जाँच) – 5

1. दिवालिया घोषित हो
2. अपराध में दोषसिद्धि जो राष्ट्रपति की नजर में नैतिक अक्षमता हो।
3. कर्त्तव्य से परे अन्य लाभ का पद प्राप्त करना।
4. शारीरिक/मानसिक अक्षम
5. ऐसा लाभ का पद जिससे कार्य या निष्पक्षता प्रभावित हो।

पुनर्नियुक्ति→ नहीं

कार्य –

1. किसी व्यक्ति से शिकायत प्राप्ति एवं जाँच (RTI)से संबंधित
2. ठोस आधार पर स्वः प्रेरणा से जाँच
3. सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्रयोग
   a. समन जारी करना
   b. शपथ पत्र के रूप में साक्ष्य
   c. दस्तावेज मांगना एवं जाँच करना।

प्रतिवेदन – केन्द्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट

कार्यालय – दिल्ली

❖ आयोग केन्द्र सरकार की अनुमति से अन्य जगह स्थापित कर सकता।

अन्य तथ्य –

- 1766– स्वीडन प्रथम देश सूचना का अधिकार अपनाने वाला
- RTI मांग – किसान मजदूर संघ द्वारा अरूणा रॉय के नेतृत्व में आंदोलन (6 अप्रैल 1995)
- 2005 से पूर्व – 7 राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश RTI अपना चुके थे।
- राजस्थान में RTI सन् 2000 में
- भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी इसके दायरे में शामिल।

☑ **महत्वपूर्ण तथ्य :–**

प्रथम अध्यक्ष – वजाहत हबीबुल्लाह

वर्तमान अध्यक्ष – हीरालाल सामरिया **(12वें)**